

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल-12 विधिक साक्षरता Legal Literacy



समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष) (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) **Bachelor of Social Work (Second Year)** (Specialization in Community Leadership)



महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

प्रेरणा, अवधारणा एवं रूपरेखा :

प्रथम संस्करण 2016

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

श्री बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव,
श्री जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव
श्रीमती अलका उपाध्याय, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा एवं मार्गदर्शन :

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श :

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति
डा. वीणा घाणेकर, वरिष्ठ सलाहकार
जयश्री कियावत, आयुक्त, महिला सशक्तिकरण
श्री उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद

लेखक मण्डल :

सुश्री पूनम तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी, म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
श्री राजेश सक्सेना, जिला विधिक सहायता अधिकारी, म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
डॉ. अभय वर्मा, विधि अधिकारी, म.गॉ.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय

सम्पादक मण्डल :

डॉ. अमरजीत सिंह
डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास

रेखांकन :

कृ. प्रतिभा देवी, श्री सोवन बनर्जी

मुद्रक एवं प्रकाशक :

कुलसचिव (ग्रामोदय प्रकाशन की ओर से),
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला-सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष- 07670-265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)
ई-मेल- cmeldpcourse@gmail.com, मोबाइल- 9424356841
श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.
ई-मेल- rk mishraguna@gmail.com, मोबाइल- 9425171972

कॉपीराइट: © – महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

आभार:- यह पुस्तक छात्रों हेतु विधि के किसी आधार विषय की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती । पुस्तक का उद्देश्य संबंधित पाठ्यक्रम के छात्रों एवं आमजनों में विधिक साक्षरता का प्रसार करना मात्र है । इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। सभी के प्रति आभार।

- इकाई- 12.1 : विधान एवं संविधान 7-17
- 12.1.1 : कानून क्या है
 - 12.1.2 : भारत का संविधान
 - 12.1.3 : मौलिक अधिकार
 - 12.1.4 : हमारे विशेष अधिकारों के संरक्षण हेतु गठित आयोग – मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग
- इकाई- 12.2 : जन अधिकारों का संरक्षण : प्रमुख प्रावधान एवं प्रक्रिया 18-37
- 12.2.1 : जनहित याचिका का परिचय, प्रकार, इतिहास और पृष्ठभूमि
 - 12.2.2 : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
 - 12.2.3 : कानूनी सहायता
 - 12.2.4 : लोक अदालत
 - 12.2.5 : मध्यस्थता
 - 12.2.6 : मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010
- इकाई- 12.3 : म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवायें 38-52
- 12.3.1 : प्रारम्भिक परिचय एवं विषय प्रवेश
 - 12.3.2 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987
 - 12.3.3 : निःशुल्क विधिक सहायता योजना
 - 12.3.4 : विधिक साक्षरता शिविर योजना
 - 12.3.5 : विवाद विहीन ग्राम योजना
 - 12.3.6 : जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना
 - 12.3.7 : पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र
 - 12.3.8 : श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ
 - 12.3.9 : महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई
 - 12.3.10 : मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना
- इकाई- 12.4 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवायें 53-84
- 12.4.1 : जेलों में परिरुद्ध वंदियों के संवैधानिक अधिकार
 - 12.4.2 : माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण
 - 12.4.3 : महिला अधिकार

- 12.4.4 : गुमशुदा बच्चे एवं उपेक्षित/निराश्रित बालकों का पुर्नवास
- 12.4.5 : पैरालीगल वालेंटियर्स योजना
- 12.4.6 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ) विनियम 2010
- 12.4.7 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लीगल एड क्लीनिक्स) विनियम 2011
- 12.4.8 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लीनिक्स) योजना, 2013
- 12.4.9 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना

इकाई— 12.5 : अधिकारों के संरक्षण के प्रावधान और प्रक्रियाएँ 85—114

- 12.5.1 : विधिक सेवा प्राधिकरण (तस्करी और वाणिज्यिक यौवन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015
- 12.5.2 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधिक सेवाएँ) योजना 2015
- 12.5.3 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों को मैतृकपूर्ण एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015
- 12.5.4 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015
- 12.5.5 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015
- 12.5.6 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के विधिक सेवाएँ) योजना, 2015
- 12.5.7 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015
- 12.5.8 : मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015
- 12.5.9 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा किशोर न्याय संस्थाओं में विधिक सेवाओं के लिए मार्गदर्शन



माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन,
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

मध्य प्रदेश शासन और म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के संयुक्त प्रयासों से निर्मित 'विधिक साक्षरता मॉड्यूल', पाठ्यक्रम, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक सराहनीय कदम है। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शासन एवं आमजन के बीच एक सेतु का कार्य करता है, जिसमें राज्य प्राधिकरण द्वारा विधिक ज्ञान के साथ-साथ शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में विधिक साक्षरता मॉड्यूल को सम्मिलित किये जाने से अध्ययनरत छात्र विधिक ज्ञान से साक्षर हो कर जमीनी स्तर पर कार्य करते हुये आमजन, विशेष रूप से ग्रामीण जन को साक्षर एवं लाभान्वित कर पायेंगे।

संविधान के अनुच्छेद-14 में निहित समान न्याय की अवधारणा तभी साकार होगी, जब शैक्षिक, आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति को भी न्याय सहज एवं सुलभ होगा। संविधान द्वारा अनुच्छेद-39 A में वर्णित नीति-निर्देशक तत्वों में विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का प्राथमिक दायित्व भी है।

उपरोक्त संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर (म.प्र.) सतत् प्रयत्नशील है। राज्य प्राधिकरण द्वारा गरीबी, अशिक्षा या अन्य किसी अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें विधिक रूप से साक्षर बनाये जाने हेतु भी कार्य किया जाता है। विधिक साक्षरता शिविरों में कानूनों को सरल भाषा में आमजन तक पहुँचाया जाता है क्योंकि सामान्यतः कानून में प्रयुक्त भाषा अपनी क्लिष्टता के कारण आमजन के लिये सरलता से बोधगम्य नहीं होते हैं। कानूनों को सरल एवं बोलचाल की सामान्य भाषा में अनुवादित कर इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जिससे इस मॉड्यूल की सहायता से छात्र सामान्य विधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और इसका उपयोग वे आम जन को विधिक रूप से साक्षर बनाने में कर सकेंगे।

अज्ञानता के इस अन्धकार को साक्षरता से ही मिटाया जा सकता है। जब अक्षम और पीड़ित व्यक्ति अपने अधिकार को जानेंगे और अधिकार के उल्लंघन की दशा में उपलब्ध मंच को जानेंगे, तब ही 'समान न्याय' और 'न्याय सबके लिये' की कल्पना मूर्त रूप ले पायेगी और विधिक ज्ञान की ज्योति अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँच सकेंगी। इस कार्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को विधिक साक्षरता मॉड्यूल की सहायता से प्राप्त विधिक ज्ञान उन्हें समाज के दुर्बल और अक्षम व्यक्ति की समस्याओं का निदान कराने और उसे शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायक सिद्ध होगा।

मैं इस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की शुभेच्छा के साथ उनसे एक अच्छे नागरिक के रूप में सामाजिक दायित्व के निर्वहन की अपेक्षा करता हूँ।

राजेन्द्र मेनन

किसी भी ग्राम अथवा नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग हैं। विकास की समस्याओं का हल समाज द्वारा ही संभव है। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक संभव नहीं हो पायेगा जब तक कि उसमें स्थानीय जन भागीदारी सुनिश्चित न हो। स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं के पास है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी आंकलन वहां के लोग ही कर सकते हैं।

प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वैच्छिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिये कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज की सहभागिता से समाज के विकास के लिये कार्य कर सकेंगे। ऐसे ही स्वप्रेरणा से प्रयासरत लोगों को शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में सर्टिफिकेट, दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा तथा तीन साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में डिग्री दी जायेगी। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओत-प्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हों, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस-पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें।

यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हो और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया था।

संविधान एवं विधान के तहत जनता के हितों के संरक्षण एवं विकास के लिए किए गए अनेक प्रावधानों का लाभ नागरिक प्रायः जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते हैं। क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता है कि कानून के तहत इस संबंध में क्या प्रावधान है? इसी प्रकार कानून की आधी-अधूरी जानकारी भी अनेक समस्याओं को पैदा करती है। **विधिक साक्षरता** का यह प्रश्नपत्र दिन-प्रतिदिन के जीवन में आम नागरिकों के लिए उपयोगी एवं विविध कानूनी प्रावधानों की न केवल जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है बल्कि इन प्रावधानों को जानकर एक नागरिक अन्य व्यक्तियों एवं समुदायों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम सिद्ध हो सकता है। इस मॉड्यूल में राष्ट्रीय विधिक सेवा एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विविध योजनाओं और उनके सुसंगत प्रावधानों को भी सरल एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। विश्वास है कि हमारा यह प्रयास सबके लिये न्याय की दिशा में उठाया गया एक सार्थक और दूरगामी कदम होगा।

इकाई-12.1 : विधान एवं संविधान

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि-

- कानून से क्या आशय है?
- वर्तमान संदर्भों में विधिक साक्षरता क्यों आवश्यक है?
- मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं?
- हमारे अधिकारों के संरक्षण हेतु कौन-कौन से आयोग गठित किये गये हैं?

12.1.1 कानून क्या है ?

कानून हम लोगों द्वारा ही बोये गये लोकतंत्र के बीजों से उगे हुए पेड़ हैं। जिनकी डालियां कर्तव्य हैं। जिनके पत्ते अधिकार हैं। जिन पर उपचारों एवं सुविधाओं के फल लगे हैं। जिनकी छाया संरक्षण और समानता है। जिन्हें काटने पर सजा एवं दंड मिलता है। अतः इनकी जानकारी आवश्यक है। संविधान एक पेड़ की जड़ की तरह है, और कानून उस पेड़ की शाखाओं की तरह है।



कानून क्या है और हमें कानून जानना क्यों जरूरी है?

हम सब बातचीत में वकील, कोर्ट, कचहरी, तहसील, ऑफिस, विभाग, प्रमाण पत्र, पंजीयन, अधिकार, सरकार, मंत्री, विधायक, पंचायत, सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी, रोजगार गारंटी, गरीबी रेखा का कार्ड जैसे शब्द रोजाना बोलते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। इन सबका काम जिस नियम, हुकुम या आदेश से चलता है उन्हें 'कानून' कहते हैं।



कानून के सामने देश का प्रत्येक नागरिक बराबर होता है। कोई कानून से ऊपर नहीं होता और कानून सबकी समान रूप से रक्षा करता है।


हमारी दिनचर्या से जुड़े सभी काम किसी नियम या "कानून" के आधार पर ही चलते हैं। यदि हमें कानून की जानकारी है तो कोई हमें बिना वजह परेशान नहीं कर सकता और हमारे जो भी हक हैं उन्हें कोई छीन भी नहीं पायेगा।

कानून कौन बनाते हैं और कैसे बनते हैं?

- विधायक और सांसद को आप चुनते हैं।
- विधायक विधानसभा में अपने प्रदेश के कानून बनाते हैं। सांसद दिल्ली की संसद में जाकर पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं।
- ये कानून देश की आजादी के बाद पिछले लगभग 65 वर्षों से बनते आ रहे हैं।
- सबसे बड़ा कानून हमारा भारतीय संविधान है।

कानून के प्रकार

कानून दो प्रकार के होते हैं :



12.1.2 भारत का संविधान :-

- 15 अगस्त 1947 के पहले देश के लोगों ने चुनाव करके एक समिति बनाई जिसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान तैयार किया जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
- संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। बाकी सभी कानून इसी के आधार पर बनते हैं।

संविधान में सभी लोगों के मौलिक अधिकारों की बात कही गयी है संविधान को सारी शक्ति इस देश की जनता से मिली है।

संविधान की प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. को एतद् द्वारा अंगीकृत अधिनियम को आत्मार्पित करते हैं।

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका

अब हम यह जान गये हैं कि हमारे कानून क्या हैं? इनका महत्व क्या है? कानूनों को कौन बनाता है? और पालन नहीं होने पर न्याय किस प्रकार होता है?

यह कार्य विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका करती हैं।

- देश के कुछ राज्यों में विधान परिषद का भी प्रावधान है।
- विधायिका—कानून बनाती है।
- कार्यपालिका—विधायिका द्वारा बने कानूनों को लागू करती है।
- न्यायपालिका इन अधिकारों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करती है।
- कार्यपालिका में विधानसभा या संसद का मंत्रीमंडल शामिल होता है। कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी सभी कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका, विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। जनता के हित में संसद में या विधानसभा में विधायक, सांसद, मंत्रीमंडल के सदस्यों से जनता की ओर से प्रश्न पूछते हैं। जिसका जवाब कार्यपालिका को देना पड़ता है।

राज्य शासन द्वारा कानून कैसे बनाया जाता है

हमने जाना :- संविधान में शासन के तीन अंग हैं—

1. विधायिका, 2. कार्यपालिका, 3. न्यायपालिका
- विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह होती है जो जनता के वोट से बनती है।
 - विधायिका एवं कार्यपालिका यदि संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते तो न्यायालय उन पर लगाम कसती है जिसका फैसला मानना पड़ता है।

- यदि किसी व्यक्ति को विधायिका द्वारा बनाये गये कानून से या कार्यपालिका द्वारा कानून का पालन नहीं करने से कोई तकलीफ हो या पीड़ा हो तो वह न्यायालय में केस करके न्याय पा सकता है।

12.1.3 मौलिक अधिकार

- मूल अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति का ठीक से विकास नहीं हो सकता है।
- मूल अधिकार किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं बल्कि वे लोकनीति के अनुरूप सारे समाज की सुरक्षा, हित एवं कल्याण के लिए बनाये गये हैं।
 - भारत एक लोक-कल्याणकारी देश है और नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना सबसे पहला काम है।
 - न्यायालयों का भी यह काम है कि वह सजग प्रहरी के रूप में नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे।

समानता का अधिकार (अनुच्छेद-14)

- जन्म से कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। कानून के सामने सब बराबर हैं।
- छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, सबल-निर्बल, अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष और जाति के भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। (अनुच्छेद-15)
- मनुष्य-मनुष्य में अन्तर नहीं है, धर्म, मूल, देश, जन्मस्थान जाति, भाषा, लिंग के आधार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- सभी लोगों को समान रूप से दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, मनोरंजन के स्थान, कुएं तालाब, स्नानघर, सड़क आदि के उपयोग का बराबर अधिकार है।
- सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर प्राप्त हैं। (अनुच्छेद-16)

प्रश्न : क्या इस तरह का आचरण एक अपराध है?

उत्तर : हां। यह अपराध है। शोषण है। जिसके लिए मंडी समिति दोषी है।

घटना – तीन

पी.डब्ल्यू. डी. द्वारा सूखा पीड़ित लोगों की मदद के लिए सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इस सड़क निर्माण में काम दिया गया। जिसमें श्रमिक महिलाएं भी शामिल थीं।

प्रश्न : अनुच्छेद 23 – इस तरह की परिस्थितियों में किस तरह मदद करता है?

उत्तर : समान परिश्रम के साथ समान वेतन दिया जाना यानि न्यूनतम वेतन दिया जाना न्यायसंगत है। यदि निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन मिलता है तो श्रमिक अनुच्छेद 23 के अंतर्गत न्यायालय में समान वेतन की मांग कर सकता है।

- स्वतंत्रता का अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहता है।
- बोलने की स्वतंत्रता।
- सभा आयोजित करने की भी स्वतंत्रता है, बशर्ते की कानून एवं शांति भंग न हो।
- देश में कहीं भी आने जाने या रहने की स्वतंत्रता।
- नियम के अनुसार कोई भी धंधा, व्यापार, रोजगार करने की स्वतंत्रता।

जीवन जीने का अधिकार (अनुच्छेद – 21)

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानव शरीर का व्यापार, बेगार या जबरदस्ती मजदूरी कराना शोषण कहलाते हैं। ये मानवता के विरुद्ध अपराध हैं। (अनुच्छेद-23)
- मानव व्यापार अर्थात् पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों को खरीदना, बेचना, शोषण की श्रेणी में आता है। (अनुच्छेद-24)
- छुआछूत भी शोषण की श्रेणी में आता है। जिसके विरुद्ध कानूनी अधिकार है। (अनुच्छेद-17)

गिरफ्तारी और विरोध संरक्षण का अधिकार

(अनुच्छेद-22) कानूनी साक्षरता श्रृंखला के माड्यूल 11 “प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार” में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है।

- कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपराधी की गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है।
- दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गिरफ्तारी होती है।
- गिरफ्तार व्यक्ति के भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। जो नीचे लिखे अनुसार हैं—
- गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है।
- अपनी पसंद के वकील के सलाह लेने का अधिकार है।
- गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये जाने का अधिकार है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

- सभी को अपने-अपने धर्म के पालन का अधिकार है।
- कोई भी अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर समाज का कल्याण कर सकता है।
- कुरीतियों को बंद करवा सकता है।

- धार्मिक समारोह आयोजित कर सकता है।
- धार्मिक शिक्षा देने, धर्म के अनुरूप आयोजन करने, उत्सव मानने, धर्म में बताये रास्ते पर चलने का अधिकार है।
- धर्म के अपमान का अधिकार नहीं है।

संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद-29,30)

- सभी नागरिकों को अपनी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।
- समाज के सभी वर्गों को शिक्षा ग्रहण करने एवं अपनी सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखने का अधिकार है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं:

- ऊपर लिखे समस्त अधिकारों की रक्षा का अधिकार भी संविधान में नागरिकों को दिया गया है।
- मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद-32) या हाईकोर्ट (अनुच्छेद-226) जाया जा सकता है।
- लोकहित में मुकदमे भी दायर किये जा सकते हैं।
- यदि अधिकारों के साथ उनके उपचार नहीं होंगे तो ये अधिकार निरर्थक होंगे।

राष्ट्र के साठ वर्षों के लोकतांत्रिक जीवन से यह स्पष्ट हो गया कि मौलिक अधिकारों को सार्थकता प्रदान करने और उन्हें और अर्थपूर्ण बनाने के उद्देश्य से कुछ कानूनों का बनाया जाना परिस्थिति की अनिवार्यता है। इस दृष्टि से बनाये गये अनेक कानूनों में से तीन प्रमुख कानून – शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार से सम्बन्धित अधिनियमों को परिशिष्ट में विस्तार से दिया गया है। इन पर आधारित अभ्यास कार्य भी इस वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं।

जिला स्तरीय न्याय व्यवस्था

- जिले का सबसे बड़ा न्यायालय या कोर्ट, जिला न्यायालय होता है।
- इस न्यायालय के न्यायाधीश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं।
- जिला न्यायाधीश के नीचे सिविल जज और मजिस्ट्रेट होते हैं।
- फौजदारी के जिला न्यायालय को सेशन या सत्र न्यायालय कहते हैं। दीवानी को जिला न्यायालय कहते हैं।

- सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश के रूप में जिला मजिस्ट्रेट रहते हैं। उन्हें जिला न्यायाधीश कहते हैं।
- जिला मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश की सहायता के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं। इन्हें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कहते हैं।

12.1.4 हमारे विशेष अधिकारों के संरक्षण हेतु गठित आयोग

1. मानव अधिकार आयोग

- आयोग का कार्य किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना है।
- जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो और शासकीय कर्मचारी या लोक सेवक या अधिकारी उसकी सहायता करने के बजाए खुद उस व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन करने लगें तो मानव अधिकार आयोग को सादे कागज पर या फोन से पते या फोन नंबर पर शिकायत की जा सकती है।
- शिकायत प्राप्त करने पर संबंधित लोक सेवक की जांच आयोग कर सकता है और सरकार को सिफारिश या निर्देश दे सकता है।
- जिन संस्थाओं, कारखानों, अस्पतालों, जेलों, स्कूलों, सार्वजनिक जगहों पर या सुधार गृहों आदि में लोगों को आश्रय दिया जाता है या बंद रखा जाता है, जहां पर इलाज किया जाता है वहां पर सभी व्यवस्थाएं ठीक हों इसकी चिंता मानव अधिकार आयोग कर सकता है।
- अपराध होने पर एवं पुलिस को एफ.आई. आर. रिपोर्ट या सूचना देने पर भी यदि पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती या अन्य किसी भ्रष्ट कारणों से कार्यवाही होती है तो इसकी शिकायत आयोग को की जा सकती है।

2. अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में पहले एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था।
- 2003 में 87 वें संविधान अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 (क) जोड़कर अब एक के स्थान पर दो आयोग बनाये गये हैं।

पहला— राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

दूसरा— राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

- प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं।

- लगभग सभी राज्यों में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

3. अल्पसंख्यक आयोग

- अल्पसंख्यकों के विकास एवं सरकारी कामों की देखरेख।
- अल्पसंख्यक लोगों के कल्याण और संरक्षण के कार्यों को निगरानी।
- अल्पसंख्यकों को विकास, कल्याण और संरक्षण से वंचित करने की शिकायतों का शासन से निराकरण कराना।
- अल्पसंख्यकों से भेदभाव रोकने संबंधी उपायों की सिफारिश करना।
- अल्पसंख्यक के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास का अध्ययन, शोध एवं विश्लेषण करना।
- जब किसी अल्पसंख्यक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह आयोग से शिकायत कर सकता है।
- आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं।
- वह प्रकरण पंजीबद्ध कर नोटिस जारी करता है।
- दोषी पाये जाने पर सरकारी कार्यवाही के लिये लिखता है।
- अल्पसंख्यकों के लिये अनेक योजनायें इस आयोग के माध्यम से चल रही हैं।

4. महिला आयोग

केन्द्र में राष्ट्रीय महिला आयोग एवं पूरे देश में प्रत्येक प्रान्त में राज्य महिला आयोग बनाये गये हैं। (इसके बारे में अधिक विस्तार से जानकारी माड्यूल 11 महिला विकास एवं सशक्तीकरण में दी गयी है।)

महिला आयोग के कार्य

- देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
- महिलाओं के हितों की देखभाल एवं उनकी सुरक्षा करना।
- महिलाओं से भेदभाव को खत्म करना।
- महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान को सुनिश्चित करना।
- महिलाओं को विकास के बराबर मौके दिलाना।
- महिलाओं पर होने वाले अत्याचार या अपराध पर कार्यवाही करना।

महिला आयोग को सिविल कोर्ट के अधिकार हैं जो—

- किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेज कर हाजिर करा सकता है। शपथ—पत्र लेकर जांच कर सकता है।
- दस्तावेज/कागज मंगा सकता है।

- शपथ—पत्र पर सबूत ले सकता है।
- महिला के अधिकार की रक्षा करने का काम आयोग करता है।
- किसी महिला के साथ अत्याचार होने पर वह लिखे पते पर सादे कागज पर आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती है, जिस पर कार्यवाही की जाती है और महिला को न्याय दिलाया जाता है।

5. पिछड़ा वर्ग आयोग

आयोग के उद्देश्य

- पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिये बनाये कानून और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
- पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिये योजना और नीति बनाना।
- पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक विकास के कार्यक्रम तैयार करना।
- पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा एवं कॉलेज शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति दिलाना।

हमने जाना

1. संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। बाकी सब कानून इसी से बनते हैं।
2. संविधान को सारी ताकत देश की जनता से मिली है।
3. भारत के संविधान में सभी लोगों के कल्याण की बात कही गयी है।
4. कानून एक माध्यम है जिसके जरिए हमें न्याय मिलता है।
5. संविधान के भाग-3 में हमें कुछ मौलिक अधिकार किये गये हैं। हमारे विशेष अधिकारों की रक्षा हेतु कई महत्वपूर्ण आयोग भी गठित किए हैं। जिनके माध्यम से विशेष वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है।
6. मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक हैं।
7. मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों को लागू करा सकता है।
8. अनुच्छेद-32 में वर्णित अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है क्योंकि यह मूल अधिकार-अन्य अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति को न्यायालय में जाने के लिये सक्षम बनाता है।

9. हमारे देश में केन्द्र से लेकर तहसील तक सभी स्तरों पर न्यायालय स्थापित हैं।
10. दीवानी न्यायालय हमारे अधिकारों को लागू करने और विवादों के निपटारे में मदद करते हैं।
11. फौजदारी या दाण्डिक न्यायालय भी अपराधियों को सजा देने और विवादों को सुलझाने का काम करते हैं।
12. समाज में कमजोर तथा न्याय से वंचित वर्गों के विकास के लिये विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन किया गया है।
13. इन आयोगों को दीवानी न्यायालयों की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
14. कोई भी पीड़ित व्यक्ति इन आयोगों में आवेदन देकर अपनी पीड़ा या समस्याओं का उपचार प्राप्त कर सकता है।

कठिन शब्दों के अर्थ

इस इकाई के इस भाग में हम संविधान की प्रस्तावना को सरल शब्दों में समझा रहे हैं :-

- **भारत के लोग**— इसमें हम सभी आते हैं।
- **संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न**—अर्थात् भारत अब किसी का गुलाम नहीं है।
- **समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य**— सबको समान अधिकार हैं अर्थात् समाजवादी सभी पंथों का आदर जिसमें किसी भी पंथ को विशेष छूट नहीं है। सभी पंथ समान अर्थात् धर्म निरपेक्ष जनता का जनता के लिए जनता द्वारा सरकार चलाना शामिल है। यही लोकतंत्र है।
- **तीन न्याय** — आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक।
- **चार स्वतंत्रता**— विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना।
- **दो समानता**— प्रतिष्ठा एवं अवसर।
- इन सबसे सभी व्यक्तियों का सम्मान और अपने देश को एक रखने वाली आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर संविधान को स्वीकार एवं लागू करते हैं।
- उक्त समस्त बातें हमारे देश में संविधान की मूल भावना हैं। जिसके अंतर्गत ही हमारे देश में सभी कामकाज होते हैं।
- इन सब बातों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता।
- उक्त न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता इस देश के सभी लोगों को एक साथ एक समान मिली हुई है इसी के आधार पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करते हैं।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. संविधान के किस भाग में मूल अधिकार बताये गये हैं ?
 2. संविधान में A-19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गयी है ?
 3. कौन सी स्वतंत्रता को ? किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है ?
 4. अनुच्छेद 32 क्या है ?
 5. मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है ?
 6. संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग-अलग किया है ?
 7. आयोग को दीवानी न्यायालय की कौन-कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं ?
-

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- आईसेक्ट द्वारा निर्मित "कानून को जानें" श्रृंखला में जो भी पुस्तकें तैयार की गई हैं उनमें लेखकों द्वारा संदर्भ सामग्री के रूप में उन प्रतिष्ठित पुस्तक-पुस्तिकाओं की मदद ली गई है जो कानून की सटीक जानकारी देकर "न्याय तक पहुंच" परियोजना को सफल बनाने में ज्यादा उपयोगी हो सकें जैसे : कानून संबंधी प्रकाशन, कानूनी साक्षरता एवं प्रशिक्षण से जुड़ी संस्था मार्ग, सभी संबंधित राज्य संसाधन केन्द्र, जामिया मिलिया-नई दिल्ली, उत्तरांचल राज्य महिला आयोग एवं संबंधित राज्यों के राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण।
- भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप भारत का संविधान शीर्षक से प्रकाशित श्री डी. डी. बसु और श्री सुभाष कश्यप की लोकप्रिय पुस्तकों को पढ़ सकते हैं।

12.2 :जन अधिकारों का संरक्षण : प्रमुख प्रावधान एवं प्रक्रिया

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि—

- जन अधिकारों के संरक्षण के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- जन अधिकारों की रक्षा के लिये कानूनी सहायता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है?
- लोक अदालत और मध्यस्तता से कैसे समस्याओं का विधिक समाधान निकाला जा सकता है?

12.2.1 जनहित—वाद का परिचय, प्रकार, इतिहास और पृष्ठभूमि

जनहित—वाद : एक परिचय

जनहित वाद समाज के निर्धन, अशिक्षित एवं कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए है। साधारणतः कोई व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों अथवा अन्य अधिकारों का उल्लंघन होता है वह संविधान के अनुच्छेद 32 अथवा 226 के तहत न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। जन—हितवाद इस सामान्य नियम का अपवाद है जिसमें न्यायालय पीड़ित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, समूह या संगठन को उस पीड़ित व्यक्ति की ओर से याचिका दायर करने की अनुमति देता है। इसके लिए न्यायालय द्वारा “सुने जाने के अधिकार” (Locus Standi) में छूट देते हुए “प्रास्थिति का उदारीकरण” किया जाता है, जिससे पीड़ित पक्षकार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, समूह या संगठन वाद ला सकता है। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि पीड़ित व्यक्ति की ओर से याचिका लाने वाला व्यक्ति समूह या संगठन, लोकभावना एवं सद्भाव से याचिका प्रस्तुत करे और उनका उद्देश्य वंचितों को विधिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिलाना हो। जनहितवाद न्याय को समाज के निर्धन एवं निःशक्त वर्ग द्वारा सुगमता से पहुँचने योग्य बनाने के लिये किया गया है।

जनहित—वाद उत्पत्ति

जनहित वाद शब्द को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में इसके बीज 1976 में बोये गये थे। किन्तु जनहित वाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर एवं न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा किया गया था तथा न्यायालय ने इसकी स्थापना एस. पी. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में की थी।

संविधान में जनहित—वाद

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को समान न्याय दिये जाने की भावना पर बल देता है। अनुच्छेद 14 सामान्य न्याय को सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद नागरिकों को समानता के विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के प्रावधान तथा सामान्य न्याय की संकल्पना अर्थहीन हो जायेगी, यदि समाज के निर्धन, अशिक्षित अथवा कमजोर व्यक्तियों तक न्याय की पहुँच नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार को सम्मिलित माना है।

इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित अनुच्छेद 39—क में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और आर्थिक या अन्य किसी निरोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। विधि के शासन में यदि कोई व्यक्ति अपनी निर्धनता, अशिक्षा या किसी अक्षमता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, तो विधि का शासन स्थापित नहीं हो पायेगा। इन्हीं सब कारणों से प्रकरण में 'सुने जाने के अधिकार' को शिथिल करते हुए ऐसे व्यक्तियों की ओर से किसी व्यक्ति या समूह या संगठन को यह अनुमति दी गई कि वह ऐसे अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

जनहित—वाद के प्रयोग के साथ बरती जाने वाली सावधानियाँ

न्यायालय को जनहित—वाद के मामलों में अत्यधिक सतर्कता से काम लेते हुये जनहित वाद के दुरुपयोग के प्रति सजग रहना चाहिये। न्यायालय को यह देखना चाहिये कि जनहित—वाद के पीछे कोई व्यक्तिगत विद्वेष, स्वार्थ अथवा प्रचार का आशय न छुपा हुआ हो।

जनहित—वाद प्रस्तुत करने के माध्यम

जनहित—वाद सामान्यतः आवेदन या याचिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि पूर्व के कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों को समाचार पत्र अथवा पत्र के माध्यमों से प्राप्त जानकारी को याचिका के रूप में स्वीकार किया गया है। न्यायालय में बढ़ते जनहित वादों की संख्या एवं इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये न्यायालय ने कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाना भी आवश्यक कर दिया है। न्यायालय द्वारा जनहित वाद याचिका का दुरुपयोग रोकने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति पर आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

जनहित याचिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

1. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1984 एस.सी. के मामले में पत्र के माध्यम से हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में बंधुआ श्रमिकों की रिहाई के लिये प्रार्थना की गई थी। न्यायालय द्वारा पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार कर बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति की कार्यवाही की गयी।
2. हुसैन आरा खातून बनाम स्टेट आफ बिहार ए.आई.आर. 1979 एस.सी. के मामले में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका समाचार पत्र के आधार पर प्रस्तुत की गई। न्यायालय में समाचार पत्र की रिपोर्ट को याचिका के रूप में स्वीकार कर रिपोर्ट में नामित सभी विचाराधीन बन्दियों को रिहा करने का आदेश दिया।
3. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1987 एस.सी. इस मामले में श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीज लि. प्लांट से गैस रिसाव से पीड़ित लोगों को प्रतिकर की राशि दिलायी गयी।
4. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1988 एस.सी. यह जनहित वाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम के लिये सम्बन्धित वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के निर्देश जारी किये थे।
5. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1992 एस.सी. मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया था कि वह पर्यावरण से सम्बन्धित सूचना का विस्तार करे और उसे अनिवार्य रूप से स्कूल एवं कॉलेजों में अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करे।
6. एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1981 एस.सी. के मामले में न्यायालय ने सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित माना है।
7. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. के मामले में कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक रूप से परेशान किया जाना अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 में निहित लिंग की समानता तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन मानकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं।

8. डी.के. बासू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए.आई.आर. 1997 एस. सी. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा यातना अथवा अमानवीय बर्ताव के निवारण के लिये विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों एवं गरिमा का संरक्षण किया है।

इसके अतिरिक्त निम्न मामलों को भी जनहित वाद के रूप में स्वीकार किया गया है:—

- (क) उपेक्षित बच्चे,
- (ख) बंधुआ श्रम के मामले
- (ग) कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना और नैमित्तिक कर्मकारों का शोषण तथा श्रम विधियों के उल्लंघन से सम्बन्धित परिवाद (व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर)
- (घ) बन्दीगृहों से आने वाली याचिकायें जिनमें उत्पीड़न के परिवाद अथवा समयपूर्ण रिहाई, बन्दीगृह में मृत्यु, अन्तरण, व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई, शीघ्र विचारण आदि शामिल होते हैं।
- (ङ) महिलाओं के उत्पीड़न, वधू के जलाये जाने, बलात्कार, हत्या आदि के विरुद्ध याचिकायें।
- (च) किसी मामले को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने पर पुलिस के विरुद्ध याचिकायें तथा पुलिस द्वारा प्रताणित किये जाने तथा पुलिस अभिरक्षा में हुयी मृत्यु के विरुद्ध याचिकायें,
- (छ) ऐसी याचिकायें जिनमें ग्रामीणों का सह-ग्रामीणों द्वारा परेशान किये जाने या यातना दिये जाने का परिवाद सम्मिलित हो अथवा पुलिस द्वारा उत्पीड़न, यातना या परेशान करने के विरुद्ध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा किया गया परिवाद सम्मिलित हो।
- (ज) दंगों से पीड़ित व्यक्तियों की याचिकायें,
- (झ) पारिवारिक पेंशन से सम्बन्धित याचिकायें,
- (ट) पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी संतुलन की गड़बड़ी, वन एवं जंगली जीवन के रख-रखाव, विरासत एवं संस्कृति के पोषण और सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से सम्बन्धित याचिकायें।

न्यायालय में लम्बित रहने वाले मामलों की शीघ्र सुनवाई से सम्बन्धित याचिकायें, सेवा मामलों, पेंशन एवं उपादन से सम्बन्धित याचिकायें, भवनस्वामी, किरायेदार के मामलों से सम्बन्धित याचिकायें, मेडिकल एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से सम्बन्धित याचिकाओं को जनहित वाद के रूप में ग्रहण किया जायेगा। मानवाधिकार के संरक्षण में जनहित वाद का विशेष योगदान रहा है।

जनहितवाद याचिका के प्रयोग के साथ बरती जाने वाली सावधानी

न्यायालय द्वारा जनहितवाद के मामलों में अत्यधिक सतर्कता से काम लेते हुए जनहितवाद के दुरुपयोग को रोका जाता है। न्यायालय द्वारा यह भी देखा जाता है कि जनहितवाद के पीछे कोई व्यक्तिगत विद्वेष, स्वार्थ या प्रचार का आशय तो नहीं छुपा हुआ है। न्यायालयों द्वारा जनहितवाद के दुरुपयोग को रोकने के लिए आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

हमने जाना

- सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके विधिक या संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ हो, वही अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है।
- उसे न्यायालय के समक्ष अपनी बात कहने अर्थात् सुने जाने का अधिकार (Local Standi) प्राप्त है।
- यदि वह पीड़ित व्यक्ति अशिक्षा, निर्धनता, विधिक अज्ञानता या किसी अन्य अक्षमता से ग्रस्त है, तो उसकी ओर से उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई वाद किसी अन्य व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा लाया जा सकता है।
- इसे प्रास्थिति का उदारीकरण या सुने जाने के अधिकार का शिथिलीकरण कहा जाता है।
- किसी अन्य द्वारा प्रस्तुत इस वाद/याचिका को जनहितवाद/याचिका कहा जाता है।
- जनहित वाद हेतु यह आवश्यक है कि यह वाद व्यक्तिगत स्वार्थ, द्वेष या लाभ के लिए नहीं बल्कि सद्भावपूर्वक न्याय हेतु न्यायालय के समक्ष लाया गया हो।
- जनहित वाद याचिका का दुरुपयोग करने पर न्यायालय द्वारा आर्थिक दण्ड देने का भी प्रावधान है।
- निःशुल्क विधि सेवा के समान ही जनहितवाद भी मानवाधिकार संरक्षण की महत्वपूर्ण युक्ति है।

कठिन शब्दों के अर्थ

LOCUS STANDI – सुने जाने का अधिकार

PIL- Public – Public Interest Litigation

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. जनहितवाद क्या है?
 2. प्रास्थिति का उदारीकरण या सुने जाने के अधिकार का शिथिलीकरण क्या है?
 3. जनहितवाद किन-किन मामलों में लाये जा सकते हैं?
 4. जनहितवाद के दुरुपयोग करने पर क्या किसी दण्ड का प्रावधान है?
-

12.2.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम का उद्देश्य

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्द्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

सूचना का अधिकार क्या है?

प्रत्येक नागरिक को अधिनियम के अधीन सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। सूचना के अधिकार से अभिप्राय “पहुंच योग्य सूचना” से है, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित किया गया है— दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण, उनकी प्रमाणित प्रति लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, जहां सूचना एक वीडियो इत्यादि इलेक्ट्रानिक रीति में या कम्प्यूटर इत्यादि में भंडारित की जाती है, को अभिप्राप्त करना।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध एवं उसका निपटारा

कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 6 (1) के अधीन सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रानिक रीति के माध्यम से ऐसी फीस के साथ जो निश्चित की जाए आवेदन कर सकता है। जिसे संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराया जायेगा अथवा सूचना को प्रकट किये जाने से छूट अथवा अस्वीकृति करने की स्थिति में सूचना प्रदान करने के अनुरोध को अस्वीकार किया जायेगा।

नोट— अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्मित सूचना का अधिकार नियम के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु विहित आवेदन के साथ 10 रुपये के गैर-न्यायिक स्टैम्प या चालान इत्यादि द्वारा विहित शुल्क निर्धारित है, साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम अनुसार विहित शुल्क की राशि 50 रुपये निर्धारित है। इसके अतिरिक्त सूचना के अधीन प्रदान किये जाने वाले प्रति पृष्ठ दो रुपये/तीन रुपये की दर पृष्ठ आकार के अनुसार निर्धारित है।

सूचना आयोग एवं सूचना आयुक्त

केन्द्रीय सूचना आयोग

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जो मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम् 10 केन्द्रीय सूचना उपायुक्त से मिलकर बनता है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पदधारण कर सकता है।

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जो मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम् 10 राज्य सूचना उपायुक्त से मिलकर बनता है। जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पदधारण कर सकता है।

अपील संबंधी प्रावधान

कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित/निराश है, ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण (संबंधित विभाग) में लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ पंक्ति का है।

ऐसे वरिष्ठ पंक्ति के अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील विनिश्चय प्राप्ति के 90 दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी।

सूचना प्राप्त करने के लिए मॉडल प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) अंतर्गत आवेदनपत्र

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी

(विभाग / कार्यालय)

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता
3. मांगी गई सूचना और ब्यौरा (संक्षेप में)
4. मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैंने रुपये (शब्दों में) तिथि को रसीद सं. से विभाग/कार्यालय में भुगतान किया है।
(2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं. दिनांक जो पदाधिकारी के पक्ष में बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।
(3) मैंने रुपये का नान-जुडीशिय स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।
(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

ई-मेल पता, अगर कोई हो :

दूरभाष संख्या :

(कार्यालय) (आवास)

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :

नोट— गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं।

जो लागू नहीं है उसे काट दें।

12.2.3 कानूनी सहायता :

भारत प्राचीनकाल से ही न्यायप्रिय देश रहा है। नीति, न्याय, धर्म उसके आदर्श रहे हैं। जिसमें असहाय व निर्बल व्यक्तियों का बचाव किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के निर्णयों एवं 39-A के उपबंधों में राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करे।

कानूनी सहायता क्या है?

कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से इसलिए वंचित न रहे कि धन की कमी या अन्य किसी कारण से उसे वकील की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो सकीं। कानून ने उसे वकील एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। इसे ही कानूनी सहायता कहा जाता है।

दीवानी मुकदमों में उपलब्ध सेवायें—


कोई भी पक्ष अनसुना न रहे इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी मामले में किसी पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए कोई उचित वकील नहीं है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति के लिए किसी वकील को नियुक्त कर सकता है। साथ ही कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गरीब है फीस अदा किए बिना भी केस दायर कर सकता है।

अगर पक्षकार से वकील पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में विधिक सेवा अधिकारी से की जा सकती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत मिलने वाली कानूनी सहायता

धारा 304 के अनुसार जहां कोर्ट को ऐसा लगेगा कि अभियुक्त के पास अपने बचाव के लिए वकील की नियुक्ति करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं तो वह राज्य के खर्च पर वकील उपलब्ध करायेगा।

कानूनी सहायता के तीन स्तर —



राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय राज्य के प्रमुख शहर में होता है जैसे : मध्य प्रदेश में जबलपुर में, उड़ीसा में कटक में, राजस्थान में जयपुर में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में, बिहार में पटना में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में तथा झारखण्ड में रांची में हैं। प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय है। ठीक इसी प्रकार तहसील स्तर पर तहसील या तालुका विधिक सेवा समिति का कार्यालय स्थित होता है। कोई भी पात्र व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में अपना मुकदमा लगाना चाहता है या उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में प्रकरण या केस चल रहा है तो वह उच्च न्यायालय के लिए विधिक सेवा समिति को आवेदन देकर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

जिले में सभी प्रकार के न्यायालयों में कानूनी सहायता –

कोई भी पात्र व्यक्ति जिसे किसी अदालत में मुकदमा चलाना है तो वह संबंधित न्यायालय में जैसे जिला न्यायालय के ऑफिस जाकर जिला न्यायाधीश या सचिव या जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

तहसील में कानूनी सहायता –

जिले की किसी भी अदालत में कानूनी सहायता प्राप्त करने लिए जिला न्यायालय के ऑफिस जाकर सचिव या जिला न्यायाधीश के नाम आवेदन देना होता है। ठीक उसी प्रकार तहसील में यदि कोई पात्र व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है तो उसे तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के नाम से कानूनी सहायता के लिए आवेदन देना होगा। उसके पश्चात वह कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

12.2.4 लोक अदालत

आओ लोक अदालत में जायें। परस्पर समझौते से मामला निपटायें।।

लोगों को शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, आपसी समझौते के आधार पर विवादों का निराकरण किया जाता है। मामले के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है।

किस प्रकार के मामलों का निराकरण लोक अदालत में किया जाता है—

मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती है :-

- (1) ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन हैं, पेंडिंग / लंबित वाद
- (2) ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं (प्रीलिटिगेशन)

लोक अदालतों के प्रकार

वर्तमान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निम्न प्रकार की लोक अदालतों का आयोजन कराया जा रहा है—

1. नेशनल लोक अदालत
2. मेगा लोक अदालत
3. मासिक नेशनल लोक अदालत
4. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत
5. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22(बी)के अंतर्गत)
6. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत
7. जेल लोक अदालत
8. प्ली-बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत प्रकरण
9. मोबाइल लोक अदालत
10. पारिवारिक महिला लोक अदालत



लोक अदालत के लाभ

1. पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है तथा दुश्मनी/वैमनस्यता समाप्त हो जाती है।
2. समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है।
3. लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्ट फीस 10 प्रतिशत काटकर शेष वापिस हो जाती है।
4. लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश/डिक्री/अवार्ड के विरुद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती।
5. मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है।
6. पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

मेगा लोक अदालत का आयोजन

वर्ष में पूरे प्रदेश में समस्त जिले में (वृहद्) मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमें एक ही दिन में लाखों की तादाद में प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।

लोक अदालत का आयोजन

न्यायालयों में लंबित प्रकरणों तथा मुकदमेबाजी के पूर्व के विवादों (प्री-लिटिगेशन) को आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किये जाने के लिये लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। सामान्यतः किसी भी शनिवार के दिन न्यायालयीन समय पर उच्च न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। पक्षकारगण आवदेन देकर अपने मामले का निराकरण आपसी समझौता/सुलह के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं।

लोक अदालतों की सफलता

मध्यप्रदेश में लोक अदालतें काफी सफल हो रही हैं। उच्च न्यायालय के स्तर पर अनेक प्रकरणों का फैसला (निराकरण) आपसी समझौते के द्वारा किया जा चुका है। यह देखा गया है कि वैवाहिक विवाद, सेवा संबंधी विवाद, विशेषकर सड़क दुर्घटना के कारण क्षतिपूर्ति प्राप्ति के मामले, अपराधिक प्रकरण, विद्युत प्रदाय किये जाने संबंधी विवाद, बँटवारे के दस्तावेज चैक अनावरण (चेक बाउंस) संबंधी प्रकरण तथा बैंक के दावों का भी निराकरण लोक अदालतों में आपसी समझौते के द्वारा हुआ है और हो रहा है। बैंक वसूली के मामलों में प्री-लिटिगेशन लोक अदालतें एक प्रभावी संस्था के रूप में उभरी हैं। इस दिशा में निरन्तर प्रयास चल रहा है कि ऋणी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो सके तथा बैंक/संस्था को बकाया पैसों की वसूली हो सके।

हमने जाना

- विवादों के निराकरण हेतु सामान्य न्यायिक प्रणाली के अतिरिक्त वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीक भी उपलब्ध है।
- इस तकनीक को सिविल प्रक्रिया 1907 की धारा 89 में विधिक प्रावधान किया गया है।
- लोक अदालत भी वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीक में सम्मिलित है।
- लोक अदालत में मामलों का निराकरण पारस्परिक सहमति या समझौते से होता है।
- पारस्परिक सहमति पर आधारित इस समझौते को कानूनी रूप में अवार्ड के रूप में पारित किया जाता है।
- लोक अदालत में पारित यह अवार्ड अंतिम होता है अर्थात् इसकी अपील नहीं होती है।

- लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निराकरण होने से विवादों में लगने वाले अनावश्यक व्यय, समय और शक्ति की बचत होती है।
- लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निराकरण होने से विवादों में पक्षकारों के मध्य वैमनस्यता समाप्त होकर सद्भाव कायम होता है।
- लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निराकरण होने से न्यायालय में जमा कोर्ट फीस की वापसी हो जाती है।
- न्यायालय में लंबित विवादों के अतिरिक्त पूर्व वाद की स्थिति वाले मामले (प्री-लिटिगेशन वाद) निराकरण हेतु लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।

कठिन शब्दों के अर्थ

लोक अदालत— शिविर लगाकर वादों के निपटारे की व्यवस्था।

प्री-लिटिगेशन वाद— ऐसा वाद जो न्यायालय में दाखिल न हुआ हो।

अवार्ड— लोक अदालतों के फैसले।

न्याय शुल्क— अदालतों की फीस।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीक क्या है?
2. वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीक से संबंधित उपबन्ध कहाँ वर्णित हैं?
3. लोक अदालत की क्या विशेषता है?
4. लोक अदालत के लाभ क्या हैं?
5. क्या लोक अदालत में पारित निर्णय/अवार्ड अंतिम होता है?
6. क्या लोक अदालत में मामला निर्णित होने पर कोर्ट में वापसी का भी प्रावधान है?
8. क्या लोक अदालत में पूर्व वाद स्थिति वाले मामले प्री-लिटिगेशन वाद भी विचार हेतु रखे जा सकते हैं?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- National Legal Services Authority Rules-1997

12.2.5 मध्यस्थता

चलो चलें मध्यस्थता केन्द्र, जहाँ पर न्याय मिले।

मध्यस्थता क्या है?

- मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है।
- इसमें विभिन्न पक्ष अपने विवाद को सभी दृष्टिकोण से मापते हैं।
- इसमें मध्यस्थता अधिकारी दबाव रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा कराता है।



मध्यस्थता में क्या होता है?


- सभी पक्ष अपने हर मुद्दे को मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं, जिसमें मध्यस्थ अधिकारी विवाद की जड़ तक पहुँच सकता है।
- सभी पक्ष अपनी इच्छा के सद्भावपूर्ण वातावरण में विवाद का समाधान निकालते हैं।

मध्यस्थ कौन हो सकते हैं?

- न्यायाधीश, या
- अधिवक्ता, या
- कोई अन्य व्यक्ति जो निष्पक्ष मध्यस्थता के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित है।

मध्यस्थता प्रणाली

- मध्यस्थ सभी पक्षों को मध्यस्थता प्रक्रिया के नियमों एवं गोपनीयता के बारे में बताता है।
- जिससे विवाद के प्रति निपटारे के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है।
- बातचीत से उत्पन्न विभिन्न समीकरणों को पक्षों के समक्ष रखा जाता है।
- विवाद के निवारण उपरांत सभी पक्षों द्वारा समझौते की पुष्टि होती है।



- सभी पक्षों के हितों की पहचान होती है।
- समझौते की शर्तें स्पष्ट अंकित होती हैं।

मध्यस्थता के लाभ

- विवाद का अविलम्ब व शीघ्र समाधान।
- समय तथा खर्चों की किफायत।
- न्यायालय की कठिन और लंबी प्रक्रिया से राहत।
- अत्यधिक सरल व सुविधाजनक प्रक्रिया।
- विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी व सर्वमान्य समाधान।
- समाधान में पक्षों की सहमति को महत्व।
- अनौपचारिक, निजी तथा पूर्ण गोपनीय प्रक्रिया।
- सामाजिक सद्भाव कायम रखने में सहायक।
- मध्यस्थ वाले मामलों में कोई अपील या संशोधन नहीं होता, विवाद का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है।
- मध्यस्थता में विवाद निपटाने पर, वादी कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 16 के तहत पूरा न्यायालय शुल्क वापिस लेने का हकदार होता है।

विवादों से हानि

- समय की बर्बादी, अंतहीन विलंब
- मानसिक शांति भंग
- धन की हानि
- आपसी घृणा और वैमनस्य
- तनाव की स्थिति
- झूठे अहम को बढ़ावा
- असंतोष

मध्यस्थता हेतु क्या करें?

- मध्यस्थता हेतु आवेदन स्वयं दिया जा सकता है अथवा
- मामला न्यायालय द्वारा निर्देशित भी किया जा सकता है।

हमने जाना

1. मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है।
2. सभी पक्ष अपने हर मुद्दे को मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं, जिसमें मध्यस्थ अधिकारी विवाद की जड़ तक पहुँच सकता है।
3. सभी पक्ष अपनी इच्छा के सद्भावपूर्ण वातावरण में विवाद का समाधान निकालते हैं।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. मध्यस्थता क्या है?
2. मध्यस्थता एवं लोक अदालत में क्या भिन्नता है?
3. मध्यस्थता केन्द्र कहां स्थापित है?
4. मध्यस्थता हेतु आवेदन किसके द्वारा दिये जायेगा?
5. मध्यस्थता के क्या लाभ हैं?
6. मध्यस्थता के दौरान की गई चर्चा को क्या गुप्त रखा जाता है?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- Handbook on Mediation

उद्देश्य एवं विस्तार

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवायें प्रदान करने तथा उसे सशक्त एवं आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा गारण्टी अधिनियम 2010 अधिनियमित (निर्मित) किया गया है, जिसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2010 में उपबन्धित विभिन्न प्रावधान

मध्यप्रदेश शासन समय-समय पर अधिनियम के अधीन प्रदान की जाने वाली सेवाओं, संबंधित सेवा को प्रदान करने के लिए अधिसूचित पदाभिहित अधिकारियों एवं पदाभिहित अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के आवेदन को नामंजूर करने की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी साथ ही प्रथम अपील अधिकारी द्वारा किये गये विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकारी एवं अधिकतम समय-सीमा जिसके भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा प्रदान की जाती है, को समय-समय पर अधिसूचित (नोटीफाइड) कर सकेगी, जिन पर अधिनियम लागू होगा।

निश्चित की गई समय-सीमा में सेवा प्रदान करना

अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारी को या प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी सम्यक स्वीकृति दी जायेगी। संबंधित अधिकारी आवेदनपत्र प्राप्त होने पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से निश्चित की गई समय-सीमा में या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा।

प्रथम अपील हेतु प्रावधान

आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में या निश्चित समय-सीमा में सेवा प्रदान नहीं किये जाने पर आवेदक अपने द्वारा दिये गये आवेदन के नामंजूर होने की तारीख से या निश्चित समय-सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपील प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी को कर सकेगा।

प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा।

द्वितीय अपील हेतु प्रावधान

प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60 दिवस के भीतर द्वितीय अपील की जा सकती है।

द्वितीय अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा साथ ही अधिनियम के प्रावधानों अनुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित कर सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा।

प्रथम अपील अधिकारी एवं द्वितीय अपील अधिकारी को अपील का विनिश्चय करते समय वही शक्तियां होंगी जो कि किसी वाद विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं।

शास्ति संबंधी प्रावधान

- क. जहाँ कि द्वितीय अपील अधिकारी की राय है कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है, तो वह उस पर एक मुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपये से कम तथा 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
- ख. जहाँ कि द्वितीय अपील अधिकारी की राय है कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलम्ब किया है, तो वह उस पर ऐसे विलम्ब के लिए रुपये 250 प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो कि अधिकतम रुपये 5000 हो सकेगी।
- ग. जहाँ कि द्वितीय अपील अधिकारी की राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय-सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है, तो वह प्रथम अपील प्राधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपये कम तथा 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
- घ. यदि आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान

द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपिक करने संबंधी दिये गये किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिवस की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010

मध्यप्रदेश शासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 की धारा 10 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली और प्रतिकर के भुगतान के लिए प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये गये हैं, जो सारांश में निम्नानुसार है—

- आवेदन प्राप्त करने हेतु पदाभिहित अधिकारी अपने अधीनस्त अधिकारी अथवा कर्मचारी को आवेदन प्राप्त करने एवं अभिस्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत करे।
- आवेदक को प्राधिकृत व्यक्ति प्रारूप-1 में अभिस्वीकृति देगा, जिसमें निश्चित की गई समय-सीमा का उल्लेख किया जाएगा।
- सेवा प्रदान करने हेतु निश्चित की गई समय-सीमा में सार्वजनिक अवकाश दिवस सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
- अपील अथवा पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा।
- अपील और पुनरीक्षण के आवेदन में आवेदक का नाम, पता, संबंधित अधिकारी का नाम एवं पता जिसके विनिश्चय के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण का आवेदन किया गया है। साथ ही संबंधित आदेश की विशिष्टियां, अपील अथवा पुनरीक्षण के आधार, चाही गई राहत संबंधी जानकारियां सम्मिलित की जायेंगी।
- अपील अथवा पुनरीक्षण में संबंधित आदेश की स्वप्रमाणित प्रति, आवेदन में उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियां अनुक्रमणिका के साथ एवं पुनरीक्षण के आवेदन में शास्ति जमा किये जाने का सबूत संलग्न किया जायेगा।
- अपील पुनरीक्षण आवेदन की सुनवाई की सूचना की तामील स्वयं पक्षकार द्वारा या दस्ती परिदान द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विभाग के माध्यम से, किसी एक रीति से की जा सकेगी।
- अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सुनवाई की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व सूचित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में या तो वह स्वयं उपस्थित हो सकेगा या उपस्थित न होने का विकल्प ले सकेगा।

- अपील अथवा पुनरीक्षण का आदेश खुली कार्यवाहियों में सुनाया जाएगा जो संबंधित अधिकारी द्वारा लिखित में होगा एवं जिसकी प्रति संबंधित अधिकारी एवं अपीलार्थी को दी जायेगी।

उपरोक्त गारण्टी अधिनियम, 2010 एवं नियम, 2010 के अधीन रहते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न विभागों के संबंध में चिन्हित सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी एवं अपील के निराकरण की समय-सीमा संबंधित विस्तृत व्यौरा एवं आवेदन अभिस्वीकृति, नोटिस बोर्ड, संबंधी प्रारूप मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2010 में वर्णित किये गये हैं। अतः विस्तृत जानकारी हेतु उपरोक्त अधिनियम, 2010 का अवलोकन संदर्भ रूप में किया जा सकता है।

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि—

- विधिक सेवा प्राधिकरणों के गठन के क्या उद्देश्य हैं?
- प्राधिकरण नागरिकों को कौन-कौन सी विधिक सेवायें उपलब्ध कराता है?
- विवाद मुक्त समाज की स्थापना में प्राधिकरण की क्या उपादेयता है?

12.3.1 प्रारंभिक परिचय एवं विषय प्रवेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

अधिनियम का उद्देश्य

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को अधिनियमन समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरणों के गठन करने के लिए किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय को सुनिश्चित किये जाने के अवसर से कोई नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण वंचित न रह जाए जोकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39-क के अधीन राज्य के कर्तव्य के रूप में अधिरोपित है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना करता है। इसमें लोक अदालतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन उपबन्धित एवं गठित विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा एवं विधिक सहायता संबंधी विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। अतः यह महत्वपूर्ण होगा कि सर्वप्रथम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा विभिन्न स्तरों पर गठित प्राधिकरणों एवं समितियों का परिचय प्राप्त हो, जिससे कि विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरणों द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित की जा रही विधिक सेवा संबंधी योजनाओं के उद्देश्य को समझा जा सके।

संगठन

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके मुख्य संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं एवं जिसके कार्यपालक अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जोकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संगठन में उपरोक्त के अतिरिक्त सदस्य एवं पदेन सदस्य सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली के नियम 4 में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियम 5 के अधीन योग्यता रखने वाले भारतीय न्यायिक सेवा या राज्य उच्च न्यायिक सेवा या अन्य संगठित केन्द्रीय सेवाओं या संगठित राज्य सेवा के किसी सदस्य को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव नियुक्त कर सकती है।

कार्य एवं शक्तियाँ

केन्द्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 के अधीन केन्द्रीय स्तर पर विधिक सेवाओं के उपलब्ध करवाने हेतु नीतियों एवं सिद्धांतों का निर्माण, विभिन्न योजनाओं का, निधियों का, राज्य प्राधिकरणों को आवंटन एवं राष्ट्रीय स्तर पर समाज के कमजोर वर्गों हेतु विभिन्न विधिक सेवाओं के पर्यवेक्षण, दिशा निर्देशन, प्रशिक्षण इत्यादि संबंधी कार्यों को क्रियान्वित एवं निर्देशित करता है।

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3-क में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का प्रावधान है, जिसमें केन्द्रीय प्राधिकरण एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जायेगा।

संगठन

उच्चतम न्यायालय का पदासीन न्यायाधीश समिति का अध्यक्ष होगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति इसके अन्य सदस्य होंगे। साथ ही इसमें पदेन सदस्यों का भी प्रावधान है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुभव एवं अर्हता वाले व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश समिति के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा।

कार्य एवं शक्तियां

उपरोक्त समिति का गठन केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित विनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों के प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) / राज्य प्राधिकरण

संगठन

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रत्येक राज्य सरकार एक निकाय का गठन करती है जिसे अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण को प्रदान किये गये अथवा सौंपे गये कार्यों को पूरा करने के लिए तथा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जायेगा।

उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य प्राधिकरण का प्रधान संरक्षक होगा तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राज्य प्राधिकरण का कार्यपालक अध्यक्ष होता है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुभव एवं अर्हता वाले अन्य सदस्यों को राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में राज्य प्राधिकरण में पदेन सदस्यों का भी प्रावधान है।

राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्ति को राज्य प्राधिकरण के सदस्य—सचिव के रूप में नियुक्त करेगा जो जिला न्यायाधीश के पद से निम्न पद को धारण करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। सदस्य सचिव राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कार्यों को करेगा जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित अथवा कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा सौंपा जायेगा।

कार्य एवं शक्तियां

राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों, योजनाओं के अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन राज्य स्तर पर विधिक सेवाओं के उपलब्ध करवाने हेतु नीतियों एवं सिद्धांतों का निर्माण, राज्य स्तर पर लोक अदालतों, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, निधियों का जिला प्राधिकरणों को आवंटन एवं राज्य स्तर पर समाज के कमजोर वर्गों हेतु विभिन्न विधिक सेवाओं के पर्यवेक्षण, दिशा—निर्देशन, प्रशिक्षण इत्यादि संबंधी कार्यों को क्रियान्वित एवं निर्देशित करता है।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 8-क में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का प्रावधान है, जिसमें राज्य प्राधिकरण एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जायेगा।

संगठन

उच्च न्यायालय का पदासीन न्यायाधीश समिति का अध्यक्ष होगा तथा राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति इसके अन्य सदस्य होंगे। साथ ही इसमें पदेन सदस्यों का भी प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुभव एवं अर्हता वाले व्यक्ति को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समिति के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा।

कार्य एवं शक्तियां

उपरोक्त समिति का गठन राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्मित विनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों के प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 9 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक जिले के लिए एक निकाय का गठन करेगा, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाता है।

संगठन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या, अर्हता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति इसके सदस्य होंगे, जिनका नाम निर्देशन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

कार्य एवं शक्तियां

राज्य प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर प्रत्यायोजित (प्रदत्त) कर्तव्यों का पालन करना, तहसील विधिक सेवा समितियों के क्रिया-कलापों में समन्वय करना, जिले के अंदर लोक अदालतों एवं अन्य योजना अंतर्गत कार्यों को पूरा करना, जिन्हें राज्य प्राधिकरण निर्धारित करे।

तहसील (ताल्लुका) विधिक सेवा समिति (टालसा)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11-क के अनुसार राज्य प्राधिकरण एक समिति का निर्माण कर सकता है, जिसे प्रत्येक तहसील या तहसीलों के समूह के लिये तहसील विधिक सेवा समिति कहा जायेगा।

संगठन

तहसील समिति की अधिकारिता के अधीन कार्य करने वाले वरिष्ठतम् न्यायिक अधिकारी इसका पदेन अध्यक्ष होगा तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निर्धारित अनुभव, संख्या एवं अर्हता वाले व्यक्ति इसके सदस्य होंगे।

कार्य एवं शक्तियां

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11-ख के अनुसार तहसील समिति विधिक सेवाओं क्रिया-कलापों में समन्वय करने, तहसील के भीतर लोक अदालतों का संगठन करने एवं जिला प्राधिकरण सौंपे गये अन्य कार्यों को पूरा करने संबंधी कार्य करेंगी।

मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विधिक सेवा संस्थाएँ

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में राज्य स्तर पर म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एवं अन्य दो पीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कार्यरत है। जिला स्तर पर समस्त जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिनका मुख्यालय संबंधित जिला है। समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन आने वाले तहसील न्यायालयों में तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। उपरोक्त समस्त स्तरों पर गठित विधिक सेवा संस्थाओं में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं निर्मित विनियम, 1996, समय-समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्मित योजनाओं एवं निर्देशों के अधीन विभिन्न विधिक सेवा एवं विधिक सहायता संबंधी योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

न्याय सबके लिये (Justice for All)



निःशुल्क विधिक सेवा योजना— एक परिचय

इसका अर्थ है आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े और अक्षम व्यक्तियों को न्यायालय में अपना वाद लाने के लिए निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएँ एवं विधिक सलाह उपलब्ध कराना।

(अ) विधिक सहायता एवं सलाह

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा समान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है।

(ब) विधिक सहायता/सलाह कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन कोई भी ऐसा व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसकी वर्ष भर की आमदनी एक लाख रुपये से ज्यादा की नहीं है। इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के सभी व्यक्ति, भी बिना आय सीमा के बंधन के निःशुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण, 1987 की धारा 12 के अधीन निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को विधिक सेवा हेतु पात्र माना गया है—

1. जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है,
2. ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो,
3. महिला, बालक हो,
4. ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमर्थ है वह निर्योग्यता ग्रस्त है, निर्योग्यता का तात्पर्य है :-



(क) अन्धापन,

(ख) कमजोर दिखाई देना,

(ग) जिसे कुष्ठरोग है,

(घ) कम सुनाई देना,

(ङ.) जो चल फिर नहीं सकता,

(च) जो दिमागी रूप से बीमार हो।

5. ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है,
6. ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है (फ़ैक्टरी, कम्पनी में काम करता है)
7. ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी है ,
8. ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्षभर की आमदनी 1,00,000 /—(रूपये एक लाख) से ज्यादा नहीं है।

(स) इस योजना के अंतर्गत किस तरह की विधिक सहायता मिलती है—

विधिक सहायता के पात्र व्यक्ति जिसका प्रकरण अदालत में चल रहा है या चलाना चाहता है उसे मामले में लगाने वाली— 1. कोर्ट फीस, 2. तलवाना, 3. टाईपिंग/फोटोकॉपी खर्च, 4. गवाह खर्च, 5. अनुवाद कराने में लगाने वाला खर्च, 6. निर्णय/आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च, 7. वकील फीस ।

(द) विधिक सेवा कैसे प्राप्त की जाए?

उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राप्त करने के लिये कोई भी पात्र व्यक्ति क्रमशः उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति जिला न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को लिखित में एक आवेदन करेगा जिसके साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथपत्र होगा। यदि आवेदन निरक्षर है या हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है तो सचिव उनका मौखिक निवेदन अभिलिखित करेगा तथा उस पर उसका अंगूठे का चिन्ह प्राप्त करेगा और ऐसा अभिलेख उसका आवेदन समझा जायेगा।

(य) विधिक सेवा प्राप्त व्यक्ति के कर्तव्य

विधिक सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने आवदेन पत्र में कोई तथ्य न छिपाये तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पूर्ण सहयोग प्रदान करे। यदि विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय कोई डिग्री या कोई आदेश पारित करते हुए खर्च या अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करता है तो विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति को समस्त खर्च, प्रभार तथा व्यय की गई राशि जो उसे विधिक सेवा प्रदान करने में दी गई है, वापिस लौटाना होगी।


उपरोक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/अधिकरणों, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है।

प्रश्न— किन-किन अदालतों में और किन मुकदमों में विधिक सहायता मिलती है—

उत्तर — कानूनी सहायता सभी प्रकार की अदालतों में जैसे : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, कमिश्नर, कलेक्टर, एस.डी.ओ, तहसीलदार की अदालत, श्रम न्यायालय आदि में मिलती है। ये विधिक सहायता जितनी भी अदालतें हैं चाहे वे फौजदारी की हों, दीवानी की हों, राजस्व की हों या अपील की सुनवाई करने वाली हों सभी में मिलती है।

प्रश्न — कब कानूनी सहायता नहीं मिलेगी —

उत्तर — मानहानि व विद्वेषपूर्ण मामलों में या न्यायालय की अवमानना तथा शपथ भंग के मामलों या चुनाव से संबंधित मामलों में या



ऐसे अपराध जिसमें जुर्माना 50/-रु. से अधिक न हों या

आर्थिक अपराध व सामाजिक अपराध इन मामलों में मुकदमा होने पर कानूनी सेवा नहीं मिलेगी।

व्यापार या काराबोर करने के सम्बन्ध में धन या संपत्ति की वसूली के लिए कोई मुकदमा चलाने हेतु।

हमने जाना

- हमें समान अवसर के आधार पर समान न्याय पाने का अधिकार है।
- हमारी अशिक्षा, गरीबी, विकलांगता या अन्य कोई अक्षमता हमें समान न्याय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है।
- हमें यह निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार प्रदान करना सरकार/ गणतन्त्र का दायित्व है।
- इस अधिकार के तहत हमें निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है, एवं
- आवश्यकता होने पर पात्रता के आधार पर निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें भी मिलती हैं।
- विधिक सेवा हमें तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों पर मिलती है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. विधिक सेवा क्या है?
2. निःशुल्क विधिक सहायता का क्या अर्थ है?
3. विधिक सेवा की पात्रता किसे है?
4. विधिक सहायता हेतु वार्षिक आय की सीमा क्या है?
5. विधिक सहायता कितने रुपों में मिल सकती है?
6. विधिक सेवा किन स्तरों पर मिलती है?

स्थान और स्थिति

स्थान	स्थिति
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	जबलपुर
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	सम्पूर्ण म.प्र. के समस्त जिला न्यायालयों में
तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण	सम्पूर्ण म.प्र. के समस्त न्यायिक तहसील न्यायालयों में

12.3.4 विधिक साक्षरता शिविर योजना

कानूनी साक्षरता। मिटायें दुर्बलता।।

क. विधिक साक्षरता का परिचय

प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के शोषण या अन्याय से रक्षा तभी कर सकता है, जब उसे कानून के मूलभूत प्रावधानों का ज्ञान हो या यह ज्ञान हो कि अपने अधिकारों के उल्लंघन से रक्षा के लिए वह कहां और किससे संपर्क कर सकता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों का पालन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता स्कीम, 1999 तैयार की गई है।



ख. शिविर आयोजन स्थल

स्कीम के अनुसार उच्च न्यायालय स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर शहरी गंदी बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाता है।



ग. शिविर के प्रतिभागीगण एवं रिसोर्स पर्सन

इन शिविरों में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, अधिकारीगण, महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निशक्त व्यक्ति, विधि शिक्षक, विधि विद्यार्थियों के प्रतिनिधि रहते हैं।

घ. शिविर में चयनित विषय

विधिक साक्षरता शिविरों में अन्य वर्गों के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर उनके मौलिक एवं वैधानिक अधिकारों तथा उनके हित संरक्षण में बनाये गये विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरूक बनाया जाता है। छुआछूत, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूर, बाल विवाह आदि कुरीतियों एवं बुराईयों के साथ-साथ भरण पोषण, उपभोक्ता फोरम आदि विषयक जानकारी इन शिविरों में प्रदान की जाती है।



ड. कानूनों के प्रस्तुतीकरण का माध्यम

इन शिविरों में विभिन्न प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री के अतिरिक्त जानकारी के प्रभावी सम्प्रेषण हेतु नुक्कड़ नाटक तैयार किये जाते हैं, जिनका लेडीज क्लब, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, गैर-सरकारी एवं सरकारी विभागों के सहयोग से मंचन कराया जाकर लोगों को विधिक जागरूक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सेवा (सहायता/सलाह), लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर आदि योजनाओं से संबंधित गीत संगीत, ऑडियो कैंसेट के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा पम्पलेट्स, पोस्टर, हैण्डबिल्स, लिट्रेचर आदि वितरित कर वृहद प्रचार-प्रसार किया जाता है। लघु फिल्मों एवं डाक्यूमेंट्री द्वारा भी कानूनों की जानकारी देकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता फैलाई जाती है। विधिक साक्षरता योजना अंतर्गत आम-जन को विधिक रूप से जागरूक बनाने के लिए दूरदर्शन, आल इंडिया रेडियो तथा स्थानीय कम्यूनिटी रेडियो पर भी विधिक सेवा योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है। आल इंडिया रेडियो, प्राइवेट एफ.एम. चैनल्स

तथा स्थानीय कम्यूनिटी रेडियो पर “आसान हो गई, न्याय की राहें” जिंगल्स के साथ राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण के द्वारा संचालित योजनाओं के विज्ञापन के माध्यम से विधिक जागरूकता फैलाई जाती है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दूरदर्शन के सहयोग से एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को अपराह्न शाम 4:20 पर प्रसारित किया जाता है, जिसमें विधि विशेषज्ञों द्वारा विधि की जानकारी दी जाती है, साथ ही कार्यक्रम संचालन के दौरान दर्शक अपनी जिज्ञासाओं एवं समस्याओं के समाधान हेतु फोनकाल कर सकते हैं। उनकी समस्याओं के विषय में उन्हें त्वरित सलाह दी जाती है।

च. वृहद् विधिक साक्षरता शिविर

इन सब शिविरों के अतिरिक्त समय-समय पर अत्यधिक पिछड़े हुए या आदिवासी बाहुल्य इलाकों में वृहद् विधिक साक्षरता शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। उन शिविरों में प्रशासन के अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाता है। उक्त शिविर में आम जनता विधिक रूप से साक्षर बनाने के साथ-साथ उन्हें शासन द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाता है। उन्हें शिविर आयोजन के साथ-साथ प्राप्त आवेदनों पर पात्रतानुसार निर्णय लिया जाकर लाभान्वित किया जाता है।

12.3.5 विवाद विहीन ग्राम योजना

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा “विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000” विरचित की गई है, “विवाद विहीन ग्राम” का तात्पर्य ऐसे गांवों से है जिसमें उस गांव में रहने वाले व्यक्तियों में कोई विवाद न हो और यदि हो तो उसे आपसी सद्भाव, समझौते या लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटा लिया गया हो। यह कार्य जिला प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में किया जाता है।

राज्य प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त समस्त योजनाओं पर कार्य करने के साथ-साथ जेलों में आत्महत्या रोकने, बालकों के दुर्व्यापार (Child Trafficking) को रोकने और उनका पुर्नस्थापन(Rehabilitation), वृद्धों, महिलाओं एवं किन्नरों (Third/Trans Genders) के अधिकारों का संरक्षण करने के लिये कार्य किया जाता है। जिसमें उन्हें उनके अधिकारों से जागरूक कराने के साथ-साथ उनके अधिकारों को लागू कराने के लिये आवश्यक विधिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

12.3.6 जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, 2001 बनाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जिला विधिक परामर्श केन्द्र कार्यरत है। जिला विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा सभी वर्ग के व्यक्तियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्तियों को जो अशिक्षा व अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य व अधिकार नहीं जानते तथा अपने कानूनी एवं वैधानिक अधिकारों की जानकारी से वंचित रहते हैं या जिन्हें किसी विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श देकर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है।

12.3.7 पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, 2001" विरचित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद जैसे पारिवारिक सम्पत्ति, भरण-पोषण, बच्चों की सुरक्षा/देखभाल आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। इस प्रकार के पारिवारिक विवादों का निदान सद्भावपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते के आधार पर जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्रों द्वारा कराया जाता है। इस संबंध में जिले में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारी अथवा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन दिया जा सकता है। इन केन्द्रों द्वारा कराया गया समझौता गुप्त रखा जाता है जिससे परिवार के सम्मान में ठेस नहीं पहुँचती है।

12.3.8 श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ

श्रम, विधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला कामगारों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य कराने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राही को न्याय दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में "श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है। कोई भी पीड़ित श्रमिक जिसके विरुद्ध अन्याय या अत्याचार हो रहा है उसे समान मजदूरी न देकर भेदभाव किया जा रहा है। वह न्याय प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये उक्त प्रकोष्ठ में जाकर आवेदन दे सकता है।

12.3.9 महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई

महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में "महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई" का गठन किया गया है। यह इकाई सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्याओं का निदान करती है।

12.3.10 मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, 2001" बनाई गई है। यह योजना प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में निरूद्ध बंदियों को रिमाण्ड प्रकरणों में पैरवी करने एवं जमानत के लिए आवेदन देने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति स्वतः या अपने रिश्तेदार द्वारा न्यायालय में बैठे मजिस्ट्रेट अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन देकर सहायता प्राप्त कर सकता है।

हमने जाना

- हमें समान अवसर के आधार पर समान न्याय पाने का अधिकार है।
- हमारी अशिक्षा, गरीबी, विकलांगता या अन्य कोई अक्षमता हमें समान न्याय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है।
- हमें यह निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार प्रदान करना सरकार/शासन का दायित्व है।
- इस अधिकार के तहत हमें निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है, एवं
- आवेदन की यकता होने पर पात्रता के आधार पर निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें भी मिलती हैं।
- विधिक सेवा हमें तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों पर मिलती है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. विधिक साक्षरता का क्या अर्थ है?
2. विधिक साक्षरता शिविर कहां आयोजित किया जा सकता है?
3. विधिक साक्षरता शिविर में रिसोर्स पर्सन कौन हो सकते हैं?
4. विधिक साक्षरता शिविर में किन-किन माध्यमों से आम-जन को जागरूक किया जा सकता है?
5. वृहद् विधिक साक्षरता शिविर कैसे और कहां आयोजित किया जाता है?
6. वृहद् विधिक साक्षरता शिविर में आमजन की योजनाओं से संबंधित समस्याओं का भी निराकरण किया जाता है?
7. विवाद विहीन ग्राम योजना क्या है?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- म0प्र0 विधिक साक्षरता शिविर योजना-1999

12.4 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवायें

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि—

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रमुख विधिक सेवायें कौन-कौन सी हैं?
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है?
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की सभी को न्याय योजना के दूरगामी लक्ष्य और प्रभाव क्या हैं?

12.4.1 जेलों में बन्दियों के संवैधानिक अधिकार

जेल में परिरुद्ध बन्दियों के संवैधानिक अधिकार हैं:—

1. **बन्दियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने का अधिकार**— विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत अभिरक्षाधीन व्यक्ति को दाण्डिक न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में उनके विचाराधीन प्रकरण या प्रकरणों को प्रस्तुत करने के लिये प्रकरण का पूरा व्यय तथा निःशुल्क अधिवक्ता शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आयोजित लोक अदालतों एवं प्ली बारगेनिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर त्वरित लाभ प्रदान कराया जाता है। इस हेतु विचाराधीन बन्दी जेल अधीक्षक/जेलर को विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवदेन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।



2. **सम्पर्क अथवा मुलाकात का अधिकार**— प्रत्येक बन्दी को माह में एक बार अपने परिवार के सदस्यों या विधिक सलाहकार से मिलने या मुलाकात का अधिकार प्राप्त है। बन्दी को अधिकतम 20 मिनट तक मुलाकात करने का प्रावधान है।
3. **विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार**— सभी अभिरक्षाधीन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, सलाह, अधिवक्ता की सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। दण्ड प्रक्रिया संहिता

की धारा 304 में अभियुक्त राज्य के व्यय पर विचाराधीन सत्र प्रकरणों में भी निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करवाने का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति अर्थाभाव या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने से वंचित न हो, इसका दायित्व सम्बन्धित न्यायालय पर सौंपा गया है। विधिक सहायता के अन्तर्गत प्रकरण का समस्त व्यय शासना/जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है।

4. पढ़ने लिखने एवं अभिव्यक्ति का अधिकार—

कारागार/जेल में पाठशाला व साक्षरता की पूर्ण व्यवस्था रहती है बन्दी को अपना अध्ययन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है बन्दियों को विद्यालय एवं वि विद्यालयों द्वारा आयोजित स्नातक/स्नात्कोत्तर परीक्षाओं में सम्मिलित होने का पूर्ण अधिकार है।



5. **मारपीट एवं प्रताड़ना के विरुद्ध शिकायत—** जेलों में अनुशासन रखने के लिये जेल प्रशासन सतर्क रहता है, फिर भी कभी-कभी बन्दीगण आपस में मारपीट करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक बन्दी को अधिकार है कि अपनी शिकायत जेल अधीक्षक को बताये। जेल में समय-समय पर अधीक्षक बन्दी परेड का अवलोकन करते हैं। प्रत्येक बन्दी से उसकी समस्या पूँछते हैं। बन्दी को कोई परेशानी होने पर वह अपनी परेशानी अभिव्यक्त कर सकता है। यदि बन्दी के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की क्षति हो रही है तो वह जेल अधीक्षक के साथ-साथ न्यायालय, मानवाधिकार आयोग एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी शिकायत भेज सकता है।
6. **व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार—** प्रत्येक बन्दी को अधिकार है कि उसे अपने प्रकरणों के निराकरण के समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित रखा जावे। जेलों में यदि किसी बिन्दु पर असुविधा महसूस होती है या उसके अधिकारों का हनन होता है वह न्यायालय में सुनवाई हेतु आवदेन भेज सकता है। यदि न्यायालय उचित समझता है तो बन्दी को पुलिस बल के माध्यम से न्यायालय में आवश्यक रूप से सुनवाई हेतु उपस्थित कराया जाता है।
7. **मनोरंजक सुविधाओं में भाग लेने का अधिकार—** जेलों में बन्दियों को खेलने-कूदने एवं मनोरंजन सुविधाओं में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। बन्दी प्रत्येक दिन निर्धारित समय में अपनी रुचि अनुसार खेल में भाग ले सकते हैं एवं रात्रि में निर्धारित समय तक टी.वी. देख सकते हैं। जेलों में बन्दियों के लिये योगा प्रशिक्षण की भी सुविधा उपलब्ध है।

8. **धर्म पालन का अधिकार**— मध्य प्रदेश जेल नियमावली के अन्तर्गत जेलों में निरूद्ध व्यक्तियों को धर्म पालन की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अन्तर्गत वे अपने धर्म ग्रंथ जेल अधीक्षक की अनुमति उपरान्त अपने बैरक में रख सकते हैं। त्योहार पर उपवास एवं पूजन आदि नियम कायदे के अन्तर्गत करने के लिये पूर्ण स्वतंत्र हैं। उपवास की स्थिति में बन्दियों को फलाहार आदि देने की व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है।
9. **उपचार का अधिकार**— प्रत्येक बन्दी को अस्वस्थता की दशा में उपचार पाने का पूर्ण अधिकार है। जेलों में चिकित्सकों के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ पदस्थ होता है। प्रत्येक बन्दी को जेल में प्रविष्टि होने पर उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। जेल परिसर में प्रतिदिन चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। बन्दी चिकित्सक से मिलकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिये स्वतंत्र है।
10. **पुनर्स्थापना कार्य का अधिकार**— प्रत्येक बन्दी को अधिकार है कि वह जेल से मुक्त होने के पश्चात वह सम्मानजनक नागरिक के रूप में समाज में पुनर्स्थापित हो सकता है। उसे जीवन यापन के लिये भरण-पोषण के साथ-साथ ही आवास की भी आवश्यकता होती है। इस हेतु शासन की विभिन्न योजनायें संचालित हैं।

हमने जाना

1. जेल में परिरूद्ध बंदियों को भी मानव अधिकार दिये गये हैं ।
2. जेल में परिरूद्ध बंदियों को भी संविधान में भी कुछ मूल अधिकार दिये गये हैं ।
3. उन्हें अनु0 में अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है ।
4. उन्हें अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार है ।
5. 24 घंटे से अधिक परिरूद्ध नहीं रह सकता ।
6. आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण उपरोक्त अधिकार प्राप्त न कर पाने की स्थिति में राज्य सरकार A-39 दिये अधिकार उपलब्ध करवायेगी ।
7. निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है, वे अपना आवेदन जेल अधीक्षक को दे सकते हैं । कोई भी व्यक्ति जेल में अपराध के विचारण अथवा विचारण पश्चात् – दोषसिद्ध होने पर अभिरक्षाधीन हो सकता है ।
8. बंदियों को मारपीट और प्रताड़ना के खिलाफ भी सुरक्षा मिली हुयी है ।
9. बंदियों को जेल में शिक्षा, मनोरंजन, खेल, पूजा और व्यायाम आदि की भी सुविधा मिली हुयी है ।
10. बीमारी की दशा में उन्हें जेल में चिकित्सा सुविधा भी मिली हुयी है ।

11. बंदियों को आत्मनिर्भर बनाये जाने के लिये जेल में उनके प्रशिक्षण की भी व्यापक व्यवस्था होती है ।
12. कारावास के दौरान किये गये कामों के लिये उन्हें कुछ राशि का भी भुगतान किया जाता है ।

कठिन शब्दों के अर्थ

विचाराधीन बंदी— ऐसे बन्दी जिन पर अन्तिम फैसला न हुआ हो ।

मानव अधिकार— वे अधिकार जो मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने का अवसर देते हैं ।

दोषसिद्ध बंदी— अदालती फैसलों के बाद दोषी पाये गये बन्दी ।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. क्या बंदियों को जेल में बंद रहने के दौरान भी मानव अधिकार प्राप्त हैं ?
2. क्या बंदियों को अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है ?
3. यदि कोई बंदी अपनी अशिक्षा या गरीबी की वजह से वकील नहीं कर पा रहा है तो क्या शासन की तरफ से उसकी मदद हो सकती है ?
4. वह निःशुल्क विधिक सहायता के लिये किसे आवेदन देगा ?
5. क्या बंदी को अपना धर्म मानने, मनोरंजन, खेलकूद जैसी सुविधायें प्राप्त हैं ?

12.4.2 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

परिचय

वर्तमान भारतीय समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था के कमजोर पड़ गई है जिस कारण बड़ी संख्या में वरिष्ठ व्यक्तियों की देखभाल उनके परिवारों द्वारा नहीं की जा रही है। परिणामतः अनेक व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम वर्षों को अकेलेपन में बिताने के लिए विवश हैं तथा भावनात्मक रूप से उपेक्षित कर दी गई है और भौतिक और वित्तीय संसाधनों से भी अभावग्रस्त हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वृद्धावस्था एक प्रमुख सामाजिक चुनौती बन चुकी है और वरिष्ठ व्यक्तियों की देख-भाल एवं सुरक्षा



हेतु और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है इस दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी भरण-पोषण हेतु पात्र है। भरण-पोषण उद्देश्य हेतु शीघ्र भरण-पोषण प्राप्त करने हेतु साधारण एवं सस्ती व्यवस्था के अंतर्गत इस अधिनियम का उपबंध किया गया है।

भरण-पोषण कौन प्राप्त कर सकता है?

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार :-

- कोई वरिष्ठ नागरिक जिसके अंतर्गत माता-पिता है जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधीन सम्पत्ति में से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

नोट: वरिष्ठ नागरिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष या अधिक आयु प्राप्त कर लिया है।

- माता-पिता या पितामह-पितामही



किसके विरुद्ध आवेदन किया जा सकता है?

- माता-पिता या पितामह-पितामही की दशा में अपने एक या अधिक बालकों (पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री) जो अवयस्क नहीं है।
- किसी निःसंतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में उसके ऐसे विधिक वारिसों के विरुद्ध जो अवयस्क नहीं हैं तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है या जो विरासत में प्राप्त करेगा।



किसके द्वारा आवेदन दिया जा सकता है? यथा स्थिति किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता-पिता द्वारा—

- यदि वह अशक्त है तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा ।
- अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है।

आवेदन किसके समक्ष पेश किया जायेगा?

भरण-पोषण हेतु कोई आवेदन धारा-7 के अंतर्गत गठित भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02 जुलाई 2009 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में भरण-पोषण अधिकरण एवं अपील अधिकरण का गठन कर दिया गया है तथा सामाजिक न्याय विभाग के समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भरण-पोषण

अधिकारी के रूप में पदाभिहित कर दिया गया है जो यथास्थिति अधिकरण या अपील अधिकरण की कार्यवाही में वांछा किये जाने पर माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक का प्रतिनिधित्व करेगा ।

कार्यवाही कहां शुरू की जा सकती है?

बालकों या नातेदारों के विरुद्ध किसी जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकती है—

- जहां वह निवास करता है या उसने अंतिम बार निवास किया है ।
- जहां बालक या नातेदार निवास करता है ।

भरण-पोषण राशि की अधिकतम मात्रा

अधिकरण द्वारा अधिकतम 10000/- रूपये में प्रतिमास के भरण-पोषण भत्ता का आदेश दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त प्रकरण के दौरान अंतरिम भरण-पोषण भत्ता दिलाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के बीच साधारण ब्याज भी दिलाया जा सकता है । परिस्थितियों में परिवर्तन पर उपरोक्त भत्तों में परिवर्तन किया जा सकता है ।

आदेश करने की समय-सीमा

अधिकरण द्वारा बालक या नातेदार को सूचना की तामील की तारीख से 90 दिन के भीतर आदेश किया जायेगा । किन्तु आपवादित परिस्थितियों में उक्त अवधि को कारणों को लेखबद्ध करते हुए एक बार में 30 दिन की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है तथा अपील अधिकरण यथासंभव अपील प्राप्ति के 01 मास के भीतर आदेश करेगा । अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा ।

- अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में अधिवक्ताओं को वर्जित किया गया है ।
- इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी मामले में सिविल न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं होगी न ही उसके संबंध में कोई व्यादेश दिया जायेगा ।
- जो कोई, जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देख-रेख व सुरक्षा है, उसे पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा उसे 03 मास तक के कारावास या 5000/- रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय व जमानतीय नहीं होगा तथा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारणा किया जायेगा ।
- इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धन वरिष्ठों जिनके पास स्वयं के भरण-पोषण का साधन नहीं है उनके लिए राज्य शासन द्वारा वृद्धाश्रमों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है । वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा, देख-रेख के लिए भी उपबंध किये गये हैं जिसमें जराचिकित्सा

के रोगियों के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल में निर्दिष्ट सुविधायें निःशुल्क प्रदान किये जाने का उपबंध किया गया है। अधिनियम में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और उनकी संपत्ति की संरक्षा में भी उपबंध किये गये हैं।

- कोई वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता दण्ड प्रक्रिय संहिता 1973 के अंतर्गत अथवा इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण का दावा कर सकता है किन्तु दोनों के अधीन नहीं कर सकता
- अधिकरण द्वारा आदेश सुनाये जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर आदेशित संपूर्ण रकम जमा करना अनिवार्य है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण आवेदन की सुनवाई करने के पूर्व उसे सुलह अधिकारी को भेजेगा जो 1 माह के भीतर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।
- भरण-पोषण आदेश के प्रत्येक भंग के लिए 1 मास तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है परंतु रकम बकाया होने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर वसूली हेतु आवेदन देना आवश्यक है।

“सेवा करने वाले हाथ मंत्र बोलने वाले होंठो से अधिक पवित्र होते है- अज्ञात”

हमने जाना

इस अध्याय में हमने जाना कि-

- माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देख-रेख करना हमारा नैतिक ही नहीं बल्कि विधिक दायित्व भी है।
- वरिष्ठ नागरिक वे नागरिक हैं जो साठ वर्ष से अधिक आयु के हैं।
- वरिष्ठ नागरिक अपने वयस्क बालकों (पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) अथवा सम्पत्ति प्राप्त करने वाले विधिक वारिष्ठों से भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण दिलाये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक जिले में भरण-पोषण एवं अपील अधिकरण का गठन किया गया है।
- इस अधिकरण में सामाजिक न्याय विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भरण-पोषण अधिकारी के रूप में पदाभीत किया गया है।
- वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण दिलाये जाने हेतु आवेदन उनके द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा अथवा स्व-प्रेरणा से अधिकरण द्वारा किया जा सकेगा।

- अधिकरण द्वारा अधिकतम 10000/- प्रतिमास भरण-पोषण भत्ता दिलाया जा सकता है।

वरिष्ठ नागरिकों की देख-रेख या सुरक्षा न करने पर भरण-पोषण के दायित्वाधीन व्यक्ति को तीन मास तक के कारावास या रु. 5000/- के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

कठिन शब्दों के अर्थ

Senior Citizen – वरिष्ठ नागरिक

Words – विधिक वारिस

Tribunal – अधिकरण

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. वरिष्ठ नागरिक का क्या अर्थ है एवं इसमें कौन-कौन सम्मिलित है?
2. भरण-पोषण का आवेदन किसके विरुद्ध दिया जा सकता है?
3. भरण-पोषण का आवेदन किसके द्वारा दिया जा सकता है?
4. भरण-पोषण का आवेदन किसके समक्ष किया जा सकता है?
5. भरण पोषण की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है?
6. भरण-पोषण के आवेदन का निराकरण कितने समय-सीमा में किया जायेगा?
7. भरण-पोषण के आदेश का पालन न करने पर दण्ड का क्या प्रावधान है?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

12.4.3 महिला अधिकार (Women Right)

समानता का सिद्धान्त भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाहित है। जिसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीतिनिर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। इस समानता में लिंग समानता भी प्रमुखता से सम्मिलित है। भारतीय संविधान न केवल महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा देने की बात करता है बल्कि राज्य पर भी यह दायित्व अधिरोपित करता है कि वह स्त्रियों के विरुद्ध भेदभाव रोकने के लिये सार्थक कदम उठायेगा।



अन्तराष्ट्रीय मंचों पर भी महिलाओं को समानता का दर्जा दिये जाने की मांग को स्वीकार किया गया। भारत ने भी अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशन (CEDAW) Convention on Elimination of all forms of discrimination against women 1993 को स्वीकार किया है। इसमें महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समानता दिये जाने की बात की गयी है। इसके लिये उनमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अलावा शिक्षा, भोजन, पोशण, स्वच्छ जल एवं स्वास्थ्य, आश्रय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग की गयी है।



बदलते समय के साथ आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका और अधिक प्रभावशाली हो गयी है। उन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले सेवा, पायलट, ड्राइवर तथा पुलिस जैसे क्षेत्रों में भी अपने कदम रख दिये हैं। इससे वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से और अधिक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर हो गयीं हैं। इतनी प्रभावशाली भूमिका के बावजूद भी उनके विरुद्ध हिंसा और अपराध की घटनायें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बालिका भ्रूण हत्या की संख्या भी दिनबदिन बढ़ती जा रही है। इन सब घटनाओं से यह स्पष्ट है कि उन्हें आज भी समाज में वो स्थान और


दर्जा नहीं मिला है जिनकी वे हकदार हैं। समाज के लिये आवश्यक है कि वे स्त्रियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून और योजनाओं का निर्माण किया गया है। इन कानूनों और योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचा कर उन्हें विधिक रूप से साक्षर बनाने के लिये मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर और इसके अन्तर्गत जिलों में कार्यरत जिला प्राधिकरणों/तहसील समितियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है। महिला स्वतंत्रता सप्ताह में 08 मार्च का दिवस विशेष महत्व रखता है। इसे एक दिवस नहीं बल्कि आंदोलन के रूप में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में मनाया जाता है।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद द्वारा अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर।

हमने जाना

- लिंग समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान में मान्यता दी गयी है ।
- जिसे मूल अधिकार, नीतिनिर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में वर्णित किया गया है ।
- संविधान में स्त्रियों के प्रति भेदभाव रोकने का दायित्व राज्य पर अधिरोपित किया है ।
- शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून और योजनाओं को बनाया गया है जिससे महिलायें सशक्त हो सकें और उनके अधिकारों को लागू कराया जा सके ।
- म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा समस्त मध्यप्रदेश में महिला अधिकारों पर व्यापक रूप से कार्य किया जाता है ।
- म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों में महिला अधिकारों एवं योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाकर महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है ।
- इन सबके बावजूद भी उनके विरुद्ध हिंसा और अपराध की घटनायें दिनबदिन बढ़ती जा रही हैं ।
- बालिका भ्रूण हत्या से भी महिलाओं की संख्या में कमी आ रही है ।




अभ्यास के लिए प्रश्न

1. भारतीय संविधान में समानता का सिद्धांत कहाँ वर्णित है ?
2. भारतीय संविधान महिलाओं के लिये क्या उपबंध करता है ?
3. राज्य का महिलाओं के प्रति क्या दायित्व है ?
4. भारत द्वारा स्वीकार किये गये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का नाम बताइये ।
5. स्त्री अधिकारों में समाज की भूमिका बताइये ।
6. महिला सशक्तिकरण में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका बताइये ।
7. महिला सप्ताह कब मनाया जाता है ?

12.4.4 गुमशुदा बच्चे एवं उपेक्षित/निराश्रित बालकों का पुनर्वास (Missing Children and Re-habilitation of Street Child)

“घर से मंदिर है बहुत दूर चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुये बच्चे को हंसाया जाय”

बच्चों के विषय में किसी प्रसिद्ध कवि द्वारा कहा गया यह कथन वास्तविकता में कार्य रूप में परिणित नहीं किया जाता है। हमें बड़ी संख्या में बच्चे कचरा बीनते, घरों में काम करते हुये या सिग्नल पर भीख मांगते हुये दिखते हैं। बालक अपनी इस सुकमार अवस्था के कारण वे कई तरह के शोषण के शिकार होते हैं। हम सब इस तरह के दृश्यों को अक्सर अपने आस पास घटते हुये देखते हैं और उसे अभिभावक या समाज की उपेक्षा और कूरता कह कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बालकों की रक्षा हमारा यह नैतिक एवं विधिक दायित्व है कि हम इन उपेक्षित या विधि विवादित किशोरों के कल्याण हेतु कार्य करें। बालक देश का भविष्य और पूंजी है जिन्हें विकास के अवसर और सुविधायें उपलब्ध कराकर समाज की मुख्य धारा में भामिल करना न्याय एवं प्रशासन के साथ-साथ समाज का भी मुख्य उद्देश्य होना चाहिये।



सम्पूर्ण बहुरूआ निर्णय में पारित निर्णयानुसार नालसा द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुये मध्य प्रदेश राज्य वि.से. प्राधिकरण जबलपुर द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 एवं नियम 2007 के उपबंधों के क्रियान्वयन की मानीटरिंग का कार्य किया जा रहा है राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वयं तथा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से प्रदेश भर में बालकों हेतु स्थापित समस्त गृहों में मॉनिटरिंग के द्वारा किया जा रहा है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में किशोर न्याय अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन हेतु स्थापित समिति है द्वारा भी उपरोक्त गृहों का निरीक्षण



किया जा रहा है। माननीय न्यायमूर्ति श्री रविशंकर झा, अध्यक्ष, किशोर न्याय अधिनियम निरीक्षण समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के परिपालन में बालगृह गोकलपुर, जबलपुर में बालकों के कल्याण हेतु कार्य करते हुये म.प्र. रा.वि. सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा बालकों को मल्लखम्भ एवं शारीरिक सौष्ठव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल में म.प्र. शासन के पुलिस, शिक्षा, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग एवं अन्य विभागों से भी समन्वय एवं सहयोग लिया जा रहा है। म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा जबलपुर से प्रारम्भ की गई इस पहल को समस्त जिलों में भी जिला प्राधिकरणों एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लागू किया जा रहा है।



म०प्र०रा०वि०से० प्राधिकरण जबलपुर द्वारा खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से बाल गृह गोकलपुर, जबलपुर में मल्लखम्ब प्रशिक्षण आयोजन में मल्लखम्ब का प्रदर्शन करते हुये बाल गृह के बालक।

हमने जाना

- बालक अपनी इस सुकमार अवस्था के कारण वे कई तरह के शोषण के शिकार होते हैं।
- बालकों की रक्षा हमारा यह नैतिक एवं विधिक दायित्व है।
- बालक देश का भविष्य और पूंजी है।
- जिन्हें विकास के अवसर और सुविधायें उपलब्ध कराकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना न्याय एवं प्रशासन के साथ-साथ समाज का भी मुख्य उद्देश्य होना चाहिये।
- सम्पूर्ण बहुरूआ निर्णय में पारित निर्णयानुसार नालसा द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुये मध्य प्रदेश राज्य वि.से. प्राधिकरण जबलपुर द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 एवं नियम 2007 के उपबंधों के क्रियान्वयन की मानीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।
- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में किशोर न्याय अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन हेतु स्थापित समिति है द्वारा भी उपरोक्त गृहों का निरीक्षण किया जा रहा है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. क्या बालकों के लिये भारतीय संविधान में कुछ उपबंध किये गये हैं ?
2. उपेक्षित/निराश्रित बालकों के लिये गृहों की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है
3. उन गृहों के निरीक्षण का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे सौंपा गया है ?
4. बाल कल्याण के क्षेत्र में प्रमुख वाद का नाम बताइये

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- Juvenile Justice Act-2000.....Rules 2007(JJ Act-2015 भी)

12.4.5 नालसा की पैरालीगल वालेंटियर्स (पुनरीक्षित) योजना

परिचय

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा निर्मित पैरा-लीगल वालेंटियर्स योजना का उद्देश्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से पैरा-लीगल वालेंटियर्स को चयनित कर विधिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसके परिणामस्वरूप विधिक सहायता प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों तक पहुँच सके और अंततः न्याय तक पहुँच में आने वाले अवरोधों को समाप्त किया जा सके। पैरा-लीगल वालेंटियर्स से यह आशा की जाती कि वे मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सामान्य व्यक्तियों एवं विधिक सेवा संस्थाओं के बीच के अंतर को सेतु बनकर न्याय की पहुँच में आने वाले अवरोधों को समाप्त करें जिससे विधिक सेवा संस्थाएँ स्वयं आम जनता के दरवाजे तक पहुँच सकें।

पैरा-लीगल वालेंटियर्स योजना के अधीन प्रशिक्षित पैरा-लीगल वालेंटियर्स से न केवल यह आशा की गई है कि वे विधियों की एवं विधि व्यवस्था की जागरूकता से आम व्यक्ति को परिचित कराएँ वरन् उन्हें इस प्रकार से भी प्रशिक्षित किया जाए कि वे पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों को शुरुआत में ही अपने स्तर पर सामंजस्यता से निराकरण कर सकें, जिससे कि विधिक सेवा प्राधिकरण/वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र तक पहुँचने में आम व्यक्ति को होने वाली परेशानी से उसे निजात दिलाई जा सके। यदि विवाद इस प्रकृति का है, जिसका पैरा-लीगल वालेंटियर्स की मदद से शुरुआत में ही निराकरण नहीं किया जा सकता तब ही ऐसे पक्षकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्रों तक लाया जा सकेगा, जहाँ इसे संबंधित अधिकारियों के सहयोग से लोक अदालत या मध्यस्थता केन्द्र या विधिक सहायता हेतु समस्या की प्रकृति के अधीन प्रेषित किया जायेगा।

पैरा-लीगल वालेंटियर्स से यह योजना ऐसी अपेक्षा नहीं करती कि वे विधि व्यवसायियों की भांति आचरण करें। योजना के अधीन प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण का उद्देश्य धनलाभ की इच्छा किये बिना मूलभूत मानव गुणों जैसे— उदारता, अच्छी भावना, हमदर्दी, उचित संबंध एवं स्वतः सेवा प्रदान करने की इच्छा में वृद्धि करना है, तभी व्यावसायिक अधिवक्ताओं से पैरा-लीगल वालेंटियर्स के मध्य सावधानी पूर्वक अंतर सुनिश्चित किया जा सकता है।

समूह जिनसे पैरा-लीगल वालेंटियर्स चयनित किये जा सकते हैं—

- शिक्षक (सेवा निवृत्त शिक्षकों से)
- सेवा निवृत्त शासकीय सेवक और वरिष्ठ नागरिक
- ऐसे छात्र जो सामाजिक कार्य विषय में स्नातकोत्तर अध्ययनरत हों

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- चिकित्सक
- छात्र एवं विधि छात्र (अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के पूर्व तक)
- स्वयं सेवी/गैर-राजनीतिक सेवा संगठनों के सदस्यगण
- महिला निकटवर्ती समूह के सदस्य, मराठी संघम और अन्य स्वसहायता समूह
- अच्छे आचरण वाले शिक्षित एवं दीर्घ अवधि कैदी/बंदी
- अन्य व्यक्ति, जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति पैरा-लीगल वालेंटियर्स के रूप में उचित समझें।

अन्य व्यक्ति, जो पैरा-लीगल वालेंटियर्स के रूप में सम्मिलित किये जा सकते हैं—

- विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की प्रकृति से अवगत व जानकारी रखने वाले गैर-शासकीय स्वयंसेवी संगठन।
- मध्यस्थता हेतु नियुक्त मास्टर ट्रेनर
- विधि महाविद्यालयों के शिक्षक एवं विधि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्र/छात्राएँ
- सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारीगण एवं सेवानिवृत्त विधि प्राध्यापक
- राजस्व विभाग के अधिकारीगण
- सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारीगण
- लोक अभियोजक
- पुलिस अधिकारीगण
- मनोचिकित्सक एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इत्यादि।

पैरा-लीगल वालेंटियर्स का चयन

योजना अंतर्गत पैरा-लीगल वालेंटियर्स का चयन जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर पर किया जायेगा, जो संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण/विधिक सेवा समिति द्वारा इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा। पैरा-लीगल वालेंटियर्स के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। साथ

ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सके।

पैरा-लीगल वालेंटियर्स का प्रशिक्षण

संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षकों एवं अन्य रिसोर्स पर्सन को जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से चिन्हित करते हैं। नालसा द्वारा पैरा-लीगल वालेंटियर्स के प्रशिक्षण हेतु एक रूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

पैरा-लीगल वालेंटियर्स प्रशिक्षण हेतु ओरिएन्टेशन-इंडक्शन-रिफ्रेशर पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है। ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम का उद्देश्य पैरा-लीगल वालेंटियर्स की भूमिका और पैरा-लीगल वालेंटियर्स को क्या करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए, इत्यादि से परिचित कराना है, जो कि एक दिवसीय पाठ्यक्रम है।

द्वितीय स्तर पर इंडक्शन पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है, जिसमें पैरा-लीगल वालेंटियर्स को विभिन्न जनोपयोगी विधियों से परिचित कराया जाता है, जो एक चार दिवसीय पाठ्यक्रम है।

तृतीय स्तर पर पैरा-लीगल वालेंटियर्स को एडवांस्ड प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिवसीय है, जिसमें पैरा-लीगल वालेंटियर्स को उनके द्वारा कार्यक्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने के पश्चात प्रदान किया जाता है। एडवांस्ड प्रशिक्षण में विभिन्न विशेष विधियों से पैरा-लीगल वालेंटियर्स को परिचित कराया जाता है। साथ ही उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं को हल करने के लिए भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षित पैरा-लीगल वालेंटियर्स के कर्तव्य

- ऐसे व्यक्ति जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, को गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने के अधिकार की जानकारी प्रदान करने, लोगों को उनके विवादों/मुद्दों/समस्याओं की प्रकृति के संबंध में जागरूक बनाने एवं यह सूचित करने कि वे अपनी समस्याओं/विवादों के निराकरण हेतु संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण/विधिक सेवा समिति में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, संबंधी प्रमुख कर्तव्य पैरा-लीगल वालेंटियर्स हेतु सुनिश्चित हैं।

- पैरा-लीगल वालेंटियर्स विधि के उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्र में अन्याय संबंधी कार्यों पर सतत निगाह रखेंगे और ऐसा होने पर इसकी ऐसी जानकारी दूरभाष या लिखित सूचना द्वारा संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति की जानकारी में तत्काल लायेंगे।
- जबकि पैरा-लीगल वालेंटियर्स अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त की जाती है तो पैरा-लीगल वालेंटियर्स स्वयं यदि आवश्यक हो तो नजदीकी विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा पुलिस थाने में जायेगा और यह निश्चित करेगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को समस्त प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त हुई।
- पैरा-लीगल वालेंटियर्स द्वारा यह भी प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए के उपबन्धों के अंतर्गत अपराध से पीड़ित व्यक्ति के लिए निश्चित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो सके।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील समिति से उचित प्रमाणन के साथ पैरा-लीगल वालेंटियर्स जेलों, अभिरक्षाओं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सालयों, बाल गृहों, परिवेक्षण गृहों में जायेंगे और ऐसे कैदी व्यक्तियों को जिन्हें विधिक सेवाओं की जरूरत है, सहयोग प्रदान करेंगे।
- पैरा-लीगल वालेंटियर्स नजदीकी विधिक सेवा संस्थाओं अथवा बाल कल्याण समितियों को बाल अधिकारों के शोषण, बालश्रम, गुमशुदा बच्चों एवं लड़कियों के व्यापार की रिपोर्ट करेंगे।
- पैरा-लीगल वालेंटियर्स संबंधित विधिक सेवा संस्था को उनके कार्यक्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सहयोग करेंगे।
- पैरा-लीगल वालेंटियर्स उच्चतम न्यायालय स्तर से तहसील न्यायालय स्तर तक समस्त स्तरों द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के संबंध में आम जनता को जागरूक करेंगे।
- पैरा-लीगल वालेंटियर्स प्री-लिटिगेशन स्तर पर लोक अदालतों, सुलह, मध्यस्थता एवं पंचाट को संम्मिलित करते हुए विवादों के निराकरण के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक बनायेंगे।
- पैरा-लीगल वालेंटियर्स यह देखेंगे कि विधिक सेवा क्रियाकलापों के प्रचार-प्रसार की सामग्री को उनके कार्यक्षेत्र के प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित किया जाए।
- पैरा-लीगल वालेंटियर्स अपनी नजदीकी विधिक सेवा संस्थाओं की सलाह एवं मार्गदर्शन से श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति इत्यादि को समाहित करते हुए छोटे

समूहों हेतु लघु विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन अपने कार्यक्षेत्र में करेगा साथ ही संबंधित विषय पर प्रकाशित सूचना पम्पलेट्स, ब्रोशर, पुस्तिका इत्यादि वितरित करेगा।

- पैरा-लीगल वालेंटियर्स जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (ए.डी.आर. सेंटर) की लोक अदालत, मीडिएशन एवं सुलह संबंधी मशीनरी का इस्तेमाल क्षेत्र के पक्षकारों जो विवाद से जुड़े हुए हैं, उनके समाधान में करेगा। यदि ऐसे ए.डी.आर. सेंटर उस जिले में स्थापित नहीं किये गये हैं, तो विधिक सेवा संस्थाएँ पैरा-लीगल वालेंटियर्स के सहयोग से लोक अदालत, मध्यस्थता, सुलह इत्यादि वैकल्पिक विवादों के समाधान की विभिन्न रीतियों के आयोजन के संबंध में आवश्यक कदम उठायेंगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समितियों के 'प्रबंध कार्यालय' (फ्रंट आफिस) के संचालन में एक या अधिक पैरा-लीगल वालेंटियर्स को नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार संबंधित प्राधिकरण अथवा तहसील समितियों के लीगल एड क्लीनिक में पैरा-लीगल वालेंटियर्स को नियुक्त किया जा सकता है।

जेलों में पैरा-लीगल वालेंटियर्स

कुछ शिक्षित एवं अच्छे आचरण वाले कैदी जो दीर्घ अवधि दण्ड केन्द्रीय कारागार या जिला कारागार में भुगत रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जा कर पैरा-लीगल वालेंटियर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। ऐसे कैदियों की सेवाएँ जेल में अभिरक्षाधीन कैदियों सहित अन्य कैदियों को प्रदान की जा सकती है।

पैरा-लीगल वालेंटियर्स अपने द्वारा किये गये क्रिया-कलापों का मासिक प्रतिवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिनके अधीन वे यथा विहित प्रारूप में कार्य कर रहे हैं।

प्रत्येक पैरा-लीगल वालेंटियर्स दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों का संधारण एक डायरी में करेगा, जो कि संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा-लीगल वालेंटियर्स को प्रदान की जावेगी और ऐसी डायरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं पृष्ठांकित की जावेगी।

पैरा-लीगल वालेंटियर्स की निरर्हताएँ एवं उनको पद से हटाया जाना

- जबकि वह योजना में रुचि दिखाने में असफल होता है।
- जबकि वह किसी अपराध में अभियुक्त हो।

- जबकि वह शारीरिक व मानसिक रूप से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो।
- जबकि उसने अपने पद के दुरुपयोग से या अन्य प्रकार के कदाचरण से लोकहित में किसी अन्य को फायदा पहुँचाया हो।
- जबकि वह दीवालियो घोषित हो।
- जबकि वह किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य हो।

ऐसे किसी पैरा-लीगल वालेंटियर्स को अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यथोचित जाँच पश्चात् पद से हटाया जा सकेगा और उसकी सूचना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जावेगी।

हमने जाना

15. पी.एल.वी. मध्यस्थ के रूप में सामान्य व्यक्तियों एवं विधिक सेवा संस्थाओं के बीच के अंतर को सेतु बनकर न्याय की पहुंच में आने वाले अवरोधों को समाप्त करने में सहयोग करते हैं।
16. पी.एल.वी. विधि एवं विधि व्यवस्था की जागरूकता से आम आदमी को परिचित कराते हैं।
17. पी.एल.वी. विधिक सेवा प्राधिकरण/ए.डी.आर. सेंटर तक पहुंचने में आम व्यक्ति को सहयोग प्रदान करते हैं।
18. पी.एल.वी. से यह योजना अपेक्षा नहीं करती है कि वे विधि व्यवसाईयों (अधिवक्ताओं) की भांति आचरण करें।
19. पी.एल.वी. शिक्षक, आंगनवाणी कार्यकर्ता, छात्र एवं विधि छात्रों, एन.जी.ओ., दीर्घ अवधि कैदी, सेवा निवृत्त अधिकारी इत्यादि से चयनित किये जाते हैं।
20. पी.एल.वी. के प्रशिक्षण हेतु ओरियन्टेशन-इडक्शन-रिफ्रेशर पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है।
21. पी.एल.वी. विविध विषयों पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के आयोजन में सहयोग करते हैं। साथ ही संबंधित विषय पर प्रकाशित प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन करते हैं।
22. पी.एल.वी. की नियुक्ति फ्रंट आफिस एवं लीगल एड क्लीनिक में की जा सकती है।
23. कारागारों में अच्छे आचरण वाले दीर्घ अवधि दण्ड से दण्डित कैदियों को पी.एल.वी. के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

24. ऐसा पी.एल.वी. जो योजना में रूचि दिखाने में असफल है, अपराध का अभियुक्त है, दिवालिया है, राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य है अथवा कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; जांच पश्चात दोषी पाये जाने पर पद से हटाया जा सकेगा।

कठिन शब्दों के अर्थ

नालसा— नेशनल लीगल सर्विसेज एथॉरिटी (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)

पी.एल.वी.— पैरा-लीगल वालेंटियर्स (विधिक स्वयंसेवक)

ए.डी.आर. सेंटर— अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर (वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र)

फ्रंट आफिस— प्रबंध कार्यालय

लीगल एड क्लीनिक— विधिक सेवा क्लीनिक

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. पैरा-लीगल वालेंटियर्स योजना से क्या अभिप्राय है?
 2. पैरा-लीगल वालेंटियर्स का चयन किन समूहों से किया जा सकता है?
 3. जेलों में पैरा-लीगल वालेंटियर्स की नियुक्ति कैसे की जाती है?
 5. पैरा-लीगल वालेंटियर्स के क्या कर्तव्य हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें?
 6. पैरा-लीगल वालेंटियर्स की क्या निर्हताएँ हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें?
-

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित "स्कीम फॉर पैरा-लीगल वालेंटियर्स (रिवाज्ड) एण्ड माड्यूल फार द ओरिएन्टेशन-इंडक्शन-रिफ्रेशर कोर्सेस फार पी.एल.वी. ट्रेनिंग", (वेब साईट— www.nalsa.gov.in)

परिचय

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एवं अधिनियम की धारा 4 में अंतर्निहित उपबन्ध के अग्रसरण में उपरोक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ) विनियम 2010, निर्मित किया गया है।

परिभाषा— 'फ्रंट आफिस' से तात्पर्य विधिक सेवा संस्था में उपलब्ध कक्ष से है, जहाँ कि विधिक सेवाएँ उपलब्ध की जाती हैं।

विधिक सेवा हेतु आवेदन

- विधिक सेवा हेतु आवेदन आवेदक द्वारा परिशिष्ट-1 में वर्णित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक अपनी समस्या का सारांश अपने आवेदन के साथ अलग से संलग्न करेगा, जिसके संबंध में विधिक सहायता चाही गई है।
- यदि आवेदक निरक्षर है या वह स्वयं आवेदन करने में असमर्थ है तो विधिक सहायता संस्थाएँ आवेदक की समस्या के संबंध में आवेदन-पत्र को भरने संबंधी सहयोग करेंगी। इसी प्रकार विधिक सहायता हेतु मौखिक अनुरोध पर भी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
- एक ऐसा आवेदक जिसे पैरा-लीगल वालेंटियर्स, विधिक सहायता क्लब, लीगल एड क्लीनिक या स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाओं हेतु अनुरोध किया गया है तो ऐसे आवेदन पर भी विचार किया जायेगा।
- अनुरोध जो ई-मेल या आनलाइन सुविधा के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता हेतु किये जाते हैं, ऐसे आवेदकों के नियमानुसार सत्यापन के पश्चात ऐसे आवेदनों और समस्याओं पर भी विचार किया जायेगा।

विधिक सेवा संस्थाओं में फ्रंट आफिस की स्थापना

- समस्त विधिक सेवा संस्थाओं में फ्रंट आफिस (प्रबंध कार्यालय) होगा, जोकि एक या अधिक पैरा-लीगल वालेंटियर्स एवं पैनल अधिवक्ता के द्वारा संचालित होगा।
- फ्रंट आफिस में कार्यरत पैनल लायर नोटिस, आवेदनों, याचिकाओं इत्यादि के प्रारूपण (निर्माण) संबंधी सेवाएँ प्रदान करेगा।

निःशुल्क विधिक सहायता की अर्हता हेतु आवश्यक सबूत

आवेदक का यह शपथपत्र कि वह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु अर्हित व्यक्तियों की श्रेणी अंतर्गत आता है, औपचारिक रूप से पर्याप्त सबूत होगा। शपथपत्र विनियम में विहित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जैसा भी मामला हो,

के समक्ष हस्ताक्षरित होगा। शपथपत्र सादे कागज पर तैयार किया जा सकता है एवं विहित अधिकारी के द्वारा मुद्रा सहित हस्ताक्षरित होगा। ऐसे प्राप्त आवेदनों की छटनी एवं मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जायेगा जो कि विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रत्येक स्तर पर इस हेतु गठित की जाती है।

विधिक व्यवसायियों का पैनल अधिवक्ता एवं रिटेनर अधिवक्ता के रूप में चुनाव

- प्रत्येक विधिक सेवा संस्था विधिक व्यवसायियों से उनके पैनल अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित करेगा, जिसकी अन्वीक्षा एवं चयन संबंधित विधिक सेवा संस्था के अध्यक्ष द्वारा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष इत्यादि की सलाह पर किया जायेगा।
- कोई भी विधिक व्यवसायी जिसका तीन वर्ष से कम का विधि व्यवसाय का अनुभव हो, सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा। साथ ही ऐसे पैनल अधिवक्ता की सक्षमता, उपयुक्तता, अनुभव को विचार में लिया जायेगा।
- विधिक सेवा संस्था का अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के परामर्श से पैनल अधिवक्ताओं में से विधिक व्यवसायियों की एक सूची तैयार करेगा, जिन्हें कि रिटेनर अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जा सके।
- रिटेनर अधिवक्ता कार्यपालक अध्यक्ष के द्वारा निश्चित किये गये समय के लिए एवं चक्रानुक्रम के आधार पर या अन्य किसी वर्णित तरीके से जो कि कार्यपालक अध्यक्ष निश्चित करें, चयनित किये जायेंगे।
- ऐसे रिटेनर अधिवक्ताओं की संख्या एवं मानदेय विभिन्न विधिक सेवा संस्थाओं हेतु अलग-अलग निर्धारित है।
- पैनल अधिवक्ता जो कि रिटेनर के रूप में पदांकित किये जाते हैं, अपना समय पूर्ण रूप से विधिक सहायता कार्य में लगायेंगे और संबंधित विधिक सेवा संस्था के फ्रंट आफिस में बैठेंगे।
- उपरोक्त पैनल का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात पुनर्गठन किया जायेगा। पैनल अधिवक्ता ऐसे व्यक्ति जिसका मामला उन्हें विधिक सेवा प्रदान करने हेतु सौंपा गया है, से किसी भी प्रकार का शुल्क, पारिश्रमिक नहीं मांगेंगे। यदि ऐसा पैनल अधिवक्ता संतोषजनक कार्य नहीं करता है या अधिनियम के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे संबंधित मामला वापस ले लिया जायेगा एवं उसको पैनल से हटा दिया जायेगा।

मानीटरिंग समिति

प्रत्येक विधिक सेवा संस्था न्यायालय आधारित विधिक सेवा प्रदान करने एवं विधिक सेवा मामलों की प्रगति की मानीटरिंग हेतु मानीटरिंग समिति का गठन करती है, जो समस्त स्तरों पर गठित की जाती है।

विधिक सेवाओं हेतु आवेदन का प्रारूप

1. नाम :
2. स्थायी पता :
3. संपर्क हेतु पता :
(दूरभाष एवं ई-मेल पता) यदि हो
4. यह कि क्या आवेदक विधिक सेवा :
प्राधिकरण अधिनियम 1987 की
धारा 12 के अधीन उल्लिखित
विभिन्न श्रेणियों में से किसी
श्रेणी से संबंधित है?
5. आवेदक की मासिक आय :
6. यह कि क्या आवेदक द्वारा :
आय एवं अधिनियम की
धारा 12 अंतर्गत योग्य होने
के समर्थन में शपथ-पत्र/सबूत
प्रस्तुत किया है?
7. चाही गई विधिक सहायता या :
सलाह की प्रकृति
8. यदि न्यायालय आधारित विधिक :
सेवाएँ चाही गई हैं तो मामले
का संक्षिप्त विवरण

स्थान

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

हमने जाना

25. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती हैं।
26. फ्रंट ऑफिस की स्थापना समस्त विधिक सेवा संस्थाओं में की जाती है, जिसका संचालन रिटेनर अधिवक्ता, पैरा-लीगल वालेंटियर्स एवं पैनल अधिवक्ता द्वारा किया जाता है।
27. निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा दिया गया शपथपत्र, औपचारिक रूप से पर्याप्त सबूत होता है।
28. रिटेनर अधिवक्ता का चयन पैनल अधिवक्ता में से किया जाता है।
29. विधिक सेवा संस्थायें आवेदक के निरक्षर होने पर या स्वयं आवेदन करने में असमर्थ होने पर आवेदक की समस्या के संबंध में आवेदनपत्र को भरने में सहयोग करती हैं।
30. विधिक सेवा आवेदन हेतु प्रारूप परिशिष्ट-1 में वर्णित किया गया है।

कठिन शब्दों के अर्थ

चक्रानुक्रम— समय की एक अवधि के लिए (रोटेशन)

पैनल— संबंधित विधिक सेवा संस्था द्वारा विधिक सेवा प्रदान करने हेतु निश्चित अधिवक्ताओं की अंतिम रूप से अनुमोदित सूची

याचिका— न्यायालय के समक्ष आवेदक या पीड़ित द्वारा अभ्यावेदन का एक विशिष्ट प्रकार, जो एक विहित प्रारूप में होता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. फ्रंट ऑफिस क्या है एवं कहां स्थापित है?
2. पैनल अधिवक्ता के रूप में चयन हेतु व्यावसायिक अनुभव की कितनी सीमा निर्धारित है?
3. रिटेनर अधिवक्ता का चुनाव किसके द्वारा किया जायेगा?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित "फ्री एण्ड काम्पीटेंट लीगल सर्विसेस रेग्युलेशन्स, 2010", नोटीफिकेशन नम्बर एल/61/10/नालसा, नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2010.

परिचय

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एवं अधिनियम की धारा 4 में अंतर्निहित उपबन्ध के अग्रसरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के समान उपरोक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से एवं यह सुनिश्चित करने की ऐसे व्यक्तियों की न्याय तक पहुँच के अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लीगल एड क्लीनिक्स) विनियम 2011, निर्मित किया गया है।

लीगल एड क्लीनिक्स (विधिक सेवा क्लीनिक्स) क्या है?

लीगल एड क्लीनिक्स से अभिप्राय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित ऐसी मूलभूत विधिक सेवा प्रदान करने संबंधी सुविधा से है, जो पैरा-लीगल वालेंटियर्स अथवा अधिवक्ताओं के सहयोग से ग्रामीणों को प्रदान की जाती हैं, उसी प्रकार से जैसे कि मूलभूत स्वास्थ्य सुविधायें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा संबंधित क्षेत्र के लोगों को प्रदान की जाती हैं।

लीगल एड क्लीनिक्स की स्थापना

उपरोक्त विनियम के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त ग्रामों या ग्राम समूहों हेतु विधिक सेवा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु स्थापित करता है, जिसमें निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु अर्हित व्यक्ति जो धारा 12 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अंतर्गत पात्र हैं, को विधिक सेवाएँ उपलब्ध/सुनिश्चित करना है।

लीगल एड क्लीनिक्स में प्रशिक्षित पैरा-लीगल वालेंटियर्स एवं पैनल अधिवक्ता/रिटेनर अधिवक्ता नियुक्त किये जाते हैं। ऐसे अधिवक्ताओं/रिटेनर अधिवक्ताओं का चयन किया जाता है, जो विवादों के सौहार्द्रपूर्ण/पारस्परिक निराकरण की कुशलता रखते हैं, साथ ही ऐसे चयन में महिला अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है।

लीगल एड क्लीनिक्स द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाएँ

- लीगल एड क्लीनिक्स एकल खिड़की प्रणाली पर विधिक सेवाएँ प्रदान करता है अर्थात् ऐसी समस्त विधिक सहायता जो समाज के कमजोर वर्गों को समय-समय पर विधिक सलाह के रूप में आवश्यक होती है, को उपलब्ध कराता है।
- विधिक सलाह के अतिरिक्त अन्य सेवाएँ जैसे- मनरेगा योजना अंतर्गत जॉब कार्ड बनवाने, शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने, परिचय-पत्र बनवाने, विभिन्न शासकीय कार्यालयों एवं लोक प्राधिकरणों के साथ समन्वय इत्यादि हेतु आवेदन तैयार करना।

- नोटिस एवं अभ्यावेदन इत्यादि के निर्माण में सहायता करना, विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत आवेदन-पत्रों को भरने इत्यादि कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

लीगल एड क्लीनिक्स में कार्यरत पैरा-लीगल वालेंटियर्स एवं पैनल अधिवक्ताओं कार्य

- ऐसे व्यक्तियों को जो कि निरक्षर हैं, विधिक सहायता के संबंध में सलाह देना, उनके आवेदनों को बनाना, संबंधित आवेदन-पत्रों को भरना इत्यादि।
- विधिक सहायता चाहने वाले व्यक्तियों को ऐसे कार्यालयों तक ले जाना जहाँ कि उनकी समस्या का समाधान हो सके।
- अधिवक्ताओं की सेवा किसी मामले में आवश्यक होने पर पास के विधिक सहायता संस्था में अधिवक्ता प्रदान करने हेतु सम्पर्क करना।
- विधिक शिक्षा एवं जागरूकता पर निर्मित पम्पलेट्स एवं अन्य साहित्य को वितरित करना।
- विधिक जागरूकता शिविरों में सक्रिय भूमिका निभाना
- न्यायालय के बाहर समाधान हो सकने वाले मामलों में जो कि लीगल एड क्लीनिक्स के समक्ष लाये गये हैं, के सौहार्दपूर्ण निराकरण में सहयोग करना एवं यदि ऐसे मामले इस प्रकार के हैं, जिन्हें कि वैकल्पिक विवाद समाधान की रीतियों के माध्यम से हल किया जा सकता है, तो उन्हें ऐसे ए.डी.आर. केन्द्रों तक ले जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न स्थानीय निकायों में स्थापित लीगल एड क्लीनिक्स (ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि) द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा आयोजित लोक अदालतों में ऐसे प्री-लिटिगेशन प्रकरण प्रस्तुत करना जो कि लीगल एड क्लीनिक्स के समक्ष समय-समय पर प्रस्तुत किये जाते हैं।
- समय-समय पर मोबाइल लोक अदालत वाहन के माध्यम से चलित लोक अदालतों के आयोजन में सहयोग करना।

उपरोक्त लीगल एड क्लीनिक्स जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित विधिक सेवा संस्थाओं के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा एवं अपने कार्यों के संबंध में अभिलेख एवं रजिस्टर संधारित करेगा।

हमने जाना

31. लीगल एड क्लीनिक्स विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित ऐसा क्लीनिक है जिसमें मूलभूत विधिक सेवाएँ ग्रामीणों को इस प्रकार से प्रदान की जाती हैं जैसे कि मूलभूत स्वास्थ्य सुविधायें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा संबंधित क्षेत्र के लोगों को प्रदान की जाती हैं।
32. लीगल एड क्लीनिक्स में प्रशिक्षित पैरा-लीगल वालेंटियर्स एवं आवश्यकतानुसार पैनल अधिवक्ता आवश्यकतानुसार अपनी सेवायें प्रदान करते हैं।
33. लीगल एड क्लीनिक्स एक खिड़की प्रणाली पर विधिक सेवायें प्रदान करता है।
34. लीगल एड क्लीनिक्स में कार्यरत पी.एल.वी एवं पैनल अधिवक्ताओं द्वारा सलाह देने, आवेदन बनाने, संबंधित कार्यालयों तक पीड़ित व्यक्तियों को ले जाने, आवश्यकतानुसार विधिक सेवा संस्थाओं में अधिवक्ता प्रदान करने हेतु संपर्क करने, विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने, प्रचार-प्रसार सामग्री को आमजनों में वितरित करने, लोक अदालतों में प्री-लिटिगेशन प्रकरण प्रस्तुत करने में सहयोग करने इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

कठिन शब्दों के अर्थ

एकल खिड़की प्रणाली – एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक स्थान पर विषय विशेष से संबंधित समस्त कार्य/सुविधायें प्राप्त हों।

नोटिस— किसी मामले या विषय पर सूचना।

प्री-लिटिगेशन— न्यायालय में किसी मामले/प्रकरण/वाद के दाखिल होने के पूर्व उसके निराकरण की प्रक्रिया, जो पक्षकारों के आपसी समझौते एवं राजीनामे से निराकृत की जाती है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. लीगल एड क्लीनिक्स क्या है?
2. ये लीगल एड क्लीनिक्स कहां स्थापित हैं?
3. इन लीगल एड क्लीनिक्स में कौन व्यक्ति कार्यरत हैं?
4. इन लीगल एड क्लीनिक्स के क्या कार्य हैं?
5. इन लीगल एड क्लीनिक्स के क्या लक्ष्य हैं?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित “लीगल एड क्लीनिक्स रेगुलेशन, 2011” नोटीफिकेशन नम्बर एल/08/11/नालसा, नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2011.

12.4.8 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लीनिक्स) योजना, 2013

परिचय

क्लीनिकल विधिक शिक्षा पर कार्यक्रम के निर्माण और विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लीनिक्स की स्थापना, पर्यवेक्षण एवं संबंधित कार्यों के मार्गदर्शन हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड क्लीनिक्स विनियम 2011 को ग्रामों या ग्रामों के समूह हेतु लीगल एड क्लीनिक्स की स्थापना के उद्देश्य के साथ अधिसूचित किया है। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणजनों के लाभ हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाती है। उपरोक्त विनियम 2011 के प्रावधान 22 से 26 विधि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विधिक सेवा क्लीनिक्स से संबंधित हैं।

उपरोक्त विधिक सेवा क्लीनिक्स के दो लक्षित उद्देश्य हैं। पहला, यह कि छात्रों में क्लीनिकल विधिक दक्षता और दूसरा, छात्रों में समाज के कमजोर एवं गरीब लोगों को प्रभावी विधिक सहायता प्रदान करने की भावना का विकास करना है। इस प्रकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अंतर्गत विधिक सेवा क्लीनिक्स योजना को निर्मित किये जाने की आवश्यकता हुई है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 और अधिवक्ता अधिनियम 1961 अंतर्गत संविधिक संस्थाओं को शामिल करते हुए एक ऐसी अवधारणा जो एकीकृत कार्यक्रम प्रदान करे और विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लीनिक्स को स्थापित करने और संचालित करने में सहयोग करे, की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त योजना निर्मित की गई है।

योजना का उद्देश्य

- अपने अधिकारों एवं विधि अंतर्गत उसके उपचारों से अपरिचित देश के आम लोगों के समक्ष आने वाली समस्याओं से देश के विधि छात्रों को परिचित कराने हेतु सम्पूर्ण राष्ट्र स्तर पर अकादमिक रूप से विधिक सेवा क्लीनिक्स की स्थापना करना।
- विधिक सेवा क्लीनिक्स समाज के कमजोर वर्गों और क्षेत्रीय समूहों की गरीबी और असमानता को दूर करने संबंधी संविधान में स्थापित आदर्शों को प्राप्त करे।
- जागरूकता शिविरों, कार्यशालाओं, वाद-विवाद, विधिक परामर्श, पोस्टल निर्माण एवं नुक्कड़ नाटकों द्वारा लोगों और छात्रों के बीच विधिक जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना।
- छात्रों को सामूहिक सेवा से परिचित करना एवं
- सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों या व्यक्तियों को सशक्त बनाने हेतु छात्रों को एक मंच प्रदान करना।

विधिक सेवा क्लीनिक्स की स्थापना

प्रत्येक विश्वविद्यालय, विधि महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थायें अपनी संबंधित संस्थाओं में एक या अधिक विधिक सेवा क्लीनिक्स स्थापित करेंगी, परन्तु किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की जरूरत के आधार पर संस्थाओं के प्रधान विधिक सेवा क्लीनिक्स की स्थापना अपनी संस्था से बाहर या अस्थायी आधार पर कर सकती है। विधिक सेवा क्लीनिक्स के अस्तित्व, पते, कार्य संबंधी प्रचार-प्रसार संबंधित संस्था द्वारा किया जायेगा।

संस्था में पक्षकार को परामर्श प्रदान करने हेतु विधिक सेवा क्लीनिक्स की स्थापना हेतु कम से कम एक कमरा आवश्यक सुविधायुक्त (यथा- कम्प्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर इत्यादि) होगा।

उक्त विधिक सेवा क्लीनिक्स में विशेष दक्षता और विधिक शिक्षा में रूचि रखने वाले प्रशिक्षक सदस्य होंगे, जिनके द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्रदान किया जायेगा। उक्त विधिक सेवा क्लीनिक्स में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग की जावेगी।

विधिक सेवा क्लीनिक्स के कार्य

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कर्तव्यों अतिरिक्त विधिक सेवा क्लीनिक्स के निम्न कार्यकलाप होंगे—

- विशेषकर कमजोर समूहों के संदर्भ में पक्षकारों को परामर्श देना और दी गई सहायता पर निगाह रखना।
- विधिक व्यवस्था के विभिन्न कार्यसमूहों जैसे— अधिवक्तागणों, छात्रों, स्वयंसेवी संगठनों और शासकीय संस्थाओं हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- क्षेत्रों का सर्वे करना
- सामाजिक विधिक विषयों पर चित्र, प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना।
- विधिक सेवा कार्यकलापों हेतु ग्राम अथवा ग्रामों अथवा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों को गोद लेना।
- क्षेत्रीय विधिक सेवा संस्थाओं के पक्षकारों को न्यायालयीन प्रकरण के संदर्भ में न्यायालय अथवा वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्रों पर विधिक सहायता के संदर्भ में मार्गदर्शन देना।

उपरोक्त स्थापित विधिक सेवा क्लीनिक्स में आवश्यकतानुसार संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति द्वारा प्रशिक्षित पैरा-लीगल वालेंटियर्स का सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। संबंधित जिला प्राधिकरण आवश्यकतानुसार क्लीनिक पर पैनल अधिवक्ता/रिटेनर अधिवक्ता को ऐसे अंतरालों पर जैसा उचित हो, उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट कर सकेगा।

उपरोक्त स्थापित विधिक सेवा क्लीनिक्स के संदर्भ में छात्रों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें नालसा (लीगल एड क्लीनिक्स) विनियम 2011 अंतर्गत केवल शुरूआती सलाह एवं मदद प्रदान करना है। साथ ही छात्र ऐसे विषयों को चिन्हित करें, जो समाज के बड़े समूहों को प्रभावित करते हैं, साथ ही छात्र अपने विधिक सेवा क्लीनिक्स के नाम से व क्षेत्राधिकार रखने वाले विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति के अनुमोदन से सामाजिक न्याय याचिकाएँ दायर कर सकते हैं।

हमने जाना

35. विश्वविद्यालयों एवं विधि महाविद्यालयों में स्थापित किये जाने वाले लीगल एड क्लीनिक्स (विधिक सेवा क्लीनिक्स) के दो प्रमुख उद्देश्य हैं— पहला यह कि छात्रों में क्लीनिकल विधिक दक्षता का विकास और दूसरा छात्रों में समाज के कमजोर एवं गरीब लोगों को प्रभावी विधिक सहायता प्रदान करने की भावना का विकास करना है।
36. योजना का उद्देश्य आम लोगों के समक्ष आने वाली समस्याओं से देश के विधि छात्रों को परिचित कराना, जागरूकता शिविरों, कार्यशालाओं, वाद-विवाद, नुक्कड़-नाटको इत्यादित द्वारा लोगों के मध्य छात्रों द्वारा विधिक जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना एवं पिछड़े व्यक्तियों को सशक्त बनाने हेतु छात्रों को एक मंच प्रदान करना, साथ ही साथ अकादमिक रूप से विधिक सेवा क्लीनिक्स की स्थापना करना।
37. उपरोक्त विधिक सेवा क्लीनिक्स कमजोर समूह के पक्षकारों को परामर्श देने, ऐसे क्षेत्रों का सर्वे करने, विधिक सेवा कार्यकलापों हेतु ग्राम अथवा झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों को गोद लेने एवं कार्यशालाओं का आयोजन करने इत्यादि कार्य भी करते हैं।

कठिन शब्दों के अर्थ

पक्षकार — किसी मामले में दो पक्ष होते हैं— आवेदक या पीड़ित एवं अनावेदक।

पर्यवेक्षण— किसी विषय पर निगाह रखना।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लीनिक्स) योजना, 2013 क्या है?
2. लीगल एड क्लीनिक्स में किन व्यक्तियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है?
3. लीगल एड क्लीनिक्स के क्या कार्य हैं?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित “लीगल एड क्लीनिक्स इन यूनिवर्सिटीज, लॉ कालेजेस एण्ड अदर इन्स्टीट्यूशन्स स्कीम, 2013. website: www.nalsa.gov.in

परिचय

उपरोक्त योजना धारा 12 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अंतर्गत आपदा पीड़ित व्यक्तियों को विधिक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की गई है। योजना के अधीन मानव निर्मित एवं प्राकृतिक दोनों आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों (यथा— बाढ़, सूखा, भूकम्प, औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा एवं नस्लीय हिंसा इत्यादि) को विधिक सहायता प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण शासन एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा उठाये जा रहे विभिन्न कार्यों को तीव्रगति से पूर्ण करने में आवश्यक सहयोग एवं समन्वय प्रदान करेगा। योजना का मूलभूत उद्देश्य आपदा के पीड़ितों को समस्त स्तरों पर मजबूत करना एवं शासकीय विभागों व अशासकीय संगठनों के मध्य समन्वय स्थापित करना एवं पीड़ितों को विधिक सहायता प्रदान करना है।

आपदा पीड़ितों के सहयोग हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

- शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा आपदा पीड़ितों को तत्काल प्रदान की जाने वाली मदद सुनिश्चित करना।
- विभिन्न शासकीय विभागों एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही तात्कालिक सहायता संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना।
- राहत सामग्रियों के वितरण का पर्यवेक्षण करना।
- परिवारों के पुनर्मिलन का पर्यवेक्षण करना।
- पीड़ितों की स्वास्थ्य सुविधाओं एवं साफ-सफाई एवं महामारी के फैलाव की रोकथाम का पर्यवेक्षण करना।
- महिलाओं एवं बच्चों की आवश्यकताओं का पर्यवेक्षण।
- भोजन, दवा एवं पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करना।
- क्षतिग्रस्त निवासग्रहों के पुनर्निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
- पीड़ितों के विधिक अधिकारों पर राहत शिविरों में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करना।

- प्रभावित क्षेत्र में लीगल एड क्लीनिक्स के आयोजन द्वारा मूल्यवान दस्तावेजों के पुनर्निर्माण इत्यादि में सहयोग करना।
- अनाथ बच्चों के पुनर्वास, देखभाल एवं शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं में सहयोग करना।
- वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में सहयोग करना, जिन्होंने अपने परिवार आपदा में खो दिये हैं।
- बीमा, बैंक लोन, इत्यादि विभिन्न कार्यों में पीड़ितों की सहायता करना।
- ऐसे पीड़ित जिन्होंने आपदा के परिणामस्वरूप अपना मानसिक संतुलन खो दिया है या जो अवसाद से ग्रस्त हैं, हेतु मनोचिकित्सक की सहायता प्रदान करना।

विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए मशीनरी

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में एक कोर-ग्रुप स्थापित किया गया है, जो मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करता है।

हमने जाना

- आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना के अधीन मानव निर्मित एवं प्राकृतिक दोनों आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
- योजना का मूलभूत उद्देश्य आपदा से पीड़ितों को समस्त स्तरों पर मजबूत करना तथा शासकीय विभागों व गैर-शासकीय संगठनों के मध्य समन्वय स्थापित करना एवं पीड़ितों को विधिक सहायता प्रदान करना है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा पीड़ितों को तत्काल प्रदान की जाने वाली राहत सामग्रियों के वितरण का पर्यवेक्षण करना भोजन, दवा, पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करना, पीड़ितों की स्वास्थ्य सुविधाओं, महिलाओं एवं बच्चों की आवश्यकताओं, अनाथ बच्चों के पुनर्वास, देखभाल, राहत शिविरों में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों इत्यादि का आयोजन द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में एक कोर ग्रुप स्थापित किया जाता है, जो आपदा की स्थितियों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करता है।

कठिन शब्दों के अर्थ

आपदा पीड़ित— योजना में आपदा पीड़ित से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो मानव निर्मित यथा— जातीय हिंसा, औद्योगिक आपदा, इत्यादि एवं प्रकृति द्वारा निर्मित आपदायें, यथा— बाढ़, सूखा, भूकम्प इत्यादि से पीड़ित हैं या के शिकार हैं।

कोर गुप— जिला प्राधिकरण द्वारा स्थापित एक ऐसा अधिकारियों व स्वयंसेवी संगठनों का समूह जिनके द्वारा आपदा की स्थिति निर्मित होने पर सहायता संबंधी विभिन्न कार्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. योजना के अधीन कितने प्रकार की आपदायें होती हैं?
 2. योजना का मूलभूत उद्देश्य क्या है?
 3. आपदा पीड़ित के सहयोग हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या भूमिका है?
 4. आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्रदान करने के लिए क्या मशीनरी निर्मित की गई है?
-

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित “स्कीम फार लीगल सर्विसेस टू डिजास्टर विक्टिम्स थ्रू लीगल सर्विसेस एथारिटीज”. website: www.nalsa.gov.in

12.5 : अधिकारों के संरक्षण के प्रावधान और प्रक्रिया

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि—

- नालसा द्वारा जन-अधिकारों की पैरवी के लिये कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं?
- नालसा की योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है?
- नालसा की योजनाओं की जानकारी से आप आस-पास के लोगों को कैसे लाभ पहुँचा सकते हैं?

12.5.1 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (तस्करी और वाणिज्यिक यौवन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

परिचय

वाणिज्यिक यौवन शोषण के पीड़ित चाहे वो अवैध व्यापार द्वारा लाये गये हों अथवा स्वैच्छिक हों, एक अत्यधिक पिछड़ा समूह है। उनके या तो अधिकार भुला दिये गये हैं या उनके जीवन एवं रहने की दशा से किसी का कोई संबंध नहीं है या इसमें किसी को कोई रुचि नहीं है कि उनके एवं उनके बच्चों के साथ क्या घटित होता है? उनकी यही दशा उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने हेतु अधिकारवान बनाती है। उनके अत्यधिक पिछड़े अस्तित्व के कारण वे उन समस्त लाभों हेतु अधिकृत हैं, जो समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध है। ऐसे अवैध व्यापार के पीड़ित न केवल अत्यधिक मानसिक आघात का सामना करते हैं बल्कि उनके बचाव के पश्चात भी अवैध व्यापार करने वाले जो यह चाहते हैं कि वो वापस आयें अथवा उनके प्रकरण का अनुसरण नहीं करें, के विरुद्ध उनके संरक्षण की आवश्यकता है। अतः यदि ऐसे पीड़ितों को उनकी जीविका से संबंधित व्यवहार्य-विकल्प नहीं दिया जाता है तो उनके पुनः अवैध व्यापार में वापस चले जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है।

तस्करी और यौवन शोषण के पीड़ितों को बचाव के समय तथा उसके बाद प्रकरण की सुनवाई में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने, दांडिक प्रावधान के अंतर्गत पीड़ितों को मुवावजा दिलाने, पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्यवाही करने, संबंधित वर्ग के मध्य जागरूकता का प्रचार करने साथ ही मानव तस्करी को रोकने और तस्करी के शिकारजन व बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव हेतु जागरूकता का प्रसार करना है।

उपरोक्त योजना का उद्देश्य समस्त आयु-समूह की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अवैध व्यापार के पीड़ितों एवं प्रत्येक स्तर पर उनके रोक-थाम, बचाव एवं पुनर्वास के संबंध में विधिक सहायता प्रदान करना है। योजना का विषय इन पिछड़े समूहों हेतु आर्थिक एवं सामाजिक मार्ग प्रदान करना है ताकि वे सामाजिक रूप से जुड़ पायें एवं उन्हें वे समस्त सामाजिक संरक्षण प्राप्त हों जो एक साधारण नागरिक को उपलब्ध है।

उपरोक्त योजना पीड़ितों के अवैध व्यापार की रोकथाम एवं पुनर्वास के उद्देश्य हेतु सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विकास एवं कल्याण को मजबूत बनाने के उद्देश्य हेतु निर्मित की गई है।

पीड़ितों को विधिक सेवा हेतु योजना

विधिक सेवा योजना सर्वव्याप्त दृष्टिकोण के द्वारा मार्गदर्शित है अतः बच्चे, किसी भी लिंग के नवयुवक, नवयुवतियाँ, तरुण महिलाएँ एवं वृद्ध महिलाएँ सभी योजना अन्तर्गत सम्मिलित हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित का समाज में पुनः एकीकरण हेतु रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास हेतु एक समग्र कार्ययोजना का विकास करेगा। साथ ही इस योजना के प्रावधान समस्त किन्नरों (ट्रांसजेंडर्स) को भी लागू होते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका पीड़ितों के कानूनी वैधानिक एवं मानव अधिकारों को लागू करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो विधिक सहायता प्राधिकरणों के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता व संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कानूनी सहायता, परामर्श, संवेदीकरण, प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संगठनों के मध्य सहभागिता कायम करने एवं विभिन्न विभागों, प्रशासन तंत्र, सामुदायिक संगठनों एवं यौन कर्मियों के मध्य साझेदारी विकसित करने में विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका योजना अंतर्गत निश्चित की गई है।

योजना अंतर्गत रोकथाम, बचाव, जागरूकता एवं पुनर्वास संबंधी कार्य

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर बाल संरक्षण समिति की स्थापना जो समुदाय के पंचायत सदस्य, विद्यालय के अध्यापक, विद्यार्थी एवं माता-पिता से मिलकर बनाई जाती हैं, जिनके संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता है साथ ही विद्यार्थी विधिक साक्षरता क्लबों को अवैध व्यापार के मुद्दों के बारे में लिखने, बातचीत करने एवं विचार-विमर्श करने हेतु प्रोत्साहित

किया जाना चाहिए। विद्यार्थी क्लब यौन संबंधी खतरों से बचने व सावधान रखने के बारे में मित्रवत् शिक्षक की भूमिका भी निभा सकते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल अधिवक्ता एवं पैरा-लीगल वालेंटियर्स के माध्यम से पीड़ितों की प्राथमिकी दर्ज करवाने में सहायता करने एवं पैनल अधिवक्ता रिमांड की कार्यवाहियों के दौरान जमानत का विरोध करने इत्यादि में सहायता सुनिश्चित करते हैं। अधिवक्तागण एवं पी.एल.वी. को चाहिए कि वे पीड़ितों को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करने एवं ऐसे पीड़ितों के पुनर्वास हेतु विहित अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने में उनकी सहायता करें।

हमने जाना

- योजना का उद्देश्य तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के अवैध व्यापार की रोकथाम एवं पुनर्वास के उद्देश्य हेतु सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विकास एवं कल्याण को मजबूत बनाने के उद्देश्य हेतु निर्मित की गई है।
- योजना द्वारा बच्चों एवं समस्त आयु समूह की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए पीड़ितों को प्रत्येक स्तर पर उनके रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास के संबंध में विधिक सहायता प्रदान करना है।
- योजना के अंतर्गत बच्चे, नवयुवक-नवयुवतियाँ, तरुण महिलायें एवं वृद्ध महिलायें सम्मिलित हैं।
- विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका पीड़ितों के कानूनी वैधानिक एवं मानव अधिकार को लागू करने के लिए है, जहाँ भी आवश्यक हो; निःशुल्क विधिक सहायता व संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कानूनी सहायता, परामर्श, संवेदीकरण, प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करना है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न संगठनों के मध्य सहभागिता कायम करने एवं विभिन्न विभागों, प्रशासन तंत्र एवं यौन कर्मियों के मध्य साझेदारी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इस योजना के प्रावधान समस्त किन्नरों (ट्रान्सजेंडर्स) को भी लागू होते हैं।

कठिन शब्दों के अर्थ

ट्रान्सजेंडर— किन्नर या थर्ड जेंडर

रिमाण्ड कार्यवाही— न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति के लाये जाने पर की जाती है। यह दो प्रकार की होती है, प्रथम पुलिस रिमाण्ड एवं द्वितीय न्यायिक रिमाण्ड।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. तस्करी एवं यौन शोषण के पीड़ितों को विधिक सेवा अंतर्गत क्या-क्या सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं?
2. क्या इस योजना का लाभ किन्नर (ट्रान्सजेंडर) को भी प्राप्त हैं?
3. इस योजना के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या भूमिका है?
4. बाल संरक्षण समिति कहां पर स्थापित होती है?
5. विद्यार्थी क्लब किस प्रकार का प्रचार-प्रसार कर मित्रवत् शिक्षा की भूमिका निभा सकते हैं?
6. अधिवक्तागण एवं पैरा-लीगल वालेंटियर्स पीड़ित की इस योजना अंतर्गत किस प्रकार सहायता कर सकते हैं?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित “ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (तस्करी और वाणिज्यिक यौवन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015”. website: www.nalsa.gov.in

12.5.2 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

परिचय

भारतीय संविधान में राज्य की नीति को निर्देशिक करने वाले सिद्धांतों के अनुच्छेद 42 एवं अनुच्छेद 43 द्वारा राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह कार्य के लिए न्यायोचित एवं मानवीय स्थिति तथा मातृत्व लाभों को सुरक्षित रखने हेतु प्रावधान बनायेगी। साथ ही राज्य सभी कामगारों के लिए काम, निर्वाह-मजदूरी, उचित जीवन-स्तर सुनिश्चित करते हुए कार्य स्थिति तथा पूर्ण मनोरंजन, अवकाश, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कामगारों (श्रमिकों) की एक बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र विशेषकर कृषि क्षेत्र में काम कर रही है। अन्य दूसरे बड़े क्षेत्र में निर्माण (कंस्ट्रक्शन), लघु उद्योग, घरेलू कामगार, मछली पालन एवं स्वतः रोजगार, जैसे- रिक्शा खींचना, ऑटो चलाना, कुली इत्यादि शामिल हैं।

असंगठित क्षेत्र से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जहाँ श्रम कानून लागू नहीं होते। परिणामतः इसमें काम करने वाले वर्ग की दशा दयनीय है। न वे सुनिश्चित रोजगार पाते हैं और न ही उन्हें शासन की कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो पाता है। इस क्षेत्र में रोजगार हमेशा नहीं होता इसलिए

काम की कोई गारण्टी नहीं होती। ऐसा वर्ग अपने काम के संदर्भ में एक स्थान से दूसरे स्थान आता-जाता रहता है, जिससे काम की स्थिरता नहीं होती एवं ऐसे वर्ग के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर छूट जाती है। इस प्रकार यह वर्ग गरीबी एवं शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर होता है।

योजना का उद्देश्य

नालसा की उपरोक्त योजना का उद्देश्य असंगठित कामगारों तक आवश्यक विधिक सेवाएँ प्रदान करना, असंगठित कामगारों की पहचान करना व उन्हें पंजीकृत करना तथा सरकारी योजना के लाभों को उन तक पहुँचाना, कामगारों के सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करना साथ ही उन्हें अन्य विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करना है। जिससे कि उनकी न्याय प्राप्ति तक पहुँच स्थापित हो सके।

योजना के अधीन असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उपयोगी विधिक सेवा प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक विशेष सेल का गठन किया जाता है, जो केवल इसी सेवा पर नजर रखेगा एवं जिसके द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने, पंजीकरण कराने व इस क्षेत्र के कामगारों को उनके दावे में कानूनी सलाह व कानूनी सहायता देने संबंधी विभिन्न कार्य किये जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह न्याय प्राप्ति तक असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार जो समाज के वंचित एवं असुरक्षित क्षेत्र से संबंध रखते हैं तथा वे व्यवस्था का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों की न्याय प्राप्ति तक उनकी पहुँच स्थापित करने में सहायता करे।



असंगठित कामगारों की पहचान कैसे की जाए?

पहचान करने हेतु सर्वप्रथम संबंधित विभागों व आवश्यकता पड़ने पर स्वयंसेवी संगठनों व विधि विद्यार्थियों के सहयोग से सर्वेक्षण व आवश्यक आँकड़े एकत्रित किये जाएँ। विशेष कोशिश इस बात की जानी चाहिए कि यदि कहीं कोई पारिश्रमिक या बंधुआ मजदूर हो तो उसकी पहचान की जाए एवं अगर इन प्रतिबंधित वर्गों का कोई कामगार पाया जाए तो विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जाए, जो संबंधित प्राधिकरण को सूचित करे एवं उनके बचाव में सहायता करे, उन्हें रिहा कराने एवं उनके पुनर्वास के लिए पहल करे।

साथ ही जिला प्राधिकरण, जिला प्रशासन के सहयोग एवं स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों की मदद से काम की शर्तें, वैधानिक नियम एवं न्यूनतम मजदूरी भी निश्चित कर सकते हैं जो विशेषतः असंगठित कामगारों के वर्गों व घरेलू कामगारों के लिए होगा।

अर्द्धविधिक स्वयंसेवी गण (पैरा-लीगल वालेंटियर्स) का विशेष प्रशिक्षण

पी.एल.वी. को विभिन्न अन्य प्रशिक्षणों के साथ-साथ कामगारों को शिक्षित करने, उनके हितों को पहचानने, जरूरतमंद कामगारों को उक्त लाभ उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही संबंधित प्राधिकरण कामगारों के लिए सहायता केन्द्र स्थापित करने के लिए सहयोग करेंगे, वे विधिक सेवा क्लीनिक भी संबंधित क्षेत्र में स्थापित कर सकते थे।

ऐसे क्षेत्र जहाँ कानूनी प्रावधान नहीं हैं, वहाँ उचित मजदूरी तथा मानवीय कार्य शर्तों की जरूरत के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण विधि विद्यार्थियों व उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों के साथ मिलकर उपयुक्त कार्य वातावरण निर्मित करने हेतु मिलकर अभियान चला सकते हैं, ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को नियोक्ता द्वारा न्यायोचित कार्य वातावरण प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो सके एवं सभी संबंधित कानूनों का पालन हो सके।

हमने जाना

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह कार्य के लिए न्यायोचित एवं मानवीय स्थिति तथा मातृत्व लाभों को सुरक्षित रखने हेतु प्रावधान करेगा।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि राज्य सभी कामगारों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, उचित जीवनस्तर सुनिश्चित करते हुए कार्य स्थिति तथा पूर्ण मनोरंजन अवकाश, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करेगा।
- कामगारों की एक बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र विशेषकर कृषि क्षेत्र में काम कर रही है। अन्य दूसरे बड़े क्षेत्रों में निर्माण, लघु उद्योग, घरेलू कामगार, मछली पालन एवं स्वतः रोजगार जैसे- रिक्सा खींचना, आटो चलना, कुली इत्यादि शामिल हैं।
- असंगठित क्षेत्र से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से जहां श्रम कानून लागू नहीं होते। परिणामतः इसमें काम करने वालों की दशा अत्यंत दयनीय होती है।
- योजना का उद्देश्य असंगठित कामगारों की पहचान करना, उन्हें पंजीकृत करना, सरकारी योजनाओं के लाभों को उन तक पहुँचाना, सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करना, जिससे न्याय प्राप्ति तक उनकी पहुंच स्थापित हो सके।

- जिला प्राधिकरण द्वारा योजना के अधीन उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक विशेष सेल का गठन किया जायेगा जो केवल इसी सेवा पर नजर रखेगा एवं संबंधित कार्य करेगा।
- विधिक सेवा प्राधिकरण पी.एल.वी. को योजना के अधीन विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे कि पी.एल.वी. कामगारों को शिक्षित करने, उनके हितों को पहचानने में आवश्यक सहयोग कर सके। साथ ही कामगारों के लिए पी.एल.वी. के सहयोग से लीगल एड क्लीनिक्स संबंधित क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु विधि विद्यार्थियों व उपयुक्त स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाता है।

कठिन शब्दों के अर्थ

असंगठित क्षेत्र— ऐसा क्षेत्र जहां श्रम कानून लागू नहीं होते, जैसे— कृषि क्षेत्र, घरेलू कामगार, लघु उद्योग, स्वतः रोजगार इत्यादि।

विशेष सेल— विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उपयोगी विधिक सेवा प्रदान करने हेतु गठित प्रकोष्ठ।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 का क्या उद्देश्य है?
2. इस योजना के अंतर्गत एक विशेष सेल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है?
3. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान कैसे की जाती है?
4. विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन्हें किस प्रकार लाभान्वित किया जाता है?
5. असंगठित क्षेत्र में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित " राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015". website: www.nalsa.gov.in

12.5.3 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों को मैत्रिपूर्ण विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

परिचय

बच्चे किसी भी समाज का सबसे असुरक्षित हिस्सा होते हैं। वर्तमान में बच्चे विश्व की जनसंख्या का लगभग एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः उन्हें भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु हमारा यह दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे के लिए विधिक सेवा के सभी अवसर खोले जाएँ ताकि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो तथा उनकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक क्षमता का भी विकास हो सके।

हमारे संविधान के निर्माता इस तथ्य के प्रति अच्छी तरह जागरूक थे कि राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के बच्चों के विकास से ही संभव है। तथा बच्चों को शोषण से बचाना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान बच्चों को देश के नागरिक की तरह अधिकार प्रदान करता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेदों के अधीन विभिन्न प्रावधान किये गये, जिसमें जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार एवं भागीदारी संबंधी अधिकार शामिल है। साथ ही संविधान के अलावा ऐसे कई कानून जो बालकों से जुड़े हैं जिनमें बाल श्रम अधिनियम, 1986, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (निम्न चयन प्रतिबंध) अधिनियम, 1994, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं वर्तमान में निर्मित यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 विशेष महत्वपूर्ण हैं।

विधिक सेवाओं का अधिकार

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत बच्चे विधिक सेवाओं के लाभार्थी हैं। उक्त अधिनियम की धारा 12 (सी) के अंतर्गत एक बालक जिसे मुकदमा दायर अथवा प्रतिरक्षा करना है, विधिक सेवाओं का हकदार है, इसलिए यह विभिन्न विधिक सेवा संस्थानों का कर्तव्य है कि विधि के साथ संघर्ष में बालक को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे और उनके मामलों का त्वरित निपटारा करे।

योजना का उद्देश्य

बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण और सभी स्तरों पर बच्चों के कानूनी झगड़ों के लिए उनका कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, संबंधित एवं कार्यरत समस्त सेवाओं व सहयोग को दृढ़ करना,

अनुकूल पर्यावरण निर्मित करना, साथ ही समस्त संबंधित पदाधिकारी जिनमें पैरालीगल वालेंटियर्स, पैनल अधिवक्ता, विभिन्न गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, न्याय विभाग एवं संबंधित विभागों में समन्वय व सभी स्तरों पर क्षमताओं का संवर्द्धन करना ताकि वे बाल मित्रवत् विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लें इत्यादि उद्देश्य प्रमुख हैं।

प्रमुख सिद्धांत जिन्हें सहायता प्रदान करने व पुनर्वास में ध्यान रखा जाना आवश्यक है

- बालक के सर्वोत्तम हित को महत्व
- अन्य सभी बातों के बावजूद बाल कल्याण को प्राथमिकता देना।
- सम्मान व सुरक्षा का अधिकार
- समानता व पक्षपात न किये जाने का अधिकार
- सुनवाई के अधिकार का सिद्धांत
- गोपनीयता का सिद्धांत

बालकों के संरक्षण हेतु विभिन्न समितियाँ एवं आश्रय गृह

राज्य शासन द्वारा विभिन्न अधिनियमों, योजनाओं के अधीन बालकों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ प्रदान करने और उनके संरक्षण हेतु विभिन्न परिषदों, समितियों एवं आयोगों इत्यादि का गठन किया गया है, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियाँ, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल सुरक्षा इकाई, संप्रेषण एवं आश्रयगृह इत्यादि का गठन विभिन्न जिले स्तर पर किया गया है। उपरोक्त संस्थाएँ विभिन्न स्तरों पर बालकों के अधिकारों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं शोषण से मुक्त कराने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

कानून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्तागण का एक प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध पैनल गठित किया जाता है जो कि बच्चों/किशोरों को समस्त मंचों अर्थात् किशोर न्याय परिषद्, बाल कल्याण समितियों में प्रतिनिधित्व करें ताकि उन्हें जमीनी स्तर पर सार्थक तथा प्रभावी विधिक सेवाएँ प्राप्त हो सकें।

विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में विधिक सेवा क्लीनिक की स्थापना, किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति में करता है, जिसके माध्यम से संबंधित संगठनों समितियों के मध्य प्रभावी

समन्वय सुनिश्चित किया जाता है ताकि प्रत्येक बालक का उचित रूप से कानूनी प्रतिनिधित्व हो और निःशुल्क विधिक सहायता एवं अन्य आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सके।

उपरोक्त के साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, दूरदर्शन, आकाशवाणी, सामुदायिक रेडियो, शिक्षा संस्थाओं, गैर-सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं, निबंध प्रतियोगिताएँ, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगितायें, वाद-विवाद प्रतियोगितायें, मोबाइल क्लिनिक, साक्षरता शिविरों इत्यादि विभिन्न माध्यमों से करता है ताकि बच्चों को उनके अधिकारों को यथासमय व शीघ्रता से पहुँचाया जा सके व आम जनता संबंधित प्रावधानों से परिचित हो सके।

हमने जाना

- बच्चे समाज का सबसे असुरक्षित हिस्सा होते हैं। वर्तमान में बच्चे विश्व की जनसंख्या का लगभग एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- भारतीय संविधान द्वारा बच्चों को देश के नागरिक की तरह अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिसमें जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार एवं भागीदारी संबंधी अधिकार शामिल हैं।
- संविधान के अतिरिक्त अन्य कई कानून जो बालकों से जुड़े हैं, जिनमें बाल श्रम अधिनियम, 1986, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 विशेष महत्वपूर्ण हैं।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत एक बालक जिसे मुकदमा दायर करने अथवा प्रतिरक्षा करना है, विधिक सेवाओं का हकदार है।
- योजना का उद्देश्य बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण और सभी स्तरों पर उनका कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
- बालकों को प्रदान करने वाली विधिक सहायता एवं पुनर्वास में ध्यान रखे जाने योग्य सिद्धांतों में बालक के सर्वोत्तम हित को महत्व, बाल कल्याण को प्राथमिकता, सम्मान व सुरक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, सुनवाई का अधिकार एवं गोपनीयता के सिद्धांत का पालन प्रमुख है।
- बालकों के संरक्षण हेतु राज्य शासन द्वारा किशोर न्याय बोर्ड बाल कल्याण समिति, बाल सुरक्षा इकाई, सम्प्रेषण एवं आश्रयगृह इत्यादि का गठन जिला स्तर पर किया गया है।

- विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में विधिक सेवा क्लीनिक्स की स्थापना, किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति में करता है, जिससे कि प्रत्येक बालक का उचित रूप से कानूनी प्रतिनिधित्व हो और निःशुल्क विधिक सहायता व अन्य आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सके। साथ ही विभिन्न माध्यमों द्वारा आमजन को जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों द्वारा शिक्षित करने हेतु प्रयासरत है।

कठिन शब्दों के अर्थ

सामुदायिक रेडियो— दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय एवं अन्य लोगों के मनोरंजन के अतिरिक्त विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित केन्द्र।

मोबाइल क्लीनिक्स— एक चलायमान निःशुल्क विधिक परामर्श एवं सहायता प्रदान करने की व्यवस्था।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 में विधिक सेवा प्राधिकरण कैसे उल्लेखनीय भूमिका निभा सकता है?
 2. विश्व की कुल जनसंख्या में बच्चों का अनुपात कितना है?
 3. बालकों हेतु निर्मित विशेष कानूनों का नाम बताइये।
 4. क्या बालकों को भी निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है?
 5. बालकों के पुनर्वास में किन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है?
-

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित “ नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015, ”. website: www.nalsa.gov.in

12.5.4 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएँ एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

परिचय

वर्तमान में नवयुवकों, किशोरों एवं बालकों में ड्रग तस्करी एवं दुरुपयोग की असाधारण बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर व जटिल समस्या को सूचित करती है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इसकी रोकथाम राज्य के साथ समाज की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। नशे का खतरनाक फैलाव और इसकी शुरुआत 9-10 वर्ष की किशोर आयु से हो जाती है। विभिन्न अध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि भारत में लगभग 7 करोड़ लोग नशीले पदार्थ के दुरुपयोग में लगे हैं, जिनमें से 17 प्रतिशत लोग इसके आदी (एडिक्ट) हैं।

जिन पौधों से यह नशीले पदार्थ बनाये जाते हैं, उनकी अवैध खेती गंभीर चिंता का विषय है। सामान्यतः लोग ऐसी खेती के दुष्प्रभाव से अवगत नहीं होते हैं। पदार्थ की अवैध खेती रोकने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की भागीदारी आवश्यक रूप से अपेक्षित है।

निष्कर्ष यह है कि नशे की लत एवं नशे का दुरुपयोग समस्त विधिक सेवा संस्थाओं के लिए एक गंभीर चिंता का प्रश्न है एवं यह आवश्यकता महसूस की गई है कि इस समस्या को तीव्र गति से नियंत्रित किया जाए।

योजना का उद्देश्य

- आम जनता के बीच विधिक प्रावधानों, शासन की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों व जनसाधारण आदि में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना।
- ऐसे पदार्थ स्रोतों की खेती करने वाले किसानों में ऐसे नशीलों पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव के विषय में संवेदनशीलता लाने हेतु विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन।
- संबंधित विषय पर कार्यरत विभिन्न भागीदारों अर्थात् पुलिस, नशा मुक्ति केन्द्र, सुधारगृह, पुनर्वास केन्द्र, विद्यालय, महाविद्यालय, किशोरगृह, वृद्धाश्रम, नारी निकेतन इत्यादि को ड्रग के खतरों एवं उनके उन्मूलन के प्रभावी उपायों के विषय में संवेदनशील बनाना।

- नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के पीड़ितों को पहचानने, उनका उपचार करने तथा नशा मुक्ति के पश्चात् उनके पुनर्वास हेतु उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को गतिमान करना एवं संबंधित क्षेत्र विषय पर कार्यरत विभिन्न भागीदारों के कार्यकलापों में सहयोग पैदा करना।
- नशीले पदार्थ की तस्करी एवं दुरुपयोग के पीड़ितों को आवश्यक विधिक सेवा सुनिश्चित करना।

कार्य योजना

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष इकाइयों की स्थापना

विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न स्तरों पर विशेष इकाइयाँ स्थापित करेगा जो संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण के व्यापक पर्यवेक्षण में कार्य करेंगी। विशेष इकाइयों की स्थापना संबंधित विषय पर कार्यरत विभिन्न अधिकारीगणों, सामाजिक कार्यकर्ता, पैरालीगन वालेंटियर्स और नशा मुक्ति हेतु ठोस कार्य करने वाली किसी स्वयं सेवी संस्था जो नालसा से संबंधित हो, के प्रतिनिधियों से गठित होगी।

उपरोक्त विशेष इकाइयाँ, संबंधित विषय और उससे जुड़े समस्त कार्यक्रमों, योजनाओं के संबंध में आवश्यक कार्य यथा— ऐसे व्यक्तियों की पहचान, उनके उपचार एवं पुनर्वास, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाने, विद्यालयों में गठित विधिक साक्षरता क्लबों एवं महाविद्यालयों में विधिक सेवा क्लीनिकों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। इसके साथ ही साथ नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के पीड़ितों के परिवारों को जागरूक करने, पीड़ित बच्चों एवं उनके अभिभावकों के मध्य संबंधों को संवेदनशील बनाने और उनके इलाज की जागरूकता पर ध्यान केन्द्रित करने पर भी कार्य करेगी।

विशेष इकाइयों द्वारा जागरूकता संबंधी अन्य कार्य

- नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों में सर्वाधिक संख्या लावारिस बच्चों की है, जो सबसे अधिक उपेक्षित और कमजोर वर्ग है। इसलिए विशेष इकाइयाँ ब्यसनी, लावारिस और शहरी स्लम बस्ती (झुग्गी-झोपड़ी) के बच्चों की पहचान करेंगी और उनको नशा मुक्ति केन्द्र या पुनर्वास केन्द्र में दाखिला करने हेतु प्रबंध करेगी।
- नशीले पदार्थ के दुरुपयोग एवं लत वाले व्यक्तियों की पहचान के साथ विशेष इकाइयाँ मनोचिकित्सकों एवं डाक्टरों के साथ मिलकर नियमित संवेदनशील कार्यक्रमों का संचालन करेगी।

- विशेष इकाईयाँ रेड लाइट क्षेत्रों में यौन कर्मियों और उनके बच्चों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्परिणामों से अवगत कराने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थायें जेल के कैदियों तथा जेल स्टाफ के लिए समय-समय पर संबंधित विषय पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करेगी।
- आम जनता को इस बात के प्रति जागरूक बनाया जायेगा कि प्रतिबंधित व वर्जित औषधियों के गैर-कानूनी कब्जे, ढुलाई, विक्री व खेती आदि के बारे में पुलिस को दी जाने वाली गुप्त सूचना, कानून के अंतर्गत संरक्षित है और उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है।
- विशेष इकाईयाँ, गावों, मेलों, त्योहारों, आवासीय क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन इत्यादि में समय-समय पर लोगों को जागरूक करने हेतु जागरूकता शिविर आयोजित करेगी।
- विशेष इकाईयाँ केमिस्ट व औषधि विक्रेताओं के बीच भी जागरूकता का प्रचार-प्रसार करेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसके साथ ही नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों व इससे छुटकारा पाने के साधनों पर नियमित रेडियो परिचर्चा व टी.वी. कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, जिसमें मनोचिकित्सक, पुलिस अधिकारी व न्यायविद् एवं आदर्श व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए।

पैरा-लीगल वालेंटियर्स को संबंधित पदार्थों के दुष्प्रभावों के विषय में जागरूक बनाये जाने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिये जाने, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ड्रग विरोधी क्लबों को स्थापित करने, नशीले पदार्थों के व्यसन से सुधरे हुए व्यक्तियों के अनुभवों को शामिल करने एवं सर्वश्रेष्ठ विशेष इकाईयों को समय-समय पर पुरस्कृत किये जाने जैसे प्रेरक तत्वों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। साथ ही **26 जून को ड्रग्स के दुरुपयोग एवं इसके अनैतिक व्यापार के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस** के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। जिससे इस गंभीर एवं जटिल समस्या के उन्मूलन की दिशा में सार्थक प्रयास संभव हो सकेगा।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित "नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएँ एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015". website: www.nalsa.gov.in

12.5.5 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (अदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

परिचय

दशकीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत है, जो अत्यंत विविधतापूर्ण है। स्वतंत्रता तक जनजातीय जनसंख्या राष्ट्रीय परिदृश्य से अपेक्षाकृत रूप से एकान्त में तथा दूर विषम जंगली क्षेत्रों में प्रायः आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत किया करती रही हैं।



स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान के जन-जातीय लोगों को विशेष दर्जा दिये जाने के लिए तथा संसद में जनजातियों से संबंधित विभिन्न रक्षात्मक कानूनों को बनाकर उनके हितों को सुरक्षित रखने हेतु सजग प्रयास किये गये। जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन सभी प्रयासों के बावजूद यह सत्य है कि अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तरों में मामूली सुधार आया है। इनकी साक्षरता दर अत्यंत कम है। गरीबी रेखा के नीचे अन्य समुदायों की अपेक्षा अनुसूचित जनजातीय परिवार अधिक हैं। आरक्षण के प्रावधान के बावजूद सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिशत उनकी जनसंख्या के अनुपात में अत्यंत कम है। इस प्रकार इनकी दशा बाकी जनसंख्या की तुलना में बहुत खराब है तथा वे विकास के परिकल्पित अवसरों पर पहुंचने में अक्षम हैं, जहाँ से वे तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अवसरों का लाभ उठा सके।



उपरोक्त पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोगों के लिए योजना बनाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके संबंध में गठित समिति द्वारा सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट के अधीन उपरोक्त योजना 2015 निर्मित एवं लागू की गई।

योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य भारत में जनजातियों तक न्याय की पहुँच को सुनिश्चित करना है। “न्याय तक पहुँच” शब्द अपने तमाम अर्थों में अर्थात् अधिकारों तक पहुँच, लाभ, विधिक सहायता, अन्य विधिक सेवायें इत्यादि को सुगम बनाता है, ताकि संविधान के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करने के वचन को देश में जनजातियों द्वारा भी अर्थ पूर्ण रूप से अनुभव किया जा सके। चूँकि संविधान और अन्य अधिनियमों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रावधान कठोरता पूर्वक लागू नहीं

किये जाते, जिसके चलते जनजातियों के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो कि जनजातियों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। उपरोक्त निर्मित योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जनजातियों के इन विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो और उन्हें राज्य द्वारा निर्मित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

जनजातियों की समस्या

- **सांस्कृतिक एवं विभेदीकरण संबंधी समस्याएँ**— आदिमता, सुदूर वनवासी क्षेत्रों में निवास, परंपराएँ एवं संस्कृति एवं साक्षरता की कमी प्रमुख कारण हैं। परिणामतः जनजातियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता, जिसके चलते वो स्वयं को मुख्य धारा से कटा हुआ समझते हैं।
- **भूमि संबंधी समस्याएँ**— वन एवं पहाड़ियाँ जनजातीय पहचान के मुख्य स्रोत हैं। जनजातियों को उनकी भूमि, वास, जीविका, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्यों एवं पहचान से वंचित करके प्रत्यक्ष रूप से भी वेदखली होती है एवं विकास के लाभों एवं उनके अधिकारों को न देने के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से भी हानि होती है।



भूमि से उनका हटाया जाना एवं जनजातियों की बेदखली हेतु बड़े महत्वपूर्ण कारणों में से एक बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता है। जनजातियों की ऋणग्रस्तता अधिकतर उन्हें बंधुआ मजदूरी की परिस्थितियों में धकेलती है, जो अधिकतर अत्यधिक व्याज के साथ ऋण स्वीकार करने के लिए बहकाये जाने से उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त विकास परियोजनायें अर्थात् बांधों का निर्माण, खान्य क्रियाकलाप इत्यादि भूमि से जनजातियों की बेदखली का एक प्रमुख कारण है।

जनजातीय समुदाय भूमि में एकल अधिकार की जगह समुदाय अधिकार में विश्वास रखते हैं। फलतः भूमि संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों में उनके पास स्वामित्व का लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। परिणामस्वरूप जनजातियों के दावे अधिकतर मौखिक साक्ष्य पर आधारित होते हैं। परिणामस्वरूप भूमि पर उनके वैयक्तिक अधिकार स्थापित करने में कठिनाईयाँ उत्पन्न होती हैं।

- **विधिक समस्याएँ एवं अन्य विधिक समस्याएँ**— बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, भूमि से विस्थापन, दावे और अपील संबंधी अधिकारों की समझ का अभाव संबंधी समस्याएँ प्रमुख हैं।

- **शिक्षा से संबंधित समस्याएँ**— भारत में जनजातियों से संबंधित शिक्षा की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है परन्तु कुछ समस्याएँ अभी भी शेष हैं, जिसमें विद्यालयों का अभाव, शिक्षकों की अनुपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति की समस्या, विद्यार्थियों के सीखने का निम्न स्तर, जनजातीय संस्कृति, भाषायी समस्या, माता-पिता एवं समुदाय का शिक्षा में कम रूचि होना प्रमुख हैं।

विभिन्न समस्याओं के निराकरण में विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका जनजातीय समुदायों, सरकार तथा न्याय पालिका के बीच के फासले को समाप्त करना है। विधिक सेवा संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना है कि विधि का शासन कायम हो। जनजातियों के मध्य विधि व्यवस्था के प्रति विश्वास हो एवं शासन की योजनाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित हो। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न प्रयास एवं सुझाव अपेक्षित हैं—

- जनजातियों से संबंधित विभिन्न मुकदमेबाजी संबंधी मामलों में उनका पक्ष समर्थन उचित ढंग से हो, इस हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं का अनन्य (एक्सक्लूसिव) पैनल गठित करने एवं योग्य विधिक सहायता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से दी जानी चाहिए, जिससे जनजातियों के अधिकार सुनिश्चित किये जा सकें।
- कारागारों एवं जनजातीय बहुल स्थानों पर विधिक सेवा क्लीनिकों की स्थापना।
- पैरालीगल वालेंटियर्स की सहायता से जनजातीय क्षेत्रों के मुद्दों, आवश्यकताओं, विधिक जरूरत एवं शैक्षिक व स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की पहचान की जानी चाहिए एवं उपयुक्त मामलों में न्यायिक निवारण की कार्यवाही आवश्यक है।
- पैनल अधिवक्ता द्वारा पी.एल.वी. की सहायता से जनजातीय लोगों की अधिग्रहीत जमीन का मुवावजा दिलाने एवं पुनर्वास हेतु सहायता करने।
- विभिन्न सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित कर प्राकृतिक वास दावों एवं मुवावजा दावों का मोबाइल लोक अदालतों के द्वारा निपटारा किया जा सकता है।
- आवश्यकतानुसार माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन से “सामाजिक न्याय मुकदमें” आरम्भ किये जा सकते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण व अर्द्धविधिक स्वयंसेवक (पी.एल.वी.) की भूमिका

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनजातीय लोगों का विस्वास प्राप्त करने के लिए एवं प्रभावकारी तरीके से सम्पर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि पी.एल.वी. का ऐसे जनजातीय लोगों के मध्य से चयन किया जाए और उचित भूमिका के लिए उन्हें उचित विधि से प्रशिक्षण दिया जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशिक्षित पी.एल.वी. के माध्यम से जनजातीय लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु विभिन्न स्तरों पर यथा— फार्म भरने, आवेदन प्रस्तुत करने, न्यायालय व विभिन्न सरकारी कार्यालय तक पहुँच स्थापित करने, मुवावजा व पुनर्वास इत्यादि प्राप्त करने में विधिक सहायता प्रदान करें, साथ ही करागार में बंदी व्यक्तियों को जमानत पर छुड़वाने अथवा उनके मुकदमों की त्वरित सुनवाई हेतु आवश्यक प्रयास एवं विभिन्न स्तरों पर सहायता संभव हो सके।

विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन जनजातीय लोगों के बीच संबंधित शासकीय विभागों के सहयोग से करता है, जिसको और दृढ़ करने की आवश्यकता है। संचार के अन्य दृश्य एवं श्रव्य साधनों एवं जनजातीय लोकगीतों, नृत्यों का उपयोग प्रभावी तरीकों से जनजातियों को शिक्षित किये जाने में किया जा सकता है। जनजातीय वर्चस्व के क्षेत्रों में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना, विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लबों की स्थापना, भाषायी भेद को कम करने के लिए सामुदायिक रेडियो की स्थापना, सरकारी विभागों व एन.जी.ओ. की सहायता से सुरक्षित पेयजल, पोषण, गर्भवती स्त्री की देखभाल के लाभों, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, बच्चों की शिक्षा इत्यादि विषयों पर जागरूकता संबंधी आवश्यक कदम उठाये जाने आवश्यक हैं।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. भारत की कुल जनसंख्या में आदिवासी जनजाति का प्रतिशत कितना है?
2. जनजातियों की प्रमुख समस्यायें क्या हैं?
3. जनजातियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका क्या है?
4. क्या इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु मोबाइल लोक अदालत का भी आयोजन किया जा सकता है?
5. क्या इन्हें सामाजिक न्याय मुकदमों का लाभ दिलाया जा सकता है?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित "राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (अदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015". website: www.nalsa.gov.in

12.5.6 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

परिचय

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है कि वो लोगों के बीच विधिक जागरूकता एवं विधिक साक्षरता फैलाने के विषय में उचित उपाय करे एवं विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को समाज कल्याण अधिनियमों एवं अन्य विधियों व साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यक्रम एवं उपायों के अंतर्गत दिये गये अधिकार, लाभ एवं विशेषाधिकार के विषय में जागरूक करे। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की भूमिका यह रेखांकित करती है कि विधिक सेवा संस्थाएँ समाज के दुर्बल वर्ग से संबंध रखती है एवं उन पर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अधिरोपित करती है कि किसी भी नागरिक को उसकी आर्थिक या अन्य असमानताओं के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे।

उपरोक्त योजना इस आधार पर बनाई गई है कि गरीबी एक बहुआयामी अनुभव है और केवल आय संबंधित समस्याओं तक सीमित नहीं है। बहु आयामी गरीबी, स्वास्थ्य, घर, आहार, रोजगार, पेंशन, मैत्रिक देखरेख, पानी, शिक्षा, सफाई, सहायता एवं मौलिक सेवा, सामाजिक निष्कासन, पक्षपात इत्यादि जैसी समस्याओं को शामिल किये हुए है।

योजना के अधीन परिभाषा खण्ड में "योजना लाभार्थियों" में निम्न शामिल है—

- अ. अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियाँ
- ब. गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु योग्य सभी व्यक्ति तथा
- स. अन्य व्यक्ति में जिनके लिए विशेष आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक उपाय किये गये हैं बच्चे, महिलाएँ तथा किन्नर शामिल हैं, परन्तु उन तक सीमित नहीं हैं।

योजना का उद्देश्य

- समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को दिये गये लाभों एवं मौलिक अधिकारों तक पहुँच को सुनिश्चित करना।
- गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लेने में अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राज्य, जिला तथा तहसील स्तरों पर विधिक सहायता एवं सहयोग को सशक्त बनाना।
- गरीबी उन्मूलन योजनाओं के विषय में जागरूकता का प्रचार—प्रसार करना।

- विभिन्न संबंधित सरकारी निकायों, पदाधिकारियों, संस्थाओं को जो समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के कल्याण से संबंधित जिम्मेदारियाँ लिये हुए हैं, उनके बीच प्रभावी संबंध एवं संपर्क बढ़ाना इत्यादि।

विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासन द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन योजनाओं की पहचान एवं प्रत्येक ऐसी योजना के अंतर्गत आशयित लाभार्थी, संबंधित प्राधिकारी, योजना अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले लाभ एवं वर्ग विशेष जिस हेतु गरीबी उन्मूलन योजना लागू की गई है, की पहचान की जायेगी।

राज्य प्राधिकरण संबंधित जिला प्राधिकरणों के सहयोग से जिले में उपलब्ध विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों को संयोजित करने हेतु कदम उठायेगा।

गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुँच चाहने वाले सभी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत योजना लाभार्थियों को समस्त आवश्यक सहायता जिससे कि उसे संबंधित गरीबी उन्मूलन योजना का लाभ प्राप्त हो सके, प्रदान करना है।

योजना लाभार्थी को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभों को उपलब्ध करने में जिसका वह हकदार है, सहयोग करने से इन्कार करने संबंधी शिकायत या विफलता पर जिला प्राधिकरण व राज्य प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्यवाही योजना के अधीन वर्णित उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 में गरीबी के अन्य क्या-क्या आयाम चिन्हित किये गये हैं?
2. इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों में कौन-कौन सम्मिलित हैं?
3. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
4. योजना लाभार्थी को इस योजना का लाभ दिलाने में विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या भूमिका है?
5. क्या योजना, इस योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करने से इन्कार करने पर शिकायत की जा सकती है?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015". website: www.nalsa.gov.in

12.5.7 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

परिचय

अशक्त व्यक्तियों के अधिकार, 2008 के संयुक्त राष्ट्र करार पर भारत एक हस्ताक्षरी है और तब से हमारा देश इस करार के अनुसमर्थन में है। यह हमारे विधिक व्यवस्था के लिये अनिवार्य है कि वह सुनिश्चित करे कि अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति सम्मिलित हैं, अपने मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को अन्य लोगों के साथ समानता के आधार पर उपभोग कर पा रहे हैं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें विधि के समक्ष समान मान्यता और विधि से समान संरक्षण मिले।

योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य ऐसे मार्गदर्शन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है, जिनका पालन विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा संस्थानों द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को विधिक सेवाएँ देते समय किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि ऐसे व्यक्ति कलंकित लोग नहीं हैं, और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जायेगा, जैसा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे उसके हक के सभी अधिकारों को प्रवृत्त करने में सहायता मिलती है, जैसा कि विधि एवं कानून द्वारा आश्वासन दिया गया है।

सिद्धांत जिनका पालन आवश्यक है

मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा अशक्त व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हुए विधिक सेवा संस्थानों को निम्न कारकों को ध्यान में रखना चाहिए—

- मानसिक बीमारी, उचित दवा एवं देखरेख के साथ-साथ है।
- मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति, मानसिक बीमार व्यक्ति नहीं है।
- मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति सभी मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के हकदार हैं।
- मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की जन्मसिद्ध गरिमा एवं स्वतंत्रता का सम्मान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- ऐसे व्यक्तियों के साथ अत्यंत संवेदनशीलता और देखभाल के साथ गैर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
- संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मानसिक बीमार व्यक्तियों को उपचार प्राप्त करने का अधिकार।
- विधिक सेवा संस्थाओं को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी के उपचार के अधीन है तो उसकी संसूचित सहमति प्राप्त की जानी चाहिए और यदि ऐसा व्यक्ति सहमति देने में सक्षम नहीं है तो उसके रिश्तेदारों या मित्रों की और उनकी अनुपस्थिति में संबंधित अधिनियम के तहत न्यायालय की संतुष्टि को सुनिश्चित कर लेना चाहिए।
- मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के शोषण और उत्पीड़न की रोकथाम करने में सहायता करनी चाहिए और ऐसे शोषकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी करनी चाहिए।

विभिन्न स्थान एवं दशायें जिसमें मानसिक बीमार एवं मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान की जाती है

- कारागारों में विधिक सहायता।
- मनोचिकित्सक अस्पताल, भवनों एवं अन्य ऐसे ही समान जगहों में विधिक सहायता।
- बेसहारा, बेघर और निःसहाय मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता।
- न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता।

विधिक सेवा संस्थानों द्वारा उठाये जाने वाले कदम एवं जागरूकता कार्यक्रम

- विधिक सेवा संस्थायें मानसिक बीमार व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे पेश करने में सक्षम, विधिक सेवा अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करेगा।
- विधिक सेवा संस्थायें मानसिक बीमार व्यक्ति के देखरेख, स्वास्थ्य लाभ, व्यक्तिगत या संस्थागत संरक्षक की नियुक्ति जैसे इंतजामों को सुनिश्चित करने में आवश्यक सहयोग करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थाओं को मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों व न्यायिक दण्डाधिकारियों के साथ मिलकर ऐसे संवेदनशील कार्यक्रमों को तैयार करना चाहिए ताकि ऐसे

व्यक्तियों की पहचान की जा सके और प्रत्येक मामले में उनके मानवीय अधिकारों हेतु उचित न्यायिक आदेशों को यथा आवश्यक प्राप्त किया जा सके।

- आम जनता को ऐसे लोगों के प्रति शिक्षित करने हेतु विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी कि मानसिक रोग अथवा मानसिक अशक्तता से कोई कलंक जुड़ा नहीं हुआ है एवं जागरूकता शिविर में आये लोगों की इस विषय पर भ्रम एवं भांतियों को दूर करेंगे।
- ऐसे मानसिक रोगियों एवं अशक्त व्यक्तियों से संबंधित संपत्ति एवं उनके अन्य विधिक अधिकार तथा विधि के अन्य प्रावधानों के विषय में शिक्षित करेंगे।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015. website: www.nalsa.gov.in

12.5.8 मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015

परिचय

यह योजना अपराध पीड़ितों व उनके आश्रितों का जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप समस्त हानि या क्षति कारित हुयी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, उनके प्रतिकर के लिए निधियां एवं प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करने के लिये बनाई गयी है।

कौन प्रतिकर प्राप्त कर सकता है?

पीड़ित अथवा उसका आश्रित इय योजन के अधीन प्रतिकर प्राप्त कर सकता है।

इस योजना में पीड़ित वह व्यक्ति है

जिसे अभियुक्त के आपराधिक कृत्य या लोप से कोई हानि/क्षति कारित हुई हो। इसमें पीड़ित व्यक्ति का संरक्षक या विधिक वारिश भी सम्मिलित है, जैसे— पीड़ित की पत्नी, पति, पिता, माता, अविवाहित पुत्री, अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आश्रित प्रमाणपत्र प्राप्त हों।

किन मामलों में प्रतिकर प्राप्त हो सकता है?

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357—क की उपधारा 2 अथवा 3 के अधीन न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकर प्रतिकर की राशि का निर्धारण करेगा।
2. जहां कि विचारण न्यायालय, विचारण की समाप्ति पर कोई सिफारिश करता है, जबकि इस बात का समाधान हो जाता है कि संहिता की धारा 357 के अधीन प्रदान किया गया प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है अथवा जहां कि मामले में दोषमुक्ति या उन्मोचन हो जाता है और पीड़ित का पुनर्वास किया जाता है, अथवा
3. जहां कि अपराधी को खोजा या पहचाना नहीं गया है परन्तु पीड़ित की पहचान की गई है और जहां कोई विचारण नहीं होता अथवा विचारण न्यायालय द्वारा पीड़ित को प्रतिकर अदायगी के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया हो और वहां पीड़ित या उसका आश्रित जिला प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।
4. वह अपराध जिसके कारण योजना के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाता है वह राज्य के भीतर घटित हुआ हो, या राज्य के भीतर घटना की शुरुआत हुई हो, या राज्य के बाहर अपराध घटित हुआ हो किंतु पीड़ित राज्य के अंदर पाया गया हो।

प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357—क (4) के अधीन आवेदन पर न्यायालय की सिफारिश प्राप्त होने पर जिला प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण दो माह के भीत जांच पूर्ण करके पर्याप्त प्रतिकर प्रदान करेगा।

जिला प्राधिकरण सक्षम अधिकार के प्रमाणपत्र पर तत्कील प्राथमिक उपचार सुविधा या चिकित्सा लाभों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु या आंतरिक अनुतोष का आदेश दे सकेगा।

जिला प्राधिकरण अनुशंसा प्राप्ति के साठ दिवस के भीतर संहिता की धारा 357—क की उपधारा 2 तथा 3 के अधीन प्रतिकर की मात्रा विनिश्चत करेगा।

प्रतिकर की राशि जिला प्राधिकरण द्वारा योजना संलग्न अनुसूची में दिये गये मानक मापदण्डों के अधार पर विनिश्चत की जाएगी।

बलात्संग वाइडर की पीड़ित को प्रतिकर के मामले में, संबंधित जिले के परिवीक्षा अधिकारी को प्रभावी पुनर्वास तथा सतत मूल्यांकन के लिए सूचित किया जायेगा।

योजना के अधीन विनिश्चत प्रतिकर की रकम पीड़ित प्रतिकर निधि से पीड़ित या उसके आश्रित को संवितरित की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु/सूचनाएं

मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन आने वाले मामले, जिनमें मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण द्वारा अनुतोष पारित किया जाता है, इस योजना को सम्मिलित नहीं होंगे।

पीड़ित पक्षकार की समग्र स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक होने पर प्रतिकर अनुसूची एक में दी गई समस्त शीर्षों में प्रतिकर राशि 50 प्रतिशत देय होगी।

प्रतिकर का संवितरण बैंक खातों से जुड़े आधार के माध्यम से किया जाएगा।

अम्ल हमले के मामले में, ऐसे पीड़ित का ऐसी घटना होने के 15 दिवस के भीतर रुपये एक लाख प्रदान किया जाएगा।

जिला प्राधिकरण में प्रतिकर की राशि को नामंजूर करने, रोकने एवं कम करने की शक्ति विहित है।

प्रार्थी द्वारा आश्रित होने का प्रमाणपत्र संबंधित तहसीलदार या सक्षम प्राधिकारी आवेदनपत्र जमा करने के 15 दिवस के भीतर जारी करेगा।

पीड़ित अथवा आश्रित द्वारा धारा 357 ए के अधीन किया गया कोई भी दावा अपराध घटित होने के 180 दिवस की अवधि के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। परन्तु जिला प्राधिकरण लिखित कारणों के समाधान होने पर उक्त देरी को माफ कर सकेगा।

प्रतिकर आदेश के विरुद्ध अपील

कोई पीड़ित/आश्रित जिला प्राधिकरण के आदेश के 90 दिवस के भीतर राज्य प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

राज्य प्राधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध आदेश के दिनांक से 30 दिवस की अवधि के भीतर द्वितीय अपील, सरकार के गृह विभाग को कर सकेगा और द्वितीय अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

परन्तु यदि राज्य प्राधिकरण/सरकार का समाधान हो गया हो तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से अपील फाइल करने में हुए विलंब के लिए माफी दे सकेगी।

पीड़ित को क्षति/हानि पर प्रतिकर राशि

नोट— पीड़ित पक्षकार की समग्र से वार्षिक आय 5 लाख रुपये अधिक होने पर प्रतिकर राशि 50 प्रतिशत देय होगी।

क्र.	हानि या क्षति का विवरण	प्रतिकर की अधिकतम सीमा	
1	(क) जीवन की हानि या क्षति	क. आय अर्जित करने वाले की मृत्यु की दशा में	अधिकतम रु. 4 लाख तक
		ख. आय अर्जित न करने वाले की मृत्यु की दशा में	अधिकतम रु. 2 लाख तक
	(ख) भ्रूण की हानि या क्षति		रुपये 50 हजार तथा शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज
2	शरीर में 100 प्रतिशत स्थायी निष्वत्ता होने पर	क. जहां पीड़ित आय अर्जित करता हो	अधिकतम रुपये 3 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
		ख. जहां पीड़ित कोई आय अर्जित न करता हो	अधिकतम रुपये 1.5 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
3	शरीर में स्थायी निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर	क. जहां पीड़ित आय अर्जित करता हो	अधिकतम रुपये 2 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
		ख. जहां पीड़ित कोई आय अर्जित न करता हो	अधिकतम रुपये 1 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
4.	(क) महिला की प्रजनन क्षमता की स्थायी क्षति (बलात्कार को छोड़कर अन्य अपराधिक घटना में)		अधिकतम रुपये 1.5 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)

	(ख) शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट अथवा शल्य क्रिया	क. जहां पीड़ित आय अर्जित करता हो	अधिकतम रूपये 50 हजार तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
		ख. जहां पीड़ित कोई आय अर्जित न करता हो	अधिकतम रूपये 25 हजार तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
5	(क) सामूहिक बलात्कार		अधिकतम रूपये 3 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
	(ख) अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध		अधिकतम रूपये 2 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
6	(क) एसिड अटैक से कुरूपता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर		अधिकतम रूपये 3 लाख तक जिसमें से 1 लाख रूपये सूचना दिनांक के 15 दिवस के अंदर एवं शेष राशि 2 लाख रूपये दो माह के अंदर तथा शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज
	(ख) एसिड अटैक से कुरूपता 40 प्रतिशत से कम होने पर		अधिकतम रूपये 1.5 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
			अधिकतम रूपये 1.5 लाख तक जिसमें से 50 हजार रूपये सूचना दिनांक के 15 दिवस के अंदर एवं शेष राशि 2 लाख रूपये दो माह के अंदर तथा शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित "अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015". website: www.nalsa.gov.in

12.5.9 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा किशोर न्याय संस्थाओं में विधिक सेवाओं के लिए मार्गदर्शन

1. जबकि पुलिस द्वारा बच्चा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब बोर्ड द्वारा विधिक सहायता अधिवक्ता को उसके सामने बुलाया जाना चाहिए और ऐसे किशोर/अभिभावकों का वकील से परिचय कराया जाना चाहिए। किशोर और उसके परिवार/अभिभावकों को यह समझाया जाना चाहिए कि उनका यह अधिकार है कि वे विधिक सहायता अधिवक्ता का सहयोग प्राप्त करें और इसके लिए उन्हें किसी को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
2. किशोर न्याय बोर्ड को विधिक सहायता अधिवक्ता को किशोरों व उनके अभिभावकों से सुनवाई के पूर्व मिलने हेतु समय देना चाहिए।
3. किशोर न्याय बोर्ड को अपने आदेश में यह उल्लेखित करना चाहिए कि विधिक सहायता अधिवक्ता नियुक्त किया गया है और विधिक सहायता अधिवक्ता के नाम व उपस्थिति को आदेश में उल्लेखित किया जाना चाहिए।
4. किशोर न्याय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे या उसके अभिभावक को विधिक सहायता अधिवक्ता के साथ पारिवारिक होने हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और सुनवाई पूरी होने के पूर्व मामले के बारे में विचार-विमर्श हेतु समय दिया जाना चाहिए।
5. किशोर न्याय बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी किशोर का प्रकरण बिना बिना विधिक सहायता अधिवक्ता के संचालित न हो।
6. प्रत्येक माह के अंत में किशोर न्याय बोर्ड को विधिक सहायता अधिवक्ता की उपस्थिति का प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए, साथ ही उनके द्वारा किये गये कार्यों का प्रतिवेदन भी सत्यापित करना चाहिए।
7. विधिक सहायता अधिवक्ता के द्वारा किये गये किसी लेप्स या मिस डील की स्थिति में बोर्ड द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए और सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।
8. किशोर न्याय बोर्ड और विधिक सहायता अधिवक्ता को आपसी समन्वय, समझादारीपूर्ण उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए। इससे एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है।

9. किशोर न्याय पर होने वाले वर्कशाप/प्रशिक्षणों में भागीदारी व अध्ययन द्वारा विधिक सहायता अधिवक्ता किशोर न्याय कानून और किशोर अपचारिता पर अच्छी समझ विकसित करनी चाहिए।
10. विधिक सहायता अधिवक्ता को एक डायरी संधारित करना चाहिए जिसमें प्रकरणों की तिथिवार जानकारी नियमित रूप से संधारित की जानी चाहिए।
11. यदि विधिक सहायता अधिवक्ता छुट्टी पर जाता है या बोर्ड के समक्ष दिये समय पर उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी अनुपस्थिति में उसका साथी विधिक सहायता अधिवक्ता प्रकरण में उपस्थित होगा और ऐसा प्रकरण उपेक्षित नहीं होगा।
12. विधिक सहायता अधिवक्ता द्वार विधिक सहायता कार्य को सेवा के रूप में नहीं लेना चाहिए और अपना सर्वोत्तम करना चाहिए।
13. विधिक सहायता अधिवक्ता द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मासिक बैठक में अपने मुद्दे/समस्यायें उठाई जानी चाहिए।
14. विधिक सहायता अधिवक्ता को प्रत्येक प्रकरण की फाईल संधारित करनी चाहिए और प्रक्रियागत प्रत्येक दिवस की प्रविष्टी अंकित करनी चाहिए।
15. विधिक सहायता अधिवक्ता को यह इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आते हैं उनसे स्वयं प्रकरण प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
16. विधिक सहायता अधिवक्ता द्वारा बच्चों/उनके परिवारों में सद्भाव एवं विश्वास जगाया जाना चाहिए, जिनके प्रकार वे लेते हैं और उन्हें संभव सहयोग प्रदान करने हेतु समस्त आश्यक कदम उनके द्वारा उठाये जाने चाहिए।
17. विधिक सहायता अधिवक्ता को विधिक सहायता पैनल की सूची में सम्मिलित होने हेतु दी गई शर्तों एवं दशाओं का पालन करना चाहिए।
18. विधिक सहायता अधिवक्ता प्रत्येक माह के एक सप्ताह के भीतर किये गये मासिक कार्यों की रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड को सत्यापन हेतु प्रेषित प्रेषित करेंगे और संबंधित प्राधिकरण को प्रोसेसिंग राशि एवं उपस्थित प्रमाणपत्र के साथ सौंपेंगे।

19. विविध सहायता अधिवक्ता अपने मुवक्किल को सुनवाई की अगनी तारीख के बारे में निश्चित रूप में सूचित करेंगे और उन्हें अपना फोन नम्बर क्लाइंट को प्रदान करना चाहिए जिससे कि वे किसी आवश्यकता पर उनसे संपर्क कर सकें।

नोट— उपरोक्त मार्गदर्शन आपकी सुविधा के लिए तैयार किये गये हैं। जहां कहीं भी कार्य में कठिनाई, विरोधाभाव अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो वहां आप किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों एवं अन्य प्रचलित विधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उन्हें वरीयता देते हुए कार्य करेंगे।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- नालसा, नई दिल्ली द्वारा निर्मित "सम्पूर्ण बेहरूआ विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 473/2005 के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा किशोर न्याय संस्थाओं में विधिक सेवाओं के लिए मार्गदर्शन". website: www.nalsa.gov.in

अधिनियम का उद्देश्य

संविधान के अनुच्छेद 47 में यह उपबन्ध है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। संवैधानिक और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों (संधियों/करारों) की वाध्याताओं के अनुसरण में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सरकार की योजना और नीति का केन्द्र बिन्दु रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना देश की मुख्य उपलब्धियों में से एक है। सरकार खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित कर रही है। तथापि लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक चुनौती बना हुआ है। जनसंख्या के और विशेष रूप से स्त्री और बालकों की पोषण संबंधी वर्तमान स्थिति में भी देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त विधायन में खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान के कल्याणकारी दृष्टिकोण को अधिकार आधारित दृष्टिकोण बनाकर एक आमूलचूल परिवर्तन को इंगित किया गया है। लक्षित सार्वजनिक प्रणाली वितरण के क्षेत्र का विस्तार करने के अलावा प्रस्तावित विधान में पात्र हितग्राहियों को अत्यधिक सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्नों की हकदार मात्राओं को प्राप्त करने के लिए विधिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें स्त्रियों और बालकों को निःशुल्क भोजन प्राप्त करने के विधिक अधिकार भी प्रदान किये गये हैं।

उपरोक्त उद्देश्यों को साकार करने के लिए, जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए तथा मानव जीवन हेतु खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को अधिनियमित (निर्मित) किया गया है।

अधिनियम के अधीन वर्णित महत्वपूर्ण शब्द एवं उनका अर्थ—

खाद्यान्न— केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निश्चित किये गये ऐसे खाद्य पदार्थ अभिप्रेत हैं, जिनमें चावल, गेहूँ या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन आता है, जो गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है।

खाद्य सुरक्षा— इसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली— इस प्रणाली से अभिप्राय उचित दर दुकानों के माध्यम से राशनकार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण संबंधी व्यवस्था से है।

न्यूनतम समर्थन कीमत— सरकार द्वारा तथा उनके अभिकरणों द्वारा जिस कीमत पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त किया जाता है।

अधिनियम के अधीन खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रावधान

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र व्यक्तियों को सहायता प्राप्त कीमतों पर प्रतिमास निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता प्रदान की गई है। साथ ही साथ 14 वर्ष की आयु समूह तक के प्रत्येक बालक को उनकी पोषणीय आवश्यकताओं के लिए निःशुल्क दोपहर के भोजन की व्यवस्था स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रदान किये जाने संबंधी प्रावधान हैं।

अधिनियम के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न किये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति संबंधित सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

शिकायत निवारण तंत्र संबंधी प्रावधान

जिला शिकायत निवारण अधिकारी

अधिनियम के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए एक अधिकारी जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा, नियुक्त या पदाविहित करेगी।

शिकायत निवारण अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण न किये जाने और उससे संबंधित मामलों के संबंध में शिकायतों को सुनेगा और उसके निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा। शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश और शिकायत के निवारण से असंतुष्ट कोई शिकायतकर्ता ऐसे आदेश के विरुद्ध विहित समय के भीतर राज्य आयोग के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

राज्य खाद्य आयोग

अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर (पर्यवेक्षण) करने के उद्देश्य हेतु एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम दो महिलाएँ होंगी। अधिनियम के अधीन आयोग के अध्यक्ष और

प्रत्येक सदस्य की पदावधि पांच वर्ष (पुनर्नियुक्ति का पात्र) अथवा 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई है।

राज्य खाद्य आयोग के कार्य

अधिनियम के अधीन राज्य के अंतर्गत अधिनियम के क्रियान्वयन को मॉनीटर करना, मूल्यांकन करना, स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना, राज्य सरकार को सलाह देना, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि कार्य राज्य आयोग हेतु निर्धारित हैं।

खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की बाध्यतायें

अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आवंटन करेगी। ऐसी आपूर्ति की कमी की दशा में राज्य सरकार को संबंधित कम प्रदाय की सीमा तक राशि उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों के क्रियान्वयन और उन्हें पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्राधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कार्य राज्य सरकार द्वारा उन्हें समय-समय पर समनुदेशित किये जाएँ।

अधिनियम के अधीन पारदर्शिता एवं जवाबदेही

अधिनियम के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेख राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये प्रकार से जनता के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा साथ ही राज्य जिला, ब्लाक और उचित दर दुकानों के स्तर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश, 2001 में यथानिर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन किया जायेगा जो स्कीमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी को उपबन्धों के उल्लंघन एवं निधियों के दुर्विनियोग (मिसएप्रोप्रियेशन) के बारे में लिखित में सूचित करेंगे।

दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रावधान

अधिनियम द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकार को दूरस्थ पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्गों जिन तक पहुँच पाना कठिन है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसाकि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल, जो कतिपय अनिवार्य मानदण्डों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

अनुच्छेद 21-क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में “निःशुल्क और अनिवार्य” शब्द सम्मिलित हैं। “निःशुल्क शिक्षा” का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता-पता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6.14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। इससे भारत अधिकार आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ा है जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21-क में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है।

आरटीई अधिनियम निम्नलिखित का प्रावधान करता है—

- किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार।
- यह स्पष्ट करता है कि “अनिवार्य शिक्षा” का तात्पर्य छह से चौदह आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है। “निःशुल्क” का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या प्रभारों या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा।

- यह गैर-प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है।
- यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों कर्तव्यों और दायित्वों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है।
- यह, अन्यों के साथ-साथ, छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर), भवन और अवसंरचनाए स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित मानदण्डों और मानकों को निर्धारित करता है।
- यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजा, प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है। इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी-ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है। यह दसवर्षीय जनगणनाए स्थानीय प्राधिकरणए राज्य विधान सभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर-शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का भी निषेध करता है।
- यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है अर्थात अपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक योग्यताओं के साथ अध्यापक।
- यह (क) शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न; (ख) बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं; (ग) प्रति व्यक्ति शुल्क; (घ) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और (ङ) बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषिद्ध करता है।
- यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चे के समग्र विकासए बच्चे के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा केन्द्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करेगा।

1. जन्म पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)

परिवार में किसी शिशु के जन्म होने पर इसकी सूचना अपने क्षेत्र के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम कार्यालय) को देकर जन्म का पंजीकरण कराया जाता है। जन्म रजिस्ट्रीकरण कराना कानूनन अनिवार्य हैं। चूंकि यह सभी प्रयोजनों के लिए किसी के जन्म की तारीख और तथ्य को प्रमाणित करता है जैसे मत देने का अधिकार प्राप्त करना, स्कूलों और सरकारी सेवाओं में दाखिला, कानूनी रूप से अनुमत आयु के विवाह करने का दावा करना, वंशगत और सम्पत्ति के अधिकारों का निपटाने आदि।

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का महत्व

जन्म पंजीकरण सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य है। जन्म पंजीकरण से प्राप्त सूचनाएँ देश की योजनाओं के नीति निर्धारण में सहायक होती हैं। अतः जन्म का पंजीकरण निम्न प्रकार से उपयोगी है

- देश एवं प्रदेश की योजनाओं यथा शिक्षण संस्थाएं खोलने, पेयजल एवं विद्युतीकरण कार्य आदि के निर्माण एवं क्रियान्वन हेतु जन्म के आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है।
- जन्म दर का उपयोग परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता ज्ञात करने एवं मृत जन्म दर का उपयोग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु किया जा सकता है।
- जन्म के पंजीकरण के पश्चात् आवेदक को जन्म प्रमाणपत्र दिया जाता है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं :

जन्म प्रमाणपत्र के लाभ :

- विद्यालय में प्रवेश।
- ड्राइविंग लाईसेन्स लेने के लिये।
- पासपोर्ट बनवाने के लिये।
- बीमा पॉलिसी लेने के लिये।
- राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए।

जन्म पंजीकरण कराने की प्रक्रिया

- प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम मुख्यालय पर स्थित जन्ममृत्यु पंजीयक कार्यालय रजिस्ट्रार के कार्यालय में जन्म की सूचना 21 दिवस की अवधि में परिवार के सदस्य या नजदीकी रिश्तेरदार -ारा प्रपत्र 1 में (जन्म की सूचना) भरकर देने पर जन्म प्रमाण पत्र निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। जन्म की सूचना निर्धारित अवधि 21 दिवस पश्चात् परन्तु 30 दिवस के अन्दर देने पर दो रुपये विलम्ब शुल्क जमा करवाकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है व जन्म की सूचना 30 दिवस से अधिक परन्तु 1 वर्ष के भीतर स्थानीय पंजीयक को देने पर आवेदक -ारा निर्धारित प्रारूप में नोटरी पब्लिक से प्रमाणित एवं संबंधित जिला पंजीयक (जिला सांख्यिकी अधिकारी)/ अतिरिक्त जिला पंजीयक (विकास अधिकारी) से लिखित अनुज्ञा प्राप्त एक शपथ पत्र देकर तथा सम्बन्धित पंजीयक कार्यालय में पाँच रुपये विलम्ब शुल्क जमा करवाकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के नियम 9(3) के अनुसार जन्म चाहे कितना पुराना हो, उसका पंजीयन कराया जा सकता है। इसके लिये आवेदक को पाँच रुपये के नॉन ज्यूमडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं जन्म होने के क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट यथा जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार आदि में से किसी एक से उक्त घटना के पंजीकृत करवाने हेतु अनुज्ञा प्राप्त करेगा अनुज्ञा प्राप्त कर आवेदक स्थानीय पंजीयक कार्यालय में 10 रुपये विलम्ब शुल्क जमा करवाकर जन्म के पंजीयन हेतु आवेदन कर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

जन्म पंजीकरण कहाँ करवाएँ :

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम में जन्म रजिस्टार के कार्यालय में सम्पर्क करें।

2. राशन कार्ड

राशन कार्ड एक दस्तावेज है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों के आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए प्रयोजन से राज्य सरकार के आदेश से प्राधिकार से जारी किया जाता है। राज्य सरकार गरीबी रेखा के ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे और अन्त्योदय परिवारों के लिए विशिष्ट राशन कार्ड जारी करती है और राशन कार्डों की समय समय पर समीक्षा एवं जांच करती है।

राशन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी दस्तावेज है। यह सब्सिडी दर पर अनिवार्य वस्तुएं खरीदने में सहायता करके पैसे बचाने में मदद करता है।

आजकल यह पहचान का भी अनिवार्य साधन बन गया है। जब आप अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करते हैं जैसे निवास स्थान का प्रमाणपत्र, अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने आदि के लिए आप पहचान के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की प्रति दर्शा सकते हैं।

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार नीला कार्ड के लिए हकदार होते हैं, जिसके तहत के विशेष सब्सिडी ले सकते हैं। स्थायी राशन कार्ड के अतिरिक्त राज्य अस्थायी राशन कार्ड भी जारी करता है, जो विनिर्दिष्ट माहों की अवधि के लिए वैध होते हैं, और ये राहत के प्रयोजनों से जारी किए जाते हैं।

राशन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया

आप किसी अंचल कार्यालय से नए उपभोक्ता (राशन) कार्ड बनवाने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसके लिए परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो, जो राजपत्रित अधिकारी/एएलए/एमपी/नगर परिषद् -ारा अनुप्रमाणित हो, निवास का विशिष्ट प्रमाण और पहले से राशन कार्ड यदि कोई हो तो उसको अभ्यर्पित करने/रद्द करने का प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता है।

यदि आप निवास का कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं तो अंचल का एफएसओ आपके पड़ोस के दो स्वतंत्र गवाह से विवरण रिकार्ड करने के दौरान पूछताछ करता है। राशन कार्ड तैयार करने की निर्धारित समय सूची साधारणतः 15 दिनों की होती है। तथापि प्रक्रिया और समय सीमा में एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतर हो सकता है।

वैध राशन कार्ड में संशोधन करने की भी व्यवस्था है।

3. समग्र

मध्यप्रदेश शासन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" के सिद्धान्त पर चलते हुए मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, श्रमिक संवर्ग, निःशक्तजनों के साथसाथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों, बीमार सदस्यों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित है, इस हेतु समग्र मिशन म.प्र. की समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं के सक्रिय एवं सफल क्रियान्वयन हेतु अभिनव पहल।

समग्र के उद्देश्य

1. योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण ।
2. नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।

3. विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण करना तथा हितग्राही मूलक जानकारी तथा कार्यक्रमों की जानकारी को पारदर्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराना तथा शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त नागरिकों/परिवारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार कर संधारित करना ।
4. पात्र हितग्राही को बिना किसी बाधा के निर्धारित समय सीमा में सहायता पहुंचाना।
5. सहायता प्राप्त करने के लिये बारबार औपचारिकताओं की पूर्ति से बचाना।
6. हितग्राहियों का डाटाबेस तैयार कर डाटाबेस के आधार पर हितग्राही जिस योजना के लिये पात्रता रखता हैं, उसे उस योजना का लाभ पहुंचाना।
7. सहायता प्राप्त करने के लिये कम से कम समय लगे इस हेतु ईबैंकिंग सुविधा का उपयोग करना।
8. अत्यंत गरीब, निराश्रित, विकलांगजन एवं दूरदराज में रहने वाले और वंचित हितग्राही तक पहुंच बनाना।
9. योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं नियमित समीक्षा।

समग्र क्यों?

शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे कि पेंशन सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, बीमा सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति अवकाश सहायता, अंत्येष्टि सहायता एवं खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के क्रियान्वयन अंतर्गत समस्त बी.पी.एल. परिवार एवं प्राथमिकता परिवार जिसमें श्रमिक संवर्ग कार्डधारी, वृद्धाश्रम में निवास कर रहे निराश्रित वृद्धजन, विकलांग छात्रावासी बच्चे, अनाथालय में निवास कर रहे निराश्रित बच्चे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही, मानसिक रूप से अविकसित बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना के लाभांवित हितग्राही एवं अन्य का सत्यापन कार्य प्राथमिकता से समग्र पोर्टल पर किया जा चुका हैं एवं सतत् प्रक्रिया के माध्यम से अन्य हितग्राहियों को भी सत्यापित किया जा रहा हैं। सत्यापन उपरांत हितग्राही का उसकी पात्रता के अनुसार विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जाता हैं।

समग्र आई डी से लाभ

1. योजनाओं का लाभ पात्रता आधारित अर्थात् यदि समग्र पोर्टल के आधार पर हितग्राही किन्ही योजनाओं हेतु पात्रता रखता हैं तो उसे नियमानुसार योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।
2. शतप्रतिशत हितग्राहियों के सत्यापन एवं योजनाओं के दोहरीकरण से बचा जा सकेगा।
3. अपात्र हितग्राहियों को कार्यक्रमों से दूर किया जायेगा।
4. हितग्राही को उसकी पात्रता के आधार पर अधिकारिता स्वरूप त्वरित लाभ प्राप्त होने लगेगा

5. सहायता स्वीकृति के तत्काल पश्चात् हितग्राही को बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से सहायता उपलब्ध हो जायेगी। उसे कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होगा।
6. योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी। हितग्राहियों को जानकारी पोर्टल पर रहेगी।
7. राष्ट्रीयकृत बैंकों को नागरिकों की सत्यापित जानकारी बचत खाता खोलने में सहायक होगा।
8. हितग्राही को बारबार आवेदन करने एवं शासकीय कार्यालयों को बारबार के सत्यापन कार्य से मुक्ति मिलेगी।

आमजनों हेतु म.प्र. की सेवाओं की पात्रता आधारित सेवा

समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवारों एव परिवार के सदस्यों की जानकारी को समग्र पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति/पत्नि का नाम, आयु, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, व्यवसाय, परिवार ए.ए.वाय., बी.पी.एल, धर्म, वैवाहित स्तर, शैक्षणिक स्तर, श्रमिक संवर्ग में पजीयन, पेंशन हितग्राही, विकलांगता, बचत खाते की जानकारी, भूमि की जानकारी भी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध हैं। डेटा उपलब्ध होने के उपरांत समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत ए.ए.वाय. एवं प्राथमिता परिवार का सत्यापन कार्य भी समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, प्राथमिकता परिवारों के अंतर्गत विभिन्नविभिन्न 22 श्रेणियों का सत्यापन कार्य समग्र पोर्टल पर किया जा चुका है। समग्र पोर्टल पर समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध होने एवं नागरिकों का डेटाबेस उपलब्ध होने से समग्र पोर्टल स्वतः ही व्यक्ति किसकिस योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु पात्रता रखता है कि जानकारी भी उपलब्ध हो जायेगी जिससे शासकीय कार्यालयों द्वारा आमजनों को म.प्र. की सेवाओं की पात्रता मापदण्ड के आधार पर सेवाओं का लाभ दिया जा सकता है तथा समस्त योजनाओं का लाभ एक ही स्थान से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी योजना हेतु पात्रता रखता है किंतु जानकारी के आभाव में संभव है कि वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं कर पाया हो अतः इस स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा नामांकित कर्मचारी स्वयं उक्त व्यक्ति के घर जाकर उस व्यक्ति को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा उसे योजनाओं के आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगें, उस व्यक्ति से आवेदन पत्र भराकर संबंधित निकाय जमा कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करेगें तथा समग्र पोर्टल पर जानकारी को अद्यतन करेगें।

एक सदस्य, एक बचत खाता समस्त शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु

समस्त हितग्राहियों को योजनाओं की आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु समग्र पोर्टल पर एक ही बचत खाता आवश्यक है, हितग्राही के पोर्टल पर उपलब्ध बचत खाते में ही समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ सीधे ट्रेजरी के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है।

समग्र पोर्टल (ण्दयद्यद्रः//अड्थ्त्रड्दघड्.ढध्.त्द/)

समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों एवं परिवार सदस्यों की संपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, व्यावसाय, शिक्षा, वैवाहिक स्तर, वित्तीय स्तर, योजना के हितग्राही, बचत खाता नम्बर, बी.पी.एल., विकलांगता इत्यादि का डेटा उपलब्ध है, पोर्टल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पोर्टल पर जैसे ही नवजात शिशु का जन्म होगा प्रसूति सहायता दी जायेगी, उस दिनांक को उसका नाम पोर्टल पर दर्ज हो जायेगा। जैसे ही वह 3 वर्ष की आयु के समीप पहुंचेगा वह आंगनबाड़ी में प्रवेश की सूची के लिये उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण कार्यक्रम में इसका उपयोग होगा। जैसे ही 5 वर्ष की उम्र में आयेगा उसे स्कूल में प्रवेश के लिये उसका सूची में नाम उपलब्ध रहेगा। स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में बारबार छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरने की औपचारिकता से बचेगा। 18 वर्ष से ऊपर की कन्या, जो बी.पी.एल. श्रेणी की है को उन्हें विवाह सहायता की सूची में वह उपलब्ध रहेगी। जो हितग्राही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वह पेंशन के लिये पात्रता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी परिवार में यदि काम करने वाले पुरुष की मृत्यु होती है और उसके मृत्यु के तुरन्त बाद राष्ट्रीय परिवार सहायता के साथसाथ उसकी विधवा पत्नी को विधवा पेंशन स्वीकृत होने लगेगी। 22 पात्रता श्रेणियों में आने वाले समस्त पात्रता परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ भी दिया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. कहां से प्राप्त करे

समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) एवं जिला स्तर पर भी संबंधित कार्यालयों पर संपर्क किया जा सकता है। समग्र पोर्टल (ण्दयद्यद्रः//ध््रध््रध््र.अड्थ्त्रड्दघड्.ढध्.त्द/) पर अपने क्षेत्र का चयन कर आवश्यक जानकारी एंटर करने पर समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. को प्राप्त किया जा सकता है ।

समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी.

समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया है। पोर्टल पर परिवार एवं परिवार के सदस्य के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल से स्वतः ही परिवार के लिये 8 अंको का समग्र परिवार आई.डी. एवं परिवार सदस्य के लिये 9 अंको का समग्र सदस्य आई.डी. जनरेट हो जाती है यह समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है। यह दोनो समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. एक यूनिक आई.डी. हैं।

समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. से लाभ

म.प्र. शासन के -ारा विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है सभी हितग्राही मूलक योजनाओं एवं सेवाओं के लिये समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. सहायक है क्योंकि यदि हितग्राही की संपूर्ण

जानकारी पोर्टल पर सत्यापित हैं। हितग्राही यदि योजना एवं सेवा हेतु सभी शर्तें पूर्ण करता हैं तो उक्त हितग्राही योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकता हैं। समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. के आधार पर व्यक्ति स्वयं समग्र पोर्टल पर जाकर अपने एवं अपने परिवार से संबंधित बेसिक जानकारी को देख सकता हैं तथा यदि जानकारी गलत पाई जाती हैं तो उक्त जानकारी को अपडेट कराने हेतु अपने समीप के संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकायों पर संपर्क कर समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड, श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यक हो संलग्न एवं प्रमाणित कराकर संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय उपलब्ध कराने के उपरांत संबंधित कार्यालय जानकारी को अपडेट करेंगे।

समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन

समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन जरूरी है क्योंकि म.प्र. शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जन्ममृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा म.प्र. जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया जाता हैं (फॉर्म 5)। किसी भी नवजात शिशु के जन्म का पंजीयन करवाना कानूनन जरूरी हैं, वर्तमान में म.प्र. शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं तथा जन्म के उपरांत से ही म.प्र. शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जाना प्रारंभ कर दिया जाता हैं। समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों का डेटा उपलब्ध हैं इसी कारण डेटा अपडेशन होना अतिआवश्यक हैं यदि किसी परिवार में कोई नवजात शिशु जन्म लेता हैं तो उसका समग्र पोर्टल पर पंजीयन होना अतिआवश्यक हैं अन्यथा वह शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता हैं। समग्र पोर्टल पर जन्म का पंजीयन करने से भविष्य में पात्रता के अनुसार किसी भी सेवा का लाभ सीधे बच्चे को दिया जा सकता हैं बिना किसी सत्यापन के अर्थात् एक बार समग्र पोर्टल पर सत्यापित होने के उपरांत जन्म दिनांक हेतु प्रमाणिक रहेगा। जहां परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय नवजात शिशुओं को समग्र पोर्टल पर पंजीकृत कर सकेंगे। पंजीयन, जिस बच्चे का संबंधित निकाय -ारा जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया हैं के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय -ारा किया जायेगा। पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवश्यक जानकारी : परिवार समग्र आई.डी., पिता का नाम, पिता की समग्र आई.डी., माता का नाम, माता की समग्र आई.डी., जन्म स्थान, जन्म दिनांक, पंजीयन संख्या (समग्र आई.डी.), पंजीयन दिनांक, जन्म, प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक इत्यादि जानकारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा।

समग्र पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति को मृत्यु उपरांत पोर्टल पर मृत घोषित करना क्यों जरूरी

समग्र पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति का किसी भी कारण से (प्राकृत/अप्राकृतिक) देहांत हो जाता हैं तो व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत घोषित करना आवश्यक हैं जिससे यदि व्यक्ति म.प्र. शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा हो

तो स्वतः ही पोर्टल के माध्यम से दिये जाने वाले लाभ से व्यक्ति का नाम हटा दिया जायेगा। समग्र पोर्टल पर व्यक्ति को मृत घोषित करने से परिवार सदस्य से उसका नाम हटा दिया जायेगा तथा यदि परिवार किसी प्रकार की अनुग्रह सहायता या बीमा सहायता के अंतर्गत आता है तो उसे उक्त लाभ प्रदान किया जायेगा। समग्र पोर्टल पर मृत जानकारी को प्रमाणिक जानकारी मानकर परिवार को पात्रता अनुसार अन्य लाभ जैसे कि राष्ट्रीय परिवार सहायता, बीमा सहायता एवं अंत्येष्टि सहायता का लाभ भी दिया जा सकेगा जिसकी जानकारी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध हो जायेगी एवं समस्त मृत व्यक्तियों का डेटाबेस भी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा उनकी मृत्यु संबंधी जानकारी सहित। परिवार जहां निवासरत है उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय व्यक्तियों को उनकी मृत्यु के उपरांत समग्र पोर्टल पर मृत घोषित कर सकेंगे, जो कि पूर्णतः प्रमाणित होगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत संबंधित निकाय - ारा मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय - ारा व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत घोषित किया जा सकता है। पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवश्यक जानकारी परिवार समग्र आई.डी., मृत व्यक्ति का नाम, मृत व्यक्ति की समग्र आई.डी., लिंग, मृत्यु दिनांक, मृत्यु का कारण, मृत्यु का स्थान, मातापिता का नाम एवं समग्र पोर्टल आई.डी., स्थायी पता, पंजीकरण संख्या (समग्र आई.डी.) पंजीकरण दिनांक, जारी करने की दिनांक इत्यादि जानकारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा।

सर्वे के दौरान छूटे हुए परिवार एवं परिवार सदस्यों को समग्र पोर्टल पर पंजीकृत करने

यदि कोई परिवार समग्र पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पाया है तो उक्त परिवार समग्र पोर्टल पर अपने परिवार एवं परिवार सदस्यों का पंजीयन करने हेतु अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय पर संपर्क करेगा जहां संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय यह पूर्णतः सुनिश्चित करेंगे कि उक्त व्यक्ति का नाम पूर्व से ही समग्र पोर्टल पर उपलब्ध ना हो। नाम उपलब्ध होने की दशा में उक्त व्यक्ति को समग्र पोर्टल आई.डी. उपलब्ध करायेगा किंतु पूर्णत पोर्टल पर सत्यापित करने के उपरांत। यदि व्यक्ति का पंजीयन समग्र पोर्टल पर नहीं है तो कार्यालयों - ारा उस व्यक्ति को समग्र सर्वे का प्रारूप (दोनों प्रारूप परिवार एवं परिवार सदस्य) निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। उपरांत व्यक्ति समस्त जानकारी को सर्वे प्रपत्र में भरकर तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड, श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यक हो को संलग्न एवं प्रमाणित कर संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय पर उपलब्ध कराना होगा, उपरांत संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय संबंधित व्यक्ति को सत्यापित करेंगे तथा पोर्टल पर पंजीयन कर संलग्न प्रमाण के आधार पर व्यक्ति की समस्त जानकारी को पोर्टल पर सत्यापित करेंगे जिससे उक्त व्यक्ति योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।

पोर्टल पर पंजीकृत परिवार में नवीन सदस्यों को जोड़ने

समग्र पोर्टल पर पंजीकृत किसी परिवार सदस्य की जानकारी उपलब्ध नहीं हैं अर्थात् उस सदस्य का पंजीयन समग्र पोर्टल पर नहीं हो पाया हो तो वह व्यक्ति अपने क्षेत्र के संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय कार्यालय पर संपर्क करेंगे जहां जनपद पंचायत/नगरीय निकाय कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यक्ति की जानकारी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं तथा यह स्पष्ट करेंगे कि क्या व्यक्ति का सर्वे के समय सर्वे नहीं किया गया था या संबंधित निकाय -ारा समग्र पोर्टल पर व्यक्ति का पंजीयन नहीं किया गया। कारण का स्पष्ट उल्लेख कर व्यक्ति से समस्त जानकारी को सर्वे प्रपत्र में भराकर तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड, श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यक हो को संलग्न एवं प्रमाणित कराकर संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय संबंधित व्यक्ति को सत्यापित करेंगे तथा पोर्टल पर परिवार सदस्य के रूप में पंजीयन करेंगे।

विवाह के उपरांत कन्या का एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जाने पर

कन्या विवाह उपरांत अपने परिवार को छोड़कर पति के घर जाती हैं जिसके कारण उस कन्या का नाम स्वयं के परिवार सदस्य से हटाकर पति के परिवार में सदस्य के रूप में किया जाना होता है, पति के घर पर परिवार सदस्य के रूप में समग्र पोर्टल पर पंजीयन करने हेतु आवश्यक है कि कन्या की जानकारी समग्र पोर्टल पर पूर्व से ही उपलब्ध रहे तथा कन्या की शादी की जानकारी भी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध रहे यह आवश्यक नहीं है कि कन्या ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लिया है या नहीं।

विवाह का पंजीयन समग्र पोर्टल पर आवश्यक

म.प्र. शासन के अनुसार विवाह के उपरांत विवाह का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। विवाह प्रमाण पत्र आपके विवाह का प्रमाणीकरण होता है तथा यह आपको विवाहित प्रमाणित करता है। विवाह प्रमाण पत्र विवाह प्रमाणीकरण, नाम बदलने की दशा में लाभदायी होता है अतः समग्र पोर्टल पर विवाह उपरांत विवाह का पंजीयन होना आवश्यक है जिससे कन्या का परिवार समग्र आई.डी. पति के परिवार आई.डी. से मैप किया जा सके। परिवार जहां निवासरत है उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय विवाह उपरांत समग्र पोर्टल पर विवाह का पंजीयन कर सकेंगे। पंजीयन कन्या के विवाह के उपरांत संबंधित निकाय -ारा विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय -ारा कन्या के विवाह संबंधी जानकारी को अद्यतन किया जा सकता है। पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवश्यक जानकारी: परिवार समग्र आई.डी., कन्या का नाम, कन्या की समग्र आई.डी., पिता का नाम, पिता की समग्र आई.डी., माता का नाम, माता की समग्र आई.डी., जन्म दिनांक, विवाह दिनांक, वर का नाम, वर के पिता का नाम, विवाह स्थान का नाम, इत्यादि जानकारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा।

परिवार का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने पर (माइग्रेशन)

समग्र सर्वे के दौरान परिवार जिस जगह निवास करता था किसी कारणवश निवास स्थान की जगह बदल गई हैं अर्थात् पता बदल गया है तो संबंधित व्यक्ति उसके क्षेत्र में आने वाले कार्यालय जनपद पंचायत/नगरीय निकाय पर संपर्क कर स्थान परिवर्तन का प्रमाणीकरण उपलब्ध कराकर समग्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय -ारा स्थान परिवर्तन की जानकारी समग्र पोर्टल पर अपडेट की जा सकती हैं। यदि व्यक्ति किसी जनपद पंचायत/नगरीय निकाय से अन्य किसी जनपद पंचायत/नगरीय निकाय में स्थायी रूप से निवास करता है तथा वह अपना नाम स्थानांतरण कराना चाहता है तो उस व्यक्ति को सर्वप्रथम पूर्व के जनपद पंचायत/नगरीय निकाय जहां समग्र पोर्टल पर व्यक्ति का नाम उपलब्ध है को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उस व्यक्ति के -ारा उल्लेख किया गया होगा कि वह अन्य स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने लगा है तथा उस प्राप्त होने वाले सभी लाभ नये स्थायी स्थान से ही उपलब्ध कराया जाना है, आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है कि वह किस जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत संबंधित निकायों -ारा भी इस बात की पुष्टि की जायेगी कि उक्त व्यक्ति उनके क्षेत्र में ही निवास करता है इसके उपरांत ही पूर्व की जनपद पंचायत कार्यालय -ारा उस व्यक्ति और परिवार को अन्त्यत्र (जनपद पंचायत/नगरीय निकाय) ट्रांसफर किया जा सकता है।

4. आधार कार्ड

आधार कार्ड भारतीय सरकार -ारा दिया गया ऐसा पहचान पत्र है जिसमें 12 अंकों का विशेष नंबर दिया जाता है। जिसमें आपसे जुड़ी हुई अधिकांश बातें एक ही कार्ड के जरिये मिल सकती है। जिसमें आपका नाम, पता, उम्र, जन्म दिनांक, बैंक की जानकारी, कोड, पैन नंबर कि जानकारी के साथ साथ आपकी उँगलियों की निशानी, आपकी फोटो और आखों की स्कैनिंग भी की जाती है। जिससे आधार कार्ड आपके लिए एक खास पहचान पत्र बन जाता है।

आधार कार्ड के लाभ

आधार कार्ड का इस्तमाल बैंक में और हर उस जगह जहां आपको आपका पहचान पत्र देना होता है वहां कर सकते है। पहले आपको नाम, उम्र और पते के लिए अलग अलग प्रमाणपत्र देना होता था। लेकिन आधार कार्ड के आने से यह एक ही पत्र आप सभी कार्यों में लगा सकते है।

यह भारत का विशेष पहचान पत्र है जिसमें सरकार -ारा आपका नाम दूढ़ते कि आपके बारे में सम्पूर्ण जानकारी मिल सकेगी। साथ ही कोई और आपका जाली आधार नहीं बना सकता क्योंकि आधार कार्ड पर आपके आँखों का स्कैन और उँगलियों कि निशानी होती है और साथ ही आपको खास नंबर दिया जाता है जो किसी और के पास नहीं होता है। हादसे के दौरान आपकी सम्पूर्ण जानकारी इस कार्ड के जरिये मिल सकेगी। इसलिए यह कार्ड बेहद जरूरी है।

आधार कार्ड कहाँ बनवाए

आधार कार्ड बनाने के लिए सरकार -ारा एजेंसियों के जरिये अलग अलग जगहों पर कैंप लगाये जाते हैं। अगर आप इन कैंप में नहीं जा पाए हो तो आप अपने जिला के जीआरसी (जेंडर रिसोर्स सेंटर) या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जा कर आधार कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं।

आपके आसपास में जहाँ भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मौजूद है आप वहां जाकर आधार कार्ड बनवा सकते हैं।

आधार कार्ड देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों -ारा बनवाया जा सकता है। बच्चों का भी आधार कार्ड बन सकता है। आधार कार्ड को बनवाने लिए साल भर में आप कभी भी समय आवेदन दे सकते हैं।

आधार कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

पहचान पत्र के लिए

- राशनकार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकारी पहचान पत्र
- क्रेडिट कार्ड जिसमें आपकी फोटो हों
- पेंशनरों को दिए जाने वाला आईडी कार्ड
- पास बुक जिसमें आपकी फोटो हों
- किसान पास बुक जिसमें आपकी फोटो हों
- राजपत्रित अधिकारी -ारा दिया गया प्रमाण पत्र
- अपंगता के लिए दिया गया प्रमाण पत्र, आदि।

निवास प्रमाण के लिए दस्तावेज

- राशनकार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक/स्टेटमेंट
- बिजली बिल
- टेलीफोन बिल

- पानी का बिल
- क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट
- गैस कनेक्शन बिल
- पेंशनर कार्ड
- किसान पासबुक
- राजपत्रित अधिकारी -ारा दिया गया प्रमाण पत्र
- अपंगता के लिए दिया गया प्रमाण पत्र, आदि

आधार के फायदे

- कोई भी ऐसा काम, जिसमें पहचान की जरूरत होती है, इस कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है।
- आपकी पहचान सरकार को आसानी से ऑनलाइन मिल सकती है।
- इस कार्ड के जरिए सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
- प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है।
- कर्मचारी भविष्य निधि ऑफिस -ारा संचालित ईपीएफ योजना के तहत फायदा पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है।
- छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप भी आधार कार्ड के जरिए ही उनके बैंक में जमा करवाई जाएगी।
- अलग अलग तरह के लाइसेंस बनवाने, कार और दूसरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा।
- मोबाइल नंबर (सिम कार्ड) लेने खरीदने के लिए भी यह कार्ड जरूरी होगा।
- आधार कार्ड के जरिए अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं।
- इस कार्ड को कोई और इस्तमाल नहीं कर सकता है, आदि।
- आधार कार्ड के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर दें
- आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय अगर आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं तो आपको मोबाइल पर एसएमएस के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती रहेगी।
- ठीक इसी तरह, अगर आप अपना ईमेल देते हैं तो तमाम सरकारी सुविधाओं की जानकारी आपको ईमेल के जरिये मिल सकेगी।
- अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आधार कार्ड बनाते समय नहीं दिया गया था तो आप आधार कार्ड बनने के बाद भी मोबाइल और ईमेल को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैन्युअल या ऑनलाइन एंटी करनी होगी।

बैंक अकाउंट लिंक

- आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त या उसके बाद भी अपने बैंक का अकाउंट लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको मैन्युअल या ऑनलाइन एंट्री करानी होगी।
- बैंक अकाउंट लिंक कराने से सरकारी स्कीम की रकम सीधे आपके अकाउंट में आने लगेगी।
- अगर आप सरकारी योजनाओं की कैटिगरी में नहीं आते या सरकार के साथ बिजनेस करते हैं और आपकी राशि सरकारी एजेंसी पर बकाया है तो आपके अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर बस आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, लिंक करने का काम अथॉरिटी करेगा।

5. निवास स्थान प्रमाण पत्र

निवास स्थान प्रमाण पत्र

निवास स्थान/निवास प्रमाण पत्र साधारणतः यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि प्रमाण पत्र धारण करने वाला व्यक्ति उस राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का निवासी है जिसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता निवास के प्रमाण पत्र के रूप में होती है जिससे कि शैक्षिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में निवास स्थान/निवास का कोटा लिए जा सकते हैं और नौकरी के मामले में भी जहां स्थानीय निवासियों को वारीयता दी जाती है।

निवास स्थान प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र या तो ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं या स्थानीय प्राधिकारियों से अर्थात् सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार का कार्यालय/राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर का कार्यालय या अन्य प्राधिकारी जैसा कि आपके निवास के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट है।

आपको निर्धारित न्यूनतम अवधि के लिए लगातार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करने का प्रमाण देने की आवश्यकता होगी या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भूमि रखने का यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नियमों पर निर्भर करता है। अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज, आवश्यकता प्राधिकारी के अधिकारी द्वारा फॉर्म को अनुप्रमाणीकरण, स्कूल प्रमाण पत्र और तहसील की पूछताछ रिपोर्ट की भी आवश्यकता हो सकती है।

महिलाएं, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मूल रूप से रहती हैं परन्तु ऐसे पुरुषों से विवाह करती हैं जो स्थायी रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निवास स्थान प्रमाण पत्र के पात्र है, वे निवास स्थान प्रमाण पत्र के लिए पात्र है।

टिप्पणी :

निवास स्थान प्रमाण पत्र केवल एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं। एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से निवास स्थान प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक अपराध है।

6. जाति प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र किसी जाति विशेष के होने का प्रमाण है विशेष कर ऐसे मामले में जब कोई पिछड़ी जाति का हो जैसा कि भारतीय संविधान में विनिर्दिष्ट है। सरकार ने अनुभव किया कि बाकी नागरिकों की तरह ही समान गति से उन्नति करने के लिए पिछड़ी जाति को विशेष प्रोत्साहन और अवसरों की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप रक्षात्मक भेदभाव की भारतीय प्रणाली के एक भाग के रूप में इस श्रेणी के नागरिकों को कुछ लाभ दिया जाता है, जैसा कि विधायिका और सरकारी सेवाओं में सीटों का आरक्षण, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला के लिए कुछ या पूरे शुल्क की छूट देना, शैक्षिक संस्थाओं में कोटा, कुछ नौकरियों में आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की छूट आदि। इन लाभों को प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए पिछड़ी जाति के व्यक्ति के पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

कानूनी ढांचा

भारतीय संविधान के अधिनियम 1994 की अनुसूची के अनुसरण में पिछड़ी जाति की सांविधिक सूची अधिसूचित की गई। इन सूचियों को समयसमय पर परिवर्तित, संशोधन/सम्पूरक किया गया। राज्यों के पुनःसंगठन पर पिछड़ी जाति सूची (परिवर्तन) अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 से प्रवृत्त हुआ। इसलिए पिछड़ी जाति की सूची के संबंध में कुछ अन्य आदेश व्यष्टि राज्यों में प्रवृत्त हुए।

जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन या शहर/नगर/गांव में स्थानीय संबंधित कार्यालय में उपलब्ध होता है, जो सामान्यता एसडीएम का कार्यालय (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) या तहसील या राजस्व विभाग होता है। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पहले जाति प्रमाणपत्र जारी करने के पहले स्थानीय पूछताछ की जाती है। न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि तक आपके अपने राज्यों में निवास का प्रमाण पत्र एक वचन पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि आप पिछड़ी जाति के हैं और आवेदन के समय विशिष्ट अदालती स्टैम्प शुल्क अपेक्षित होते हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र

कानून -ारा यथा पारिभाषित अनुसूचित जनजाति भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पायी जाती है। स्वतंत्रता के पहले की अवधि में संविधान के अधीन सभी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति" के रूप में समूहबद्ध किया गया था। अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये गये मापदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं :

उ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पारम्परिक रूप से निवास करना।

उ विशिष्ट संस्कृति जिसमें जनजातीय जीवन के सभी पहलू अर्थात् भाषा, रीति रिवाज, परम्परा, धर्म और आस्था, कला और शिल्प आदि शामिल हैं।

उ आदिकालीन विशेषताएं जो व्यावसायिक तरीके, अर्थव्यवस्था आदि को दर्शाता है।

उ शैक्षिक और प्रौद्योगिकीय आर्थिक विकास का अभाव।

राज्य विशेष/संघ राज्य क्षेत्र विशेष संबंधी अनुसूचित जनजाति का विनिर्देशन संबंधित राज्य सरकार के साथ किया गया। इन आदेशों को बाद में परिवर्तित किया जा सकता है यह संसद के अधिनियम -ारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति ने अब तक 9 आदेश लागू किए हैं जिनमें संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जाति को विनिर्दिष्ट किया गया है।

जनजाति प्रमाण पत्र

भारतीय संविधान में उल्लेखित विनिर्देशन के अनुसार जनजाति प्रमाण पत्र किसी के अनुसूचित जनजाति होने का प्रमाण है। सरकार ने अनुभव किया कि बाकी नागरिकों की तरह समान गति से उन्नति करने के लिए अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रोत्साहन और अवसरों की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप, रक्षात्मक भेदभाव की भारतीय प्रणाली के भाग के रूप में इन श्रेणी के नागरिकों के विशेष लाभ की गारंटी दी गई है, जैसा कि विधायिका में और सरकारी सेवा में सीटों का आरक्षण स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला के लिए कुछ अंश पूरे शुल्क की छूट, शैक्षिक संस्थाओं में कोटा, कुछ नौकरियों आदि के लिए आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देना। इन लाभों को लेने में समर्थ होने के लिए अनुसूचित जनजाति के नागरिक के पास वैध जनजाति प्रमाणपत्र का होना जरूरी है।

जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेशों में सूचीबद्ध जनजाति के लोग जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में जनजातीय विकास विभाग कुछ ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया कराते हैं जैसा कि संबंधित आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड करना, जनजातीय कल्याण योजना का ब्यौरा आदि वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

7. विकलांग प्रमाण पत्र

विकलांग प्रमाण पत्र स्वास्थ्य निगम -ारा उन लोगों को जारी किया जाता है, जो कि जन्म से या फिर अपने जीवनकाल में किसी कारणवश अपाहिज होते हैं और जो कि विकलांगता के प्रकार एवं प्रतिशत पर निर्भर करता है। विकलांग प्रमाण पत्र शैक्षिक संस्थानों, रोजगार तथा अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं के लिये जारी किया जाता है।

योग्यता की शर्तें

कोई भी विकलांग व्यक्ति विकलांग प्रमाणपत्र के लिये योग्य है।

प्रक्रिया

आवेदन करने के लिये आवेदक को नियत फार्म को पूरा कर तथा बताये गये सारे दस्तावेज के साथ आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदक की जांच स्वास्थ्य निगम -ारा की जाती है तथा उसकी विकलांगता तथा विकलांगता का प्रतिशत पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर तय किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज

1. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
2. वोटर आईडी कार्ड
3. शपथ पत्र (यदि आवेदक किसी बीमा के लिये दावा करता है।)
4. चार फोटोग्राफ
5. जाति प्रमाणपत्र (शुल्क रियायत के लिये)

नियत शुल्क

1. रु. 32 सामान्य श्रेणी के लिये
2. रु. 8 अनुसूचित जाति के लिये

8. मतदाता प्रमाण पत्र

प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए मतदाताओं की एक सूची होती है वह मतदाता सूची कहलाती है। अपने मत का उपयोग करने में समर्थ होने के लिए आपके निवास के क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 326 और आर पी अधिनियम 1950, की धारा 19 के अनुसार भारत में मतदाता के पंजीकरण की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जाती है उस वर्ष की 1 जनवरी के अनुसार होती है।

मतदान प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो 18 वर्ष की आयु का है वह मत देने का पात्र है। जो भारत के नागरिक नहीं है वे मत देने के पात्र नहीं है। अनिवासी भारतीय नागरिक जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर के पदों पर

नियुक्त किए गए हैं, वे आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 20 (3) के साथ पठित धारा 20 (क) (घ) की तर्ज पर मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के पात्र हैं।

आप अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं या तो सरकारी अधिकारियों -ारा घरघर में अभियान के दौरान जो प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार किया जाता है या वार्षिक पुनरीक्षा के दौरान जिसकी तारीख निर्वाचन विभाग -ारा प्रकाशित की जाती है। आपको निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने की आवश्यकता है जो ऑनलाइन पर या ईआरओ अधिकारी (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) के पास उपलब्ध है और सुनवाई के दिन उपस्थित होना आवश्यक है। यदि सभी चीजें सुव्यवस्थित पाई जाती हैं तो आपका नाम जहां आप निवास करते हैं उसके चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

टिप्पणी :

किसी चुनावक्षेत्र विशेष में निवास करने वाला व्यक्ति का नामांकन केवल उसी चुनाव क्षेत्र में हो सकता है और किसी अन्य में नहीं/और किसी भी समय किसी एक का नाम एक से अधिक मतदाता सूची में नहीं रह सकता है।

9. ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस यह प्रमाणित करता है कि धारक मोटर वाहन या वाहन चलने के लिए योग्य है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के उपबंधों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर वाहन नहीं चला सकता है जब तक कि उसके पास उसे जारी किया गया वैध लाइसेंस न हो, जो उसे एक विशेष श्रेणी में मोटर वाहन चलाने के लिए प्राधिकृत करता है। भारत में दो प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं लर्नर्स लाइसेंस और स्थायी लाइसेंस। लर्नर्स लाइसेंस केवल छह माह के लिए वैध होता है। स्थायी लाइसेंस लर्नर्स लाइसेंस जारी करने के केवल एक माह के बाद ही लिया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लर्नर्स लाइसेंस अनिवार्य है। 50 सीसी क्षमता और बिना गेयर वाले वाहन के लिए निजी मोटर वाहन हेतु लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता 16 वर्ष (यदि आवेदक के माता पिता या अभिभावक अपनी सहमति देते हैं) और निजी मोटर वाहन चलाने के लिए स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

एक व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 20 वर्ष है और उसके पास लर्नर्स लाइसेंस है वह वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे यातायात के नियमों और सभी मामलों में विनियमों से वाकिफ होना है।

लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको अपने क्षेत्र में अपने पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी आयु और निवास का प्रमाण के साथ, मेडिकल फिटनेस की घोषणा और अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन करना होता है। आपके दस्तावेजों के सत्यापन करने के बाद आपको लर्नर्स परीक्षा देना होगा। साधारणतः यातायात नियमों संकेत और विनियम आवेदन पत्र के

साथ दिया जाता है। लर्नर्स परीक्षण पास करने पर आपको लर्नर्स लाइसेंस जारी किया जाएगा। यदि आप परीक्षा में असफल होते हैं तो आपको दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा।

स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास वैध लर्नर्स लाइसेंस होना आवश्यक है। स्थायी लाइसेंस के लिए लर्नर्स लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के बाद और 180 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है। आपको वाहन के सिस्टम, ड्राइविंग, यातायात नियमों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपसे ड्राइविंग परीक्षण कराया जाएगा जिसके लिए आपको अपने साथ वाहन लाना होता है। परीक्षण पास करने पर आपको स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

10. विवाह प्रमाण पत्र

विवाह प्रमाण पत्र विवाह के पंजीकरण का प्रमाण होता है। विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता तब होती है यदि आपको यह साबित करना हो कि आपका विवाह किसी के साथ कानूनन सम्पन्न हुआ है। यह जैसे प्रयोजनों के लिए होता है जैसे पासपोर्ट प्राप्त करना, अपना गोत्र परिवर्तन करना आदि।

कानूनी ढांचा

भारत में विवाह दो विवाह अधिनियमों में से किसी एक अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954। विवाह के पात्र होने के लिए पुरुष की निम्नतम आयु 21 वर्ष और महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। हिन्दू विवाह के पक्ष अविवाहित या तलाकशुदा होने चाहिए या यदि पहले विवाह हो गया है तो उस शादी के समय पहली पत्नी या पति जीवित नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उनकी स्थिति ऐसी न हो जो कानून निषेध योग्य हो। विशेष विवाह अधिनियम विवाह अधिकारी द्वारा विवाह सम्पन्न करने तथा पंजीकरण करने की व्यवस्था करता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम केवल हिन्दुओं के लिए लागू होता है, जबकि विशेष अधिनियम भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू होता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम पहले से सम्पन्न हुए विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था करता है। इसमें पंजीयक द्वारा विवाह सम्पन्न करने की व्यवस्था नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम में विवाह अधिकारी द्वारा विवाह सम्पन्न करने तथा पंजीकरण करने की व्यवस्था करता है।

विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत :

विवाह के लिए पक्षों को, उस पंजीयक के पास जिसके क्षेत्राधिकार में विवाह सम्पन्न किया जाता है या जिस पंजीयक के क्षेत्राधिकार में विवाह का कोई पक्ष विवाह में ठीक पहले लगातार छह माह तक रह रहा हो, उसके पास आवेदन करना होता

है। दोनों पक्षों को पंजीयक के पास विवाह के एक माह के भीतर अपने मातापिता या अभिभावकों या अन्य गवाहों के साथ उपस्थित होना है। पांच वर्ष तक माफी की व्यवस्था पंजीयक -ारा और उसके बाद जिला रजिस्टार -ारा की जाती है।

विशेष विवाह अधिनियम के तहत :

प्रयोजनार्थ विवाह के पक्ष जिस विवाह अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आते हो, सूचना की तारीख के पहले 30 दिनों तक कम से कम एक पक्ष को उसके क्षेत्राधिकार में रहा होना चाहिए। यह उसके कार्यालय में किसी सुस्पष्ट जगह पर लगा होना चाहिए। यदि कोई एक पक्ष दूसरे विवाह अधिकारी के क्षेत्र में रह रहा है तो इसी प्रकार के प्रकाशन के लिए उस सूचना की प्रति उसके पास भेज दी जानी चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्राप्त की जाती है तो सूचना प्रकाशित होने के एक माह के बाद विवाह सम्पन्न किया जा सकता है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त की जाती है तो विवाह अधिकारी को इसकी जांच करनी है और यह निर्णय लेना है कि या तो विवाह सम्पन्न किया जाए या इसे इन्कार किया जाए। विवाह सम्पन्न होने के बाद पंजीकरण किया जाएगा।

शर्तों के अधीन 30 दिनों की सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात् विशेष विवाह अधिनियम के अधीन पहले से सम्पन्न किए गए विवाह का भी पंजीकरण किया जा सकता है। तथापि, जैसा कि ऊपर कहा गया है दूल्हा और दुल्हन की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष पूरी हो।

11. पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या)

स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन प्रक्रिया

स्थायी खाता संख्या (पीएएन) का आशय दस अंकीय वर्णक्रमिक संख्या से है, जो भारत में आयकर विभाग -ारा लेमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। उन सबके लिए जो अपनी आम कर विवरणी फाइल करते हैं, पैन संख्या होना जरूरी है, चूंकि वर्ष 2005 से आयकर विभाग -ारा आय विवरणी तथा देश में किसी आयकर प्राधिकारी के साथ पत्र व्यवहार में पैन का जिक्र करना अनिवार्य बना दिया गया है।

अब केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड -ारा समयसमय पर अधिसूचित वित्तीय लेन देनों से संबंधित सभी में भी पैन का जिक्र करना अनिवार्य हो गया है जैसा कि अचल सम्पत्ति, मोटर वाहन की बिक्री और खरीद और नकद भुगतान, कुछ सीमा से अधिक होटलों और रेस्तरा को भुगतान या किसी विदेशी देश में यात्रा करने के संबंध में पैन का जिक्र करना अनिवार्य हो गया है। टेलीफोन या सेल्युलर फोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पैन का उल्लेख करना अनिवार्य हो गया है। इसी प्रकार बैंक या डाकघर में 50,000 रुपए से अधिक सावधि जमा करने या बैंक में 50,000 रुपए या इससे अधिक जमा करने में पैन का उल्लेख किया जाना है।

पैन के लिए आवेदन प्रक्रिया

आयकर विभाग ने सुनिश्चित किया है कि पैन के लिए आवेदन करना सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है। आपको केवल अपेक्षित आवेदन प्रपत्र संख्या 49 ए जमा करने की आवश्यकता है। पैन आवेदन को यूटीआई इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड (विभिन्न शहरों में आईटी पैन सेवा केन्द्र का प्रबंधन करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी) के वेबसाइट या नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या स्थानीय प्रिंटर्स -ारा मुद्रित किया जा सकता है या फोटो कॉपी (ए 4 आकार 70 जीएसएम कागज पर) या अन्य किसी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। प्रपत्र आईटी पैन सेवा केन्द्रों और टी आईएल सुविधा केन्द्रों में भी उपलब्ध है। व्यक्तियों जो भारत का नागरिक नहीं हैं, एक नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए प्रपत्र सं 49 का उपयोग कर सकते हैं।

फॉर्म पर चिपकाने के लिए आपको हाल ही का रंगीन फोटो की आवश्यकता होगी (आकार 3.5 से.मी 2.5 से.मी)। आपको प्रपत्र 49 में आयकर विभाग के संबंधित मूल्यांकन अधिकारी का पद और कोड का उल्लेख करना जरूरी है। आप इसे आईटी पैन सेवा केन्द्रों से प्राप्त कर सकते हैं जो ऊपर सूचीकृत वेबसाइटों में उल्लेखित हैं तथा आवेदन के साथ पहचान और निवास का प्रमाण भी दिया जाएगा।

भरा हुआ आवेदन प्रपत्र को आपके निकटतम आईटी पैन सेवा या टीआईएन सुविधा सेवा में अपेक्षित शुल्क के साथ जमा किया जाना है। ऐसे केन्द्रों का स्थान नीचे दी गई सुविधाओं का उपयोग करके ऑनलाइन देखा जा सकता है।

उ आईटी पैन सेवा केन्द्र

उ टीआईएन सुविधा केन्द्र

पैन के नए आबंटन के आवेदन इंटरनेट के जरिए भी जमा किए जा सकते हैं

नए पैन के लिए आवेदन भी नेट जरिए भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पैन डाटा में परिवर्तन या सुधार के लिए अनुरोध या नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध (मौजूदा पैन के लिए) भी इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है।

अधिक ब्याँरे के लिए पद्यदयद्रः//ध्र्ध्र्ध्र्ध्र्.द्यत्ददग्ग्ड्थ्.ड्थ्र् देखें। यदि पैन आबंटन के लिए आवेदन नेट के माध्यम से भेजा जाता है और भुगतान नामजद क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जाता है तो प्राथमिकता के आधार पर पैन आबंटित किया जाता है और इसकी सूचना ईमेल के जरिए दे दी जाती है।

टैन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया

कर कटौती खाता संख्या (टैन) एक अनोखा 10 अंकीय वर्णक्रम कोड है जो आयकर विभाग -ारा उन सभी व्यक्तियों को आबंटित किया जाता है जिन्हें आय के स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता होती है। सभी टीडीएस (स्रोत पर एक कटौती) विवरणियाँ (इसमें ईटीडीएस विवरणी शामिल है) या किसी टीडीएस भुगतान चालान पर टैन का जिक्र करना अनिवार्य है। टैन

पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया

भारतीय पासपोर्ट के लिए दो मार्गों से आवेदन किया जा सकता है, पहला ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से, जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है और व्यक्तिगत रूप से आवश्यक दस्तावेज लेकर जाने के लिए पहले से समय नियत कर सकता है और दूसरे मामले में आवेदक शहर के नाम निर्दिष्ट पासपोर्ट सेवा केन्द्र से सीधे आवेदन पत्र ले सकता है और इसे भर कर निवास स्थान, जन्म तिथि, नाम में परिवर्तन और ईसीएनआर के प्रलेख, पासपोर्ट आकार के फोटो आदि लेकर प्रत्यक्ष रूप से आवेदन जमा कर सकता है।

प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की सभी स्वयं सत्यापित प्रतियां आवेदन जमा करने के समय पासपोर्ट कार्यालय में मूलरूप के साथ जांची जाएंगी। पासपोर्ट जारी करने के लिए सामान्य रूप से पांच से छः सप्ताह का समय लगता है। जबकि आपातकालीन स्थिति में आप तत्काल" योजना के तहत नए या डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इससे अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर पासपोर्ट जारी किया जाता है और यह सामान्य पासपोर्ट आवेदन शुल्क से अधिक होता है। तत्काल" योजना केवल उन मामलों में लागू होगी जहां पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है (15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) अथवा जहां पासपोर्ट पुलिस सत्यापन के बाद (डुप्लीकेट पासपोर्ट/पते में बदलाव किए बिना पासपोर्ट पुनः जारी करना, अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ शासकीय कर्मचारी और उनके जीवन साथी तथा सत्यापन प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन) जारी किया जा सकता है और अधिक सूचना और ब्यूरो के लिए पासपोर्ट कार्यालय का केन्द्रीय वेबसाइट देखें।

13. भूमि/सम्पत्ति पंजीकरण

सम्पत्ति खरीदते समय आपको इसे संबंधित प्राधिकरण में पंजीकृत करने की आवश्यकता है जिससे कि आपको कानूनी स्वामित्व का हक दिया जाए। इससे अध्यतन सरकारी रिकार्ड बनाने और रखरखाव करने के अतिरिक्त धोखाधड़ी कम करने और आसानी से विवाद सुलझाने में बहुत अधिक सहायता मिलती हैं।

भूमि/सम्पत्ति का पंजीकरण करने के लिए आवश्यक जानकारी

भूमि और सम्पत्ति की कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण सिस्टम के तहत पंजीकरण करना आसान है। इससे मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता होती है और मध्यवर्ती व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। किसी राज्य में संबंधित प्राधिकारी के पास आवेदन जमा करने की आवश्यकता होती है जो सब रजिस्ट्रार या क्षेत्र का एसडीएम हो सकता है। आवेदन पत्र या तो ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है या संबंधित प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ब्यौरों का विधिवत सत्यापन करने के बाद डीड किया जाता है और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाती है।

14. वाहन पंजीकरण

वाहन पंजीकरण में विधिवत सत्यापन करने के बाद सरकारी रिकार्ड में वाहन दर्ज करना शामिल है। कानून के तहत वाहन का पंजीकरण अनिवार्य है और वाहन का स्वामित्व प्रमाणित करने के लिए यह अनिवार्य है। इसकी आवश्यकता वाहन की बिक्री के दौरान इसके स्वामित्व के अंतरण के दौरान होती है।

कानूनी ढांचा

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 देश भर में मोटर वाहन संबंधी यातायात के विनियमन के लिए मुख्य साधन है, जो भारत के संविधान की अनुसूची जक्ष समवर्ती सूची के अधीन है। इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों पर है।

मोटर वाहन का पंजीकरण इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में आता है। अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी मोटर वाहन का मालिक सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाए जाने के लिए अनुमति तब तक नहीं दे सकता है जब तक कि वाहन पंजीकृत न हो। कोई व्यक्ति किसी वाहन को तभी चला सकता है जब वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र निलम्बित या रद्द न किया गया हो और अपेक्षित तरीके से प्रदर्शित पंजीकरण चिन्ह वाहन पर लगा हो।

वाहन का पंजीकरण करने के लिए जानकारी

नए, निजी, गैरवाणिज्यिक वाहन को पंजीकृत करने के लिए आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी)/अपने निवास स्थान के क्षेत्र के परिवहन विभाग के पास आपको निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने की आवश्यकता है। आपको वाहन विक्रेता -ारा जारी किए गए बिक्री प्रमाण पत्र दर्शाने की आवश्यकता होगी, विनिर्माता -ारा जारी किए गए रोड वर्दीनेस प्रमाण पत्र, वैध वाहन बीमा पॉलिसी की अनुप्रमाणित प्रति, पता के प्रमाण के रूप में दस्तावेज, चेसीस नंबर का प्रिंट और आवश्यकता के अनुसार ऐसे अन्य कागज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त आपसे एकमुश्त रोड और पंजीकरण शुल्क जमा करने के लिए कहा जाएगा। वाहन की वास्तविक जांच वाहन निरीक्षण पदाधिकारी -ारा की जाएगी और तब एक विशिष्ट पंजीकरण चिन्ह वाहन में प्रदर्शित करने हेतु दिया जाएगा।

15. राज्य रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण

रोजगार केन्द्र एक संगठन है, जो योग्यता और अनुभव के आधार पर रोजगार सहायता प्रदान करता है। भारत के विभिन्न राज्यों में रोजगार विभाग संबंधित राज्यों में निवास करने वाले बेरोजगार युवकों को राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली नौकरी के लिए होने वाली रिक्तियों के लिए पूर्व पंजीकृत करने की अनुमति देता है।

पंजीकृत नौकरी ढूँढने वाले, अनेक राज्यों में अपनी स्थिति नौकरी प्रतीक्षा सूची में ऑनलाइन देख सकते हैं। वे नौकरी ढूँढने वालों को उपयुक्त नौकरी खोजने या अपना जीवन वृत्त अध्ययन करना भी सुकर बनाते हैं। नियोक्ता अपनी रिक्तियां इन केन्द्रों में दर्ज कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवारों में से चयन कर सकते हैं।

बेरोजगार व्यक्ति तथा वर्तमान में रोजगार प्राप्त व्यक्ति जो और अधिक उपयुक्त नौकरी खोजते हैं वे रोजगार के अवसर प्राप्त करने अपने राज्यों में कार्यरत रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण कर सकते हैं।

रोजगार केन्द्र में पंजीकरण हेतु जानकारी

आपेक्षित आवेदन प्रपत्र भरें जो या तो ऑनलाइन उपलब्ध है या आपके निवास क्षेत्र के रोजगार केन्द्र पर उपलब्ध है। आपके अपने वृत्त विवरण के साथ आपके सभी योग्यता और अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित फोटो प्रति जमा करने की आवश्यकता है, जाति प्रमाणपत्र (वैकल्पिक) और फोटो और पहचान के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने जैसा कि मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड या पासपोर्ट जन्म प्रमाणपत्र या निवास स्थान प्रमाण पत्र अपने क्षेत्र में कार्यरत रोजगार केन्द्र में जमा करने की आवश्यकता है। पंजीकरण के बाद आपको पंजीकरण संख्या जारी किया जाएगा।

16. मृत्यु पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)

परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना अपने क्षेत्र के जन्ममृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम कार्यालय) को देकर मृत्यु का पंजीकरण कहलाता है। मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कराना कानूनन अनिवार्य हैं।

मृत्यु पंजीकरण का महत्व :

मृत्यु का पंजीकरण सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य है। मृत्यु पंजीकरण से प्राप्त सूचनाएँ हमारी योजनाओं के नीति निर्धारण में सहायक होती है। अतः मृत्यु का पंजीकरण निम्न प्रकार से उपयोगी है।

उ देश एवं प्रदेश की योजनाओं यथा शिक्षण संस्थाएं खोलने, पेयजल एवं विद्युतीकरण कार्य आदि के निर्माण एवं क्रियान्वन हेतु मृत्यु के आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है।

उ मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर एवं मृत जन्म दर का उपयोग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु किया जा सकता है।

उ मृत्यु के कारणों के आधार पर बीमारियों की प्रवृत्ति एवं क्षेत्र विशेष में किस बीमारी का अधिक प्रकोप है, बारे में जानकारी उपलब्ध होती है जिसके आधार पर चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराई जा सकती है।

उ मृत्यु के पंजीकरण के पश्चात् आवेदक का मृत्यु प्रमाणपत्र दिया जाता है।

मृत्यु प्रमाणपत्र के लाभ :

- उ सम्पत्ति के उत्तराधिकारी के लिए।
- उ पेंशन एवं बीमा आदि के मामलों को निपटाने के लिए।
- उ सम्पत्ति दावों को निपटाने के लिए।
- उ भूमि के नामान्तरण के लिए।

मृत्यु पंजीकरण कराने की प्रक्रिया

उ प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम मुख्यालय पर स्थित मृत्यु पंजीयक कार्यालय रजिस्ट्रार के कार्यालय में मृत्यु की सूचना घटना घटित होने के 21 दिवस की अवधि में परिवार के सदस्य या नजदीकी रिश्तेदार - ारा प्रपत्र 2 में (मृत्यु की सूचना) भरकर देने पर मृत्यु प्रमाणपत्र निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि 21 दिवस पश्चात् परन्तु 30 दिवस के अन्दर देने पर दो रुपये विलम्ब शुल्क जमा करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है व मृत्यु की सूचना 30 दिवस से अधिक परन्तु 1 वर्ष के भीतर स्थानीय पंजीयक को देने पर आवेदक -ारा निर्धारित प्रारूप में नोटरी पब्लिक से प्रमाणित एवं संबंधित जिला पंजीयक (जिला सांख्यिकी अधिकारी)/अतिरिक्त जिला पंजीयक (विकास अधिकारी) से लिखित अनुज्ञा प्राप्त एक शपथ पत्र देकर तथा सम्बन्धित पंजीयक कार्यालय में पाँच रुपये विलम्ब शुल्क जमा करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

उ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के नियम 9(3) के अनुसार मृत्यु की घटना चाहे कितनी पुरानी हो, उसका पंजीयन कराया जा सकता है। इसके लिये आवेदक को पाँच रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं मृत्यु की घटना घटित होने के क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट यथा जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट/तहसीलदार आदि में से किसी एक से उक्त घटना के पंजीकृत करवाने हेतु अनुज्ञा प्राप्त करेगा अनुज्ञा प्राप्त कर आवेदक स्थानीय पंजीयक कार्यालय में 10 रुपये विलम्ब शुल्क जमा करवाकर मृत्यु के पंजीयन हेतु आवेदन कर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

मृत्यु पंजीकरण कहाँ करवाएँ :

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम में मृत्यु रजिस्ट्रार के कार्यालय में सम्पर्क करें।